मासिक

शिविर

पत्रिका

वर्ष : 59 | अंक : 11–12 | मई–जून, 2019 (संयुक्तांक) | पृष्ठ : 52 | मूल्य : ₹15

बालसभा विशेषांक

बाल शिविरा

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सकतपुरा (कोटा) कक्षा 9 की छात्रा अनामिका द्वारा बनाया गया रेखा चित्र

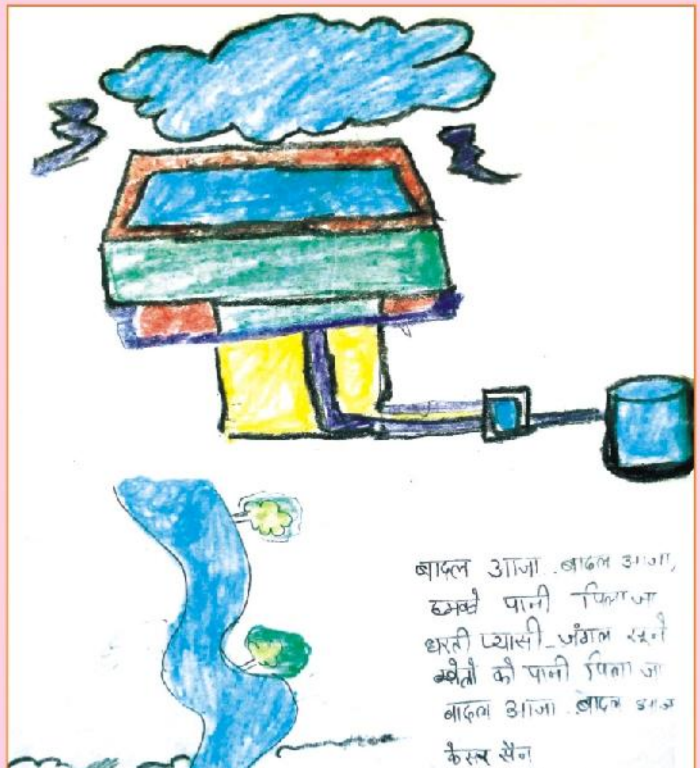

राजकीय प्राथमिक विद्यालय
चौरा आंजना, राजसमन्द

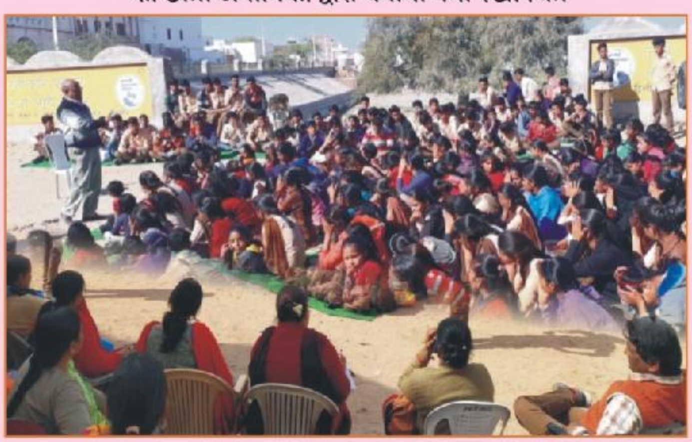

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयमलसर की गाँव की चौपाल पर आयोजित शनिवारीय बालसभा को सम्बोधित करते शिक्षकवृन्द एवं भाग लेते विद्यार्थी।

शनिवारीय बाल सभा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लोलो की ढाणी, भूका भगतसिंह (सिणधरी)बाड़मेर की छात्राओं की प्रस्तुति।

मासिक

शिविरा पत्रिका

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते –श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

वर्ष : 59 | अंक : 11–12 | वैशाख–ज्येष्ठ कृ. २०७५–२०७६ | मई–जून, 2019

प्रधान सम्पादक
नथमल डिडेल

वरिष्ठ सम्पादक
अनिल कुमार अग्रवाल

सम्पादक
मुकेश व्यास

सह सम्पादक
सीताराम गोदारा

प्रकाशन सहायक
नारायणदास जीनगर
रमेश व्यास

मूल्य : ₹ 15

वार्षिक चंदा दर व शर्तें

- शिक्षकों/लिपिकों के लिए ₹ 75
- राजकीय संस्थाओं/कार्यालयों/विद्यालयों के लिए ₹ 150
- गैर राजकीय संस्थाओं के लिए ₹ 200
- मनीऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट/पोस्टलऑर्डर **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय हैं।
- चैक स्वीकार्य नहीं है।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।
- नवीनीकरण हेतु चंदा राशि कृपया दो माह पूर्व भिजवाएँ।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर–334 011
दूरभाष : 0151–2528875
फैक्स : 0151–2201861
E-mail : shivira.dse@rajasthan.gov.in
shivirasecedubkn@gmail.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से **शिक्षा विभाग राजस्थान** का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –वरिष्ठ संपादक

इस अंक में

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ
- उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण 5

आलेख
- बालकों के शैक्षिक–सह शैक्षिक उन्नयक हेतु सार्थक प्रयास 6
  अनिल कुमार अग्रवाल
- चंचल चितवन को तराशती है : बाल सभा 12
  विनोद पानेरी
- बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण में बालसभा की भूमिका 13
  सम्पत लाल शर्मा 'सागर'
- एक लड़की 14
  सुहानी सिंह
- मेरी माँ 14
  मनिषा छिम्पा
- स्कूल 14
  सुमित्रा मकवाना
- बैठी बैठी 14
  प्रतिष्ठा यादव
- एक–अनेक 15
  वसुंधरा
- अँधियारे को ललकारा 15
  नितू वर्मा
- जल संरक्षण 15
  सीमा प्रजापत
- बेटी 16
  अर्पिता चौधरी
- समय की ताकत 16
  विक्रम भारती
- स्वच्छता 16
  अर्पिता मोनू कंवर
- नामांकन बढ़ायेंगे 16
  विक्रम
- अबलक घोड़ा 16
  सोनू
- बालकों के चरित्र का विकास 17
  वृद्धि चन्द्र गोठवाल
- तुलना ना किजिए–खुद को आदर दीजिए 18
  रामविलास जांगिड़
- मई–जून का महिना, परीक्षा व परिणाम 18
  बी.के. गुप्ता
- विद्यालय लॉगिन पर्यवेक्षण : संस्थाप्रधान के दायित्व 38
  नीरज काण्डपाल
- मुर्गे की उलझन 40
  तनु
- सूरज 40
  निशा
- शिक्षा में गुणवत्ता 41
  वंदिता माथुर
- जल, थल और स्वास्थ्य के लिए घातक प्लास्टिक 42
  अंकुश्री

स्तम्भ
- पाठकों की बात 4
- बाल सभा आदेश–परिपत्र 7–12
- आदेश–परिपत्र 19–36
- पञ्चाङ्ग (मई–जून, 2019) 37
- शाला प्रांगण 47
- चतुर्दिक समाचार 49
- हमारे भामाशाह 50

पुस्तक समीक्षा 44–46
- चिड़िया, कलियाँ और लड़कियाँ
  कवयित्री : डॉ. कृष्णा आचार्य
  समीक्षक : **शैलेंद्र सरस्वती**
- गुलमोहर
  कवयित्री : शशि ओझा
  समीक्षक : **पृथ्वी राज रतनू**
- आंख्या मांय सुपनो
  लेखक : मधु आचार्य 'आशावादी'
  समीक्षक : **हरीश बी. शर्मा**
- चेतु की चेतना
  लेखक : डॉ. प्रमोद कुमार चमोली
  समीक्षक : **डॉ. मदन गोपाल लढ़ा**

मुख्य आवरण : नारायणदास जीनगर, बीकानेर

विभागीय वेबसाइट : www.education.rajasthan.gov.in/secondary

पाठकों की बात

- अंक कुछ देर से हस्तगत हुआ। अतः पढ़ने व लिखने में विलम्ब हुआ क्षमा करें, पर अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करूँ। सुसज्जित मनोहर चित्रों से युक्त अंक आर्कषक लगा। मेरा पृष्ठ में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने 'नई ऊर्जा, नये विश्वास' और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु आह्वान किया है। लोकसभा चुनाव प्रदेश में 29 अप्रैल व 6 मई, 2019 को होने जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक विशेषतः शिक्षक अनिवार्य रूप से अवश्य मतदान करें। राजकीय विद्यालयों में नामांकन अभिवृद्धि हेतु पुरजोर शब्दों में निर्देशित किया है। शिक्षकों का महत्त्व प्रेरक प्रसंग वस्तुतः पाठकों के लिए प्रेरक है। मूल्यों का प्रतिरूप राम-जीवन भी देवेन्द्र पण्ड्या आलेख पाठक अवश्य पढ़े। यह मेरा सानुग्रह निवेदन है। भारतीय नववर्ष भी पठनीय आलेख है। जलियांवाला बाग बलिदान का प्रतीक को पढ़ना न भूलें। बजरंग प्रसाद मजेजी के आलेख अम्बेडकर को समरसता के प्रतीक को न पढ़कर हम इस महान व्यक्तित्व के धनी को याद भी न करे, इस दोष के भागी तो न बनें। शिक्षा संस्कार में नैतिक शिक्षा के महायोगदान को सतत याद रखें, यह बात बता रही है सविता ढाका अनु। शिवरतन थानवी की पुण्यतिथि को शिक्षा जगत में उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। बालकों में श्रेष्ठ संस्कार कैसे पैदा करें पढ़े डॉ. श्याममनोहर व्यास के सारगर्भित आलेख का। शिविरा के अंक संयोजन सुन्दर तदर्थ हेतु हार्दिक बधाई सम्पादक मंडल को।

  –टेकचन्द्र शर्मा, झुंझुनूं

- शिविरा पत्रिका का नियमित पाठक होने के नाते अप्रैल की शिविरा के अवलोकन के दोरान निदेशक महोदय की अपील नई ऊर्जा , नया विश्वास की प्रेरणा से शिक्षकगणों में सक्रियता बढ़ेगी। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय नानणा (पाली) के प्रधानाचार्य महेश राजपुरोहित विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक विकास का प्रयास शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए नव प्रेरणा है संसाधनों की पूर्ति करने में आत्म बल व ईमानदारी से किए कार्य में जो उत्साह व आनंद मिलता है वह शिक्षा विभाग के लिए नवीन आयाम है। भामाशाह को जोड़ने के प्रयास प्रधानाचार्य पुरोहित जी का पीढ़ियों तक स्मरण रहेगा। निदेशक महोदय का नव प्रयोग टी.टी कॉलेज बीकानेर के परिसर पर्यावरण संवर्धन को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका गीता की भूमिका सराहनीय है । प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने में भागीदारी निभाना अनुपम उदाहरण आदरणीय बहिन जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

  –सालगराम परिहार, बालोतरा (बाड़मेर)

- अप्रेल का अंक के मुखावरण पर पृथ्वी के विभिन्न रंगों एवं पुस्तक का पंछी की तरह खुले गगन में विचरण करने वाला आवरण, अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस एवं मतदान मेरा अधिकार; मेरी जिम्मेदारी का लोगो शिविरा की सम्पूर्णता को स्पष्टतः प्रकट करता है। मुखावरण कर्त्ता को बधाई। निदेशक महोदय का दिशाकल्प हमेशा की तरह ऊर्जावान तो है ही साथ ही विश्वास को बढ़ाता है। जलियांवाला बाग की 100वीं वर्षगाँठ पर रामजीलाल की श्रृद्धान्जली ओर अधिक पूर्ण होती यदि चित्र भी अंकित होता। बजरंग प्रसाद मजेजी, सविता ढाका मनु, दिवेन्द्र मारू, रामगोपाल राही, डॉ. अजय जोशी व सूर्य प्रकाश जीनगर के आलेख पठनीय हैं। बरामदा एवं पुस्तकालय एवं अमर उत्सव के नवाचार प्रेरणादायी हैं। दीपक जोशी ने स्मार्टफोन के उपयोग में बरतें सावधानीः नई पीढ़ी को पढ़ना-पढ़ाना चाहिए। बाल सभाओं के शनिवारीय आयोजन की चित्र विथिका को रंगीन पृष्ठ पर प्रकाशन शालाओं में बालसभाओं के लिए प्रेरक बनेगा। यदि सम्पादक दो या तीन पेज का नियमित स्तम्भ-'हमारी बालसभा' या बाल शिविरा शुरु करें तो बेहतर होगा जिसमें बालकों की सृजन की हुई-कविताएं, कहानी, चित्र आदि प्रकाशित किए जाएं तो प्राथमिक शिक्षा के छात्र भी लाभान्वित हो सकेंगे। सम्पूर्ण शिविरा पत्रिका हेतु संकलित पठनीय सामग्री एवं यथायोग्य संयोजन एवं आवरणीय सुन्दरता हेतु सम्पूर्ण शिविरा परिवार को बहुत-बहुत बधाई।

  –मनोज भटनागर, बीकानेर

▼ चिन्तन

सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धं च मे विश्वं च मे महश्व मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।।

-यजुर्वेद 18/5

शुभ कर्म, सत्य एवं श्रद्धा की अभिवृद्धि हो। हमारे सभी लोकिक संसाधन-धन-संपदा क्रीड़ा, विनोद, प्रसन्नता, संतति एंव वचन लोक-मंगल के कार्यों में नियोजित हो।

सत्यमेव जयते

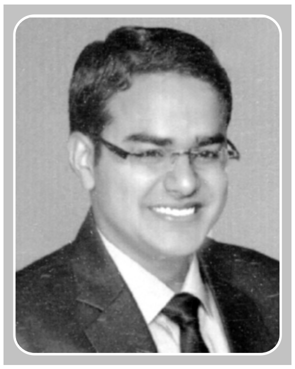

नथमल डिडेल
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"हमारे राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की श्रेष्ठता, उत्साहजनक नामांकन वृद्धि, विद्यालयों के भौतिक स्वरूप में उल्लेखनीय उत्कृष्टता का ही सुफल है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और भामाशाहों की पहली पसन्द राजकीय विद्यालय हैं। आइए, हम दृढ़ संकल्प लें कि पढ़ने योग्य प्रत्येक बालक-बालिका को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उसे आनंददायी शैक्षिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।"

दिशाकल्प : मेरा पृष्ठ

उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण

वार्षिक परीक्षाओं और समस्त शैक्षिक गतिविधियों के सफल संचालन करने वाले संस्थाप्रधानों, शिक्षकों और विभाग के सभी सहयोगियों का शिक्षा सत्र 2018-19 के समापन तथा नवीन सत्र 2019-20 के शुभारम्भ पर हार्दिक बधाई! शुभकामनाएँ!!

मुझे खुशी है कि शिक्षा विभाग राजस्थान, विद्यालयी शिक्षा में एक परिवार की तरह समूह भावना (Team Spirit) से कार्य कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम के बल पर राज्य में शिक्षा के प्रति उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण का निर्माण हुआ है, वैसे तो प्रत्येक शिक्षक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है लेकिन जहाँ संस्थाप्रधान ने पहल कर अपनी टीम भावना से कार्य किया है, उन स्कूलों में प्रत्येक क्षेत्र यथा अवसंरचना, शैक्षणिक वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है एवं नामांकन में आशातीत वृद्धि की है। हमारे राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों की श्रेष्ठता, उत्साहजनक नामांकन वृद्धि, विद्यालयों के भौतिक स्वरूप में उल्लेखनीय उत्कृष्टता का ही सुफल है कि विद्यार्थियों, अभिभावकों और भामाशाहों की पहली पसन्द राजकीय विद्यालय हैं। आइए, हम दृढ़ संकल्प लें कि पढ़ने योग्य प्रत्येक बालक-बालिका को राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उसे आनंददायी शैक्षिक वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे।

मई माह की 09 तारीख को राजकीय विद्यालयों द्वारा वृहद स्तर पर बालसभाओं का आयोजन करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थानीय एवं विशिष्ट व्यक्तित्वों को आमंत्रित कर उन्हें अपने विद्यालयों की गतिविधियों से अवगत करवाते हुए उसके विकास और विशिष्टताओं के लिए साझा प्रयास करना है। विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों की घोषणा करनी है, उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें पुरस्कृत करना है। संस्थाप्रधानों और शिक्षकों को चाहिए कि इस विशिष्ट सभा का विद्यार्थी और विद्यालय हित में भरपूर लाभ लें। 09 मई की सभा इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि स्थानीय परिवेश में अभिभावकों और भामाशाहों में राजकीय विद्यालयों के प्रति विश्वसनीयता और सुदृढ़ हो, वे आश्वस्त हों कि राजकीय विद्यालयों में विद्याध्यन कर रहे हमारे बच्चे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण में मिल रही है।

बाल सभा विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सशक्त मंच है, अत: संस्थाप्रधान बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार मौका प्रदान करें। विद्यार्थियों की रचनाओं को शिविरा में भी विशेष रूप से स्थान देकर इसे बालसभा विशेषांक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ।

(नथमल डिडेल)

शनिवारीय बाल सभा

बालकों के शैक्षिक-सह शैक्षिक उन्नयक हेतु सार्थक प्रयास

❒ अनिल कुमार अग्रवाल

शिक्षा विभाग राजस्थान ने एक लुप्त हो चुकी विद्यालयी गतिविधि को एक नये स्वरूप में पुनः जाग्रत करने का सफल प्रयास शुरू किया है। मध्य सत्र में ही माह जनवरी, 2019 में उक्त संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश माननीय शिक्षा उप शासन सचिव महोदय द्वारा जारी किए गए हैं जिसमें प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन विद्यालय से बाहर ग्राम की चौपाल पर समस्त विद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं ग्राम वासियों (SMC/SDMC सदस्यों एवं अन्य अभिभावकों) के साथ करना तय किया गया है। पूर्व में सभी विद्यालयों में शनिवार को बालसभा आयोजित की जाती थी परन्तु यह बालसभा विद्यालय प्रांगण में ही होती थी एवं इसमें केवल विद्यालय के शिक्षक व छात्र/छात्राएँ ही भाग लेते रहे हैं। वर्तमान सोच एक नई और उत्कर्ष सोच है। जिसका प्रभाव निश्चित ही छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि में सहायक होगा। इस प्रयास से छात्रों को और अधिक अपनी रचनाओं को, स्वयं को और अधिक एक्सपोज करने का अवसर मिलेगा। अभिभावकों को भी यह जानकारी मिल सकेगी कि उनका बच्चा विद्यालय में क्या-क्या सीखता है एवं विद्यालय में कौनसी गतिविधियाँ संचालित हैं। ग्राम वासियों को राजकीय विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं/योजनाओं आदि की वृहद् जानकारी मिल सकेगी एवं वे इन जानकारियों का भरपूर लाभ लेते हुए अपने बच्चों की शैक्षिक गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे।

शिक्षकों/संस्थाप्रधान के लिए भी यह एक महत्त्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। अभिभावकों/ग्रामीणों से सीधा सम्पर्क वह भी साप्ताहिक एवं नियमित हो रहा है। इस मंच से अपने विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से करके अपने विद्यालय (संस्थान) के प्रति ग्रामवासियों की सोच सकारात्मक करने में सहयोग मिल सकेगा। ग्रामवासियों का विद्यालय विकास में एक महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल सकेगा। ये शनिवारीय सभाएँ जब से शुरू हुई हैं

विद्यालयों से सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं साथ ही ऐसी सूचनाएँ भी आ रही है कि ये शनिवारीय बाल सभा जो विद्यालय से ग्राम की चौपाल पर, मन्दिर पर या अन्य सार्वजनिक स्थल पर हो रही हैं उनमें अधिक से अधिक ग्रामीणजन भाग ले रहे हैं एवं ग्रामीणों की राजकीय विद्यालयों के प्रति सकारात्मक सोच पुष्ट हो रही है। ये शनिवारीय बालसभाएँ आगामी सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होंगी। ऐसी अपेक्षा की जा रही है।

अभी इस सभा (शनिवारीय बाल सभा) के साथ और अधिक ग्रामवासियों का जुड़ाव ले सके इसके लिए विद्यालय के सत्रान्त दिवस 9 मई, 2019 को एक वृहद् स्तर पर सभा का आयोजन ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थल पर करने का निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। इसमें ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों एवं समस्त अभिभावकों को आमन्त्रित किया जाएगा। इस सभा में समस्त स्थानीय परीक्षा के परिणाम यथा कक्षा 1 से 4, 6 एवं 9 व 11 के परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा रिपोर्ट कार्ड (प्रगतिपत्र) छात्रों को वितरित करने के पश्चात् होने वाली यह बाल सभा अभिभावकों के साथ विद्यालय के परीक्षा परिणाम पर सार्थक चर्चा कर आगामी सत्र की कार्य योजना निर्मिति में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही इसका परिणाम यह होगा कि सभी अभिभावकों को अपने बच्चों की स्थिति का पता चल सकेगा व उन्नति की जानकारी मिल सकेगी। छात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी मिलेगी। राजकीय योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों व प्रोत्साहनकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

शिक्षा प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की भी भरपूर व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर के अधिकारियों को इसके सफल आयोजन का दायित्व सौपा गया है। सभी अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए 9 मई को होने वाली बाल सभा का सफल करा सकेंगे।

अन्त में एक बार पुनः यह स्मरण दिलाते हुए कि इस शनिवारीय सभा को छात्रहित में सफल बनाने के अपने सुझाव आप शिविरा सम्पादक मण्डल को प्रेषित करें ताकि इसका अधिकतम लाभ छात्रों एवं विद्यालय को मिल सकें।

यह अंक एक विशेषांक (बाल सभा विशेषांक) के रूप में प्रकाशित किया गया है। इससे इस बाल सभा की महता स्वतः ही प्रमाणित होती है। इस अंक में शनिवारीय बाल सभा पर विशेष सामग्री जिसमें इस माह तक जारी किए गए शिक्षा विभागीय परिपत्र अलग पृष्ठों में प्रकाशित किए जा रहे हैं साथ ही बालकों द्वारा बाल सभा में प्रदर्शित गीत, कविताएँ, आलेख, चित्रांकन आदि कृतियाँ भी प्रकाशित की जा रही है।

इसी अंक के साथ बाल सभा की महता को मद्देनजर रखते हुए प्रति माह की शिविरा पत्रिका में बाल शिविरा नाम से एक स्थाई स्तम्भ की शुरूआत भी की जा रही है। इस पत्रिका में शिक्षकों, संस्थाओं, कार्यालयों के अतिरिक्त अभिभावकों एवं बच्चों का भी जुड़ाव हो सके इसका भरपूर प्रयास किया जा रहा है।

पाठकगण भी अपने अमूल्य सुझावों से सम्पादक मण्डल को अवगत करावें ताकि शिविरा मासिक पत्रिका जो आपकी अपनी शिक्षा विभागीय पत्रिका है इसे और अधिक उन्नत बना सकें। इसका अधिकाधिक लाभ शिक्षक-शिक्षार्थी को मिल सकें।

वरिष्ठ सम्पादक
शिविरा प्रकाशन अनुभाग
मा.शि.राज. बीकानेर
मो: 9461074850

बाल सभा आदेश-परिपत्र : मई-जून, 2019

1. माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन करने के क्रम में।
2. दिनांक 19.01.2019 को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन के क्रम में।
3. माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।
4. माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बालसभा आयोजन संबंधी सूचना की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में।
5. माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बालसभा आयोजन बाबत्।
6. समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली बाल सभाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

1. माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन करने के क्रम में।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ● मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन ● उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई.) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल ● डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर ● क्रमांकः रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/ 10782 दिनांकः 17.01.2019 ● विषयः माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार की बाल सभा को विद्यालयों में आनन्ददायी शनिवार के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा परिषद् के निर्देशानुसार जयपुर जिले के राजकीय विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को आवश्यक रूप से बाल सभा का आयोजन किया जाना है। प्रत्येक शनिवार को बाल सभा आयोजन के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराएँ।

- **आयोजकः** बाल सभा के आयोजन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थाप्रधान की होगी एवं आयोजन में प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
- **सहभागिताः** शनिवारीय बाल सभा में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की सहभागिता रहेगी।
- **समयः** शनिवारीय बाल सभा का आयोजन माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर शेष शनिवार को प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर अंतिम 2 कालांश अर्थात् 80 मिनट में ही किया जाएगा। बाल सभा आयोजन 60 मिनट का होगा एवं 20 मिनट में आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था की सुनिश्चितता की जाए। माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को मध्याह्न पश्चात् प्रथम दो कालांश में आनन्ददायी शनिवार की गतिविधियाँ एवं अंतिम दो कालांश में सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का आयोजन किया जाएगा।
- **स्थानः** बाल सभा का आयोजन विद्यालय के संबंधित गाँव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर किया जाए जहाँ ग्रामीण जनों/अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक स्थल पर छात्र-छात्राओं को सुरक्षित पहुँचाने एवं पुनः विद्यालय तक लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान व शिक्षकों की होगी।

सुझावात्मक गतिविधियाँः– बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है–

अभिव्यक्ति कौशल :–

- वाद-विवाद
- संस्कृत श्लोक वाचन
- बोलनाः गीत, कविता, नृत्य, लोकगीत, कहानी आदि।
- लिखनाः कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख।
- अविस्मरणीय घटना सुनाना।
- नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय।
- अंत्याक्षरी।
- महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन।

सृजनात्मक कौशल :–

- कबाड़ से जुगाड़।
- रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि।
- विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने (मिट्टी, कपड़े, लकड़ी, कागज आदि) का प्रदर्शन।
- मॉडल एवं चार्ट निर्माण।
- भित्ति पत्रिका निर्माण।

चिंतन, तार्किक कौशल :–

- पहेलियाँ हल करना।
- विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन।
- क्विज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी।
- सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी।

सामुदायिक कौशल :–

- पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैंक कर्मी आदि की बारी-बारी से वार्ता कराना।
- दैनिक कामगार-बढ़ई/कुम्हार/कारीगर/किसान/सुनार/लुहार/पेंटर/दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना।
- संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन।

- राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्‌बोधन।

सामाजिक, संवेदनशीलता कौशल :-

- आईसीटी. लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन
- Motivational Videos
- Gender Based video (Good touch, Bed touch)
- बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी. वीडियो
- चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ।
- वन एवं पर्यावरण क्लब
- रोड सेफ्टी क्लब
- मीना, राजू मंच की गतिविधियाँ।
- पेड़-पौधे लगाना एवं सुरक्षा।

शारीरिक कौशल :-

- लम्बी कूद, ऊँची कूद
- विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा- कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़, बोरी दौड़ इत्यादि।
- रूमाल झपट्टा, सतोलिया आदि।
- कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट इत्यादि।
- इन्डोर गेम।

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य वे गतिविधियाँ जो विद्यालय/अभिभावकों द्वारा सुझायी जाएँ।

बाल सभा का आयोजन विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किया जाए तथा आयोजन में विद्यालय पर किसी भी प्रकार का वित्तीय भार ना हो, इसका ध्यान रखा जावे। बाल सभा आयोजन में आवश्यकता होने पर विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट का उपयोग अथवा ग्रामवासियों/अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से कोई सहयोग लिया जा सकता है।

● **(प्रदीप कुमार बोरड)** आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

2. दिनांक 19.01.2019 को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन के क्रम में।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ● मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन ● उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई.) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल ● डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर ● क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/11379 दिनांकः 30.01.2019 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान जिला जयपुर। ● विषयः दिनांक 19.01.2019 को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 19.01.2019 को जयपुर जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में शनिवारीय बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन हेतु निर्देशित किया गया था। बाल सभा आयोजन हेतु गूगल लिंक पर अवलोकनकर्त्ताओं से फीडबैक भरवाया गया था। जिसके आधार पर लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों ने ही बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थल पर किया है।

अतः जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में आगामी शनिवारीय बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन की सुनिश्चितता एवं आयोजन में अभिभावकों/ग्रामवासियों की सहभागिता हेतु अपेक्षित कार्ययोजना बनाई जाकर इसका पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करावें।

● **(प्रदीप कुमार बोरड)** आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ● क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/11380 दिनांक 30.01.2019

3. माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ● मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन ● उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई.) कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल ● डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर ● क्रमांकः रा.स्कू.शि.प./जय/ शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/11533 दिनांक 1.2.2019 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले। ● निदेशक आरएससीईआरटी. उदयपुर। ● निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। ● निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। ● विषयः माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर करने के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग द्वारा बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को आवश्यक रूप से बाल सभा आयोजन किया जावें।

उद्देश्य

1. विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षमतावर्द्धन।
2. दबाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण।
3. सामूहिक सहयोग एवं समन्वय क्षमतावर्द्धन।
4. शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सामुदायिक रुचि एवं सहयोग भावना का निर्माण।
5. सामाजिक सौहार्द्र एवं समन्वय में वृद्धि।
6. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अभिभावकों की रुचि एवं सहयोग प्राप्त करना।

राज्य के प्रत्येक राजकीय विद्यालयों (प्रा./उप्रा./मा./उमा.) में माह के प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर आयोजन किया जाएगा। बाल सभा के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें-

- **आयोजक-** संबंधित संस्थाप्रधान के नेतृत्व एवं निर्देशन में विद्यालय के समस्त अध्यापकों के सहयोग से बाल सभा आयोजन को सुनिश्चित किया जावेगा।

- **सहभागिता–** शनिवारीय बाल सभा में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की सहभागिता रहेगी तथा प्रत्येक शनिवार को भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों को सहभागिता/ प्रदर्शन का अवसर दिया जावे।
- **समय–** माह के प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर अंतिम 2 कालांश अर्थात् 80 मिनट में ही किया जाएगा। बाल सभा आयोजन 60 मिनट का होगा एवं 20 मिनट में आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था की सुनिश्चितता की जावे।
- **पूर्व तैयारी–**बाल सभा आयोजन से पूर्व पंचायत के सरपंच/वार्ड पंच/प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा कर बाल सभा हेतु सार्वजनिक स्थान का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक बाल सभा हेतु हर बार भिन्न स्थान का चयन किया जावे। बाल सभा हेतु ग्रामीणों को आमंत्रित कर सहभागिता हेतु निवेदन किया जावे।
- **स्थान–** बाल सभा का आयोजन विद्यालय के संबंधित गाँव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर किया जावे जहाँ ग्रामीण जनों/अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक स्थल पर छात्र-छात्राओं को सुरक्षित पहुँचाने एवं पुनः विद्यालय तक लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान व शिक्षकों की होगी।

सुझावात्मक गतिविधियाँ:– बाल सभा में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है–

अभिव्यक्ति कौशल :–

- वाद-विवाद
- संस्कृत श्लोक वाचन
- बोलनाः गीत, कविता, लोकगीत, कहानी आदि।
- नृत्य।
- लिखनाः कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख।
- अविस्मरणीय घटना सुनाना।
- नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय।
- अंत्याक्षरी।
- महापुरुषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन।

सृजनात्मक कौशल :–

- कबाड़ से जुगाड़।
- रंगोली, चित्रों में रंग भरना आदि।
- विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने (मिट्टी, कपड़े, लकड़ी, कागज आदि) का प्रदर्शन।
- मॉडल एवं चार्ट निर्माण।
- भित्ति पत्रिका निर्माण।

चिंतन, तार्किक कौशल :–

- पहेलियाँ हल करना।
- विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन।
- क्विज एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी।
- सद् साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी।

सामुदायिक कौशल :–

- पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/ बैंक कर्मी आदि की बारी-बारी से वार्ता कराना।
- दैनिक कामगार/लकड़ी का काम करने वाला/मिट्टी के बर्तन बनाने वाला/कारीगर/किसान/सोने के आभूषण बनाने वाला/लोहे के औजार बनाने वाला/पेंटर/ दुकानदार आदि से उनके काम के बारे में जानना।
- संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन।
- राष्ट्रीय महत्त्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन।

सामाजिक, संवेदनशीलता कौशल :–

- आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन
- Motivational Videos
- Gender Based video (Good touch, Bed touch)
- बाल संरक्षण से संबंधित पीपीटी. वीडियो
- चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियाँ।
- वन एवं पर्यावरण क्लब
- रोड सेफ्टी क्लब
- मीना, राजू मंच की गतिविधियाँ।
- पेड़-पौधे लगाना एवं सुरक्षा।

शारीरिक कौशल :–

- विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा- कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़, बोरी दौड़ इत्यादि।
- रूमाल झपट्टा, सतोलिया आदि।
  उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की जा सकती है जो विद्यालय/अभिभावकों द्वारा सुझायी जाएँ।
- बाल सभा आयोजन का विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से ही किया जावे।
- आयोजन में विद्यालय पर यथासंभव किसी भी प्रकार का वित्तीय भार ना हो, इसका ध्यान रखा जावे।
- बाल सभा आयोजन में आवश्यकता होने पर विद्यालयों को प्राप्त कम्पोजिट ग्रान्ट का उपयोग अथवा ग्रामवासियों/अभिभावकों द्वारा स्वेच्छा से कोई सहयोग लिया जा सकता है।

जिला/ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन निर्देशानुसार करवाया जाना सुनिश्चित कराएँ एवं इसका प्रभावी पर्यवेक्षण करे।

● **(भास्कर ए. सावंत)** प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर। क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/ 2018-19/11534 दिनांक : 01-02-2019

4. माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन संबंधी सूचना की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ● मुख्य भवन ब्लॉक-5 एवं एकलव्य भवन ● उपायुक्त (प्रशिक्षण, क्वालिटी, आर.ई.आई.)

कार्यालय-मुख्य भवन ब्लॉक-6, प्रथम तल ● डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर ● क्रमांकः रा.स्कू.शि.प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/12276 दिनांकः 20.02.2019 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले। ● अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिला। ● जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./ माशि. समस्त जिले। ● पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समस्त पंचायत। ● विषयः माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन संबंधी सूचना की शाला दर्पण पर प्रविष्टि के संबंध में। ● संदर्भः कार्यालय के पत्रांक रा.स्कू.शि. प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/11533 दिनांक 01.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हेतु माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। बाल सभाओं के प्रभावी आयोजन एवं पर्यवेक्षण के संबंध में निर्देशित है कि-

1. जिले के समस्त विद्यालयों में माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करावें।
2. बाल सभा हेतु आयोजन स्थल सार्वजनिक एवं सुरक्षित हो साथ ही विद्यालय के कैचमेंट एरिया को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आयोजन स्थल का परिवर्तन भी किया जावे।
3. विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों एवं अध्यापन करवाने वाले समस्त अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
4. विद्यालयों में बाल संसद का गठन किया जावे तथा गठित बाल संसद एवं विभिन्न क्लब यथा विज्ञान, पर्यावरण, स्वच्छता, सांस्कृतिक आदि के विद्यार्थी सदस्यों के माध्यम से अभिभावकों, ग्रामीणजनों को बाल सभा में उपस्थिति हेतु आमंत्रित किया जावे।
5. विद्यालय के संस्थाप्रधान एवं अध्यापकगण द्वारा अभिभावकों, ग्रामीणजनों, जनप्रतिनिधियों (सरपंच, वार्डपंच, पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, एमएलए. एमपी आदि को बाल सभा आयोजन की जानकारी एवं उपस्थिति हेतु आमंत्रण दिया जावें।)
6. विद्यालय एवं विद्यालय के पूर्व छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी बाल सभा में दी जावें।
7. विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा उनकी उपलब्धियों/अनुभवों पर व्याख्यान भी रखा जावे। जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी उपलब्धियों हेतु प्रयास करने हेतु प्रेरणा मिले।
8. बाल सभा आयोजन की सूचना संबंधी मॉड्यूल शाला दर्पण के विद्यालय टैब में बाल सभा संबंधी मॉड्यूल पीईईओ./ प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य लॉगिन पर प्रारंभ कर दिया गया है। मॉडयूल में साप्ताहिक प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
9. मॉडयूल प्रविष्टि की रिपोर्ट मासिक आधार पर प्राप्त होगी।
10. मॉडयूल में प्रविष्टि का संबंधित ब्लॉक एवं जिला स्तर से पर्याप्त पर्यवेक्षण किया जाए।

समस्त अधिकारी शाला दर्पण पर प्रविष्टि का पर्यवेक्षण एवं उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

● **(प्रदीप कुमार बोरड)** आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/शनिवारीय कार्यक्रम/2018-19/12277 दिनांक 20.2.2019

5. माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बालसभा आयोजन बाबत्।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् ● द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-17 ● क्रमांकः रास्कूशिप./जय/सामु.गति/बाल सभा/2018-19/12818 दिनांकः 08.03.2019 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले। ● विषय : माह के प्रत्येक शनिवार को गाँव/ढाणी के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा आयोजन बाबत्।

दिनांक 09 फरवरी, 2019 से ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली शनिवारीय बाल सभाओं का आयोजन राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर हो रहा है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बालकों में शैक्षिक, सह शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की दृष्टि से यह नवाचार छात्रों, अभिभावकों, ग्रामवासियों के साथ-साथ शिक्षकों द्वारा भी अत्यंत उत्साह के साथ अपनाया गया है।

समुदाय की भागीदारी को निरन्तर सुनिश्चित करने की दृष्टि से शनिवारीय बाल सभाओं का आयोजन शैक्षणिक सत्र के अन्त तक होना चाहिए। शनिवारीय बाल सभाओं के संबंध में पूर्व में हुए प्रयोग के अनुभव के आधार पर यह तथ्य सुप्रमाणित है कि इन बाल सभाओं के सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन से माह जुलाई में नव सत्र प्रारंभ के समय नामांकन में इसका प्रत्यक्षतः लाभ मिलेगा।

अतः सार्वजनिक स्थानों पर बाल सभाओं के आयोजन के लाभ के मद्देनजर यह अपेक्षित है कि पूर्व दिशा-निर्देशानुसार राज्य के समस्त ग्रामीण राजकीय विद्यालयों में शनिवारीय बाल सभा का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर करवाया जाए। बोर्ड परीक्षा/अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में शामिल छात्र-छात्राओं को छोड़ते हुए शेष छात्र-छात्राओं के साथ उत्साहपूर्वक समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इन बाल सभाओं का आयोजन नियमित रूप से करवाएँ। बाल सभाओं के आयोजन के संबंध में शाला दर्पण पर प्रविष्टियाँ भी करना सुनिश्चित करें।

● **(प्रदीप कुमार बोरड)** आयुक्त स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर। ● क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/बाल सभा/2018-19/12819 दिनांक : 08-03-2019

6. समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली बाल सभाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/मा-स/22432/उत्सव/2018-19 दिनांकः 18.4.2019 ● 1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला

परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान। 2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान। ● विषयः समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली बाल सभाओं के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश। ● प्रसंगः इस कार्यालय का पूर्व प्रसारित निर्देश पत्रांकः शिविरा-माध्य/मा-द/22492/ प्रवेशोत्सव/2019-20/18 दिनांक 15.4.2019 एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् का पत्रांकः रास्कूशिप/जय/सा.मु.गति/ बाल सभा/2018-19/614 दिनांक 18.4.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक निर्देश पत्र में राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में दिनांक 09.05.2019 को प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के मध्य आयोजित की जाने वाली वृहद् बाल सभा के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त संदर्भ में लेख है कि समस्त विद्यालयों में पूर्व से प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली नियमित बाल सभा अब माह में तीन बार आयोजित की जानी है, जिसमें एक बाल सभा माह में पड़ने वाली अमावस्या को तथा अन्य दो बाल सभा अमावस्या के आगे-पीछे आने वाले शनिवार को छोड़ते हुए अन्य दो शनिवार को आयोजित होगी। ये बालसभाएँ पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार गाँव /वास स्थान के सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाएगी।

दिनांक 09.05.2019 को आयोज्य वृहद् बाल सभा हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशों की निरन्तरता में क्षेत्राधिकार में अग्रांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें:-

1. विद्यालय द्वारा बाल सभा हेतु विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों एवं ग्रामीणों को आमंत्रण पत्र प्रेषित किए जावें। आमंत्रण के लिए परम्परागत तरीके से पीले चावल भी भेजे जावें।
2. 9 मई 2019 गुरुवार को वृहद् स्तर पर आयोजित की जाने वाली उक्त बाल सभा की ठोस कार्य योजना तैयार करने हेतु समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थों एवं सम्बन्धित जिले के अन्य विभागों यथा-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के CMHO, BCMHO, MO तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के DD, CDPO, ACDPO महिला पर्यवेक्षकों के साथ समुचित समन्वय हेतु जिला स्तर की संयुक्त बैठक आगामी 2-3 दिन में करके इसको विस्तृत प्लान तैयार करेंगे तथा जिले की प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की प्रत्येक स्कूल के लिए बाल सभा हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। बाल सभा हेतु नियुक्त उक्त प्रभारी अधिकारी विद्यालय में संस्थाप्रधान तथा स्टाफ सदस्यों के साथ पारस्परिक विमर्श उपरान्त बाल सभा आयोजन को भव्य स्वरूप प्रदान करने तथा इसके उद्देश्यपूर्ण आयोजन हेतु अग्रिम कार्य योजना निर्मित कर प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएँगें। समस्त सी.डी.ई.ओ. गण उक्तानुसार जिले के समस्त विभागों के अधिकारियों की सूची जिला प्रशासन से प्राप्त कर उनके साथ समुचित समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित कर अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल सभा के लिए किसी एक स्कूल का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने की कार्यवाही अन्य विभागों के साथ समन्वय उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित कर लेवें। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के प्रासंगिक पत्रानुसार प्रवेशोत्सव/बाल सभा आयोजन हेतु तिथिवार कार्य योजना निम्नानुसार रहेगी:-

क्र.स.	दिनांक	गतिविधि	गतिविधि विवरण	क्रियान्वयन स्तर
1	22.4.2019	बैठक	DEO (Sec), DEO (Ele)] DIET Principals, ADPC, CBEO, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाएँ एवं महिला अधिकारिता) विभाग के साथ CDEO'S की बाल सभा आयोजन हेतु विद्यालयवार प्रभारी अधिकारी एवं रूपरेखा हेतु बैठक	CDEO'S
2	23.4.2019 से 25.4.2019	बैठक	CDEO'S का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाएँ एवं महिला अधिकारिता) विभाग तथा विभिन्न जिला स्तरीय विभागों के साथ सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर प्रत्येक विद्यालय हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश जारी करना।	CDEO'S
3	23.4.2019	बैठक	CDEO'S की PEEO'S के साथ अंतिम कार्य योजना हेतु बैठक	CBEO'S
4	24.4.2019	बैठक	PEEO'S की संस्थाप्रधानों के साथ बैठक	PEEO'S
5	25.4.2019	बैठक	CDEO'S द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रति विद्यालय हेतु नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारियों की सूचना मय दूरभाष नम्बर परिषद् को प्रेषित करना।	CDEO'S
6	26.4.2019 प्रातः 10.00 बजे से 1.00 बजे तक	वीडियो कांफ्रेंस	CDEO'S चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास (समन्वित बाल सेवाएँ एवं महिला अधिकारिता) विभाग के साथ प्रवेशोत्सव/बाल सभा आयोजन की तैयारियों के सम्बन्ध में चर्चा हेतु वीडियो कांफ्रेंस	परिषद कार्यालय

3. 9 मई 2019 को प्रातः 8:00 से 11:00 बजे के मध्य बाल सभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित की जाए एवं उस बाल सभा का अध्यक्ष सम्बन्धित विद्यालय के ही किसी छात्र/छात्रा को बनाया जाए।
4. प्रत्येक जिले में बाल सभा आयोजन की पूर्व तैयारी एवं मॉनिटरिंग हेतु जिले के आधे ब्लॉकों का दायित्त्व समग्र शिक्षा अभियान के जिला प्रभारी तथा शेष आधे ब्लॉकों का दायित्त्व निदेशालय,

माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी संभालेंगे। उपर्युक्तानुसार जिला प्रभारी गण 9 मई 2019 को निर्धारित प्रपत्र में प्रातः 11 बजे सूचना सम्बन्धित सी.बी.ई.ओ. गण से प्राप्त कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर की ई-मेल आईडी cmsmsa2018@gmail.com पर भिजवाएँगे। समय पर सूचना सम्प्रेषण हेतु समस्त जिलों में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान समुचित सूचना एकत्रीकरण के लिए अपने कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर को दायित्त्वबद्ध करेंगे, जो समस्त सी.बी.ई.ओ. गण से प्राप्त सूचना जिला स्तर पर समेकित कर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर की पूर्वोल्लेखित ई-मेल आईडी पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. बाल सभा आयोजन के दौरान प्रत्येक कक्षा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बालक/बालिकाओं को पुरस्कृत किए जाने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करवाएँ।
6. माह मई-जून, 2019 की शिविरा पत्रिका के सयुक्तांक में बाल सभा पर विशिष्ट सामग्री प्रकाशित की जाकर उक्त अंक को 'बाल सभा विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में विभाग में कार्यरत इच्छुक एवं अभिरुचि सम्पन्न शिक्षकों/कार्मिकों से विषयानुरूप रचना सामग्री यथा-आलेख, कविताएँ एवं फोटोग्राफ सम्पादक-शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334001 के पते पर आगामी एक सप्ताह की समयावधि में भिजवाए जाने हेतु क्षेत्राधिकार में तत्काल निर्देश प्रसारित करावें। इस सम्बन्ध में रचना/कविता प्रेषण हेतु सृजनशील एवं मेधा सम्पन्न विद्यार्थियों को भी प्रेरित करने के समुचित प्रयास किए जावें।
7. उक्त बाल सभा आयोजन के पश्चात् विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी 9 मई 2019 को विद्यालय में किया जाए।
8. पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप मौजूदा सत्र के अन्तिम कार्य दिवस अर्थात् 09.05.2019 को ही PTA तथा SDMC/SMC की साधारण सभा का संयुक्त आयोजन भी किया जाना है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता से उपर्युक्त निर्देशों की पालना/क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

खोजें नन्हे की चपलता का राज

चंचल चितवन को तराशती है : बाल सभा

❒ विनोद पानेरी

बागीदौरा (बांसवाड़ा)। बाल सुलभ चेष्टा को उचित मंच प्रदान कर उनकी चंचलता और चपलता को तराशने का काम बल सभा से किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में बालसभा आयोजन का उद्देश्य हर बालक में छिपी विशिष्ट प्रतिभा को पहचान कर उसकी भावना के अनुरूप कौशल का विकास करना है। इस आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षकों का बालकों को प्रोत्साहन मिले तो पूरी कक्षा में गुमसुम बैठनेवाला बालक भी सक्रिय होकर हर गतिविधि में उत्साह से भाग लेगा और उसकी उमंग और उत्साह में अप्रत्याशित परिवर्तन आएगा। प्रत्येक बालक अपने से श्रेष्ठ बालक की प्रतिस्पर्द्धा के भाव मन में रखता है। हर बालक मन मे यह सोच रखता है कि वह कुछ अलग से ऐसा करें जिससे कक्षाध्यापक, विषयाध्यापक और प्रधानाचार्य तक की दृष्टि उस पर पड़े ओर उसे प्रोत्साहन मिले। ऐसे बालकों का चयन करना और उनके मन को सकारात्मक क्रियाओं के साथ जोड़ने के लिए बाल सभा एक महत्त्वपूर्ण बन सकती है। कई बार शिक्षण गतिविधि में एक साधारण सा दिखने वाला बालक अन्य प्रवृत्तियों में सबसे आगे पाया जाता है। आवश्यकता है ऐसे बालकों का चिह्नीकरण कर उन्हें उनकी इच्छित प्रवृत्ति के साथ सरल और सुगमता से जोड़ने की। बाल

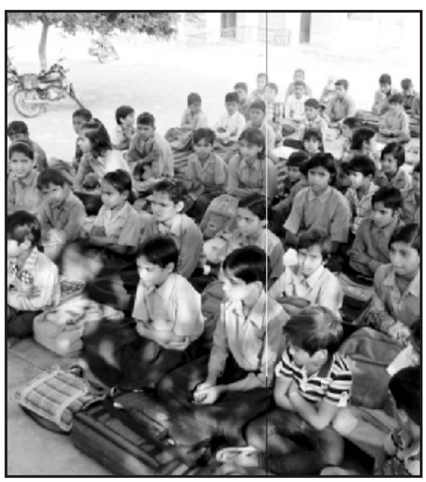

सभा में जरूरी नहीं कि साहित्यिक घटक ही शामिल किए जाएँ। इनमें सांस्कृतिक और लघु खेल की गतिविधियों को भी जोड़ा जा सकता है। मनोविज्ञान के आधार पर निःसन्देह जो बालक शिक्षण कार्य में रुचि नहीं रखता है इसका मतलब उसका अन्य प्रवृत्ति की तरफ झुकाव है। ऐसे बालकों की पहचान एक कक्षाध्यापक आसानी से कर सकता है। ऐसे बालकों की हम निम्नानुसार प्रवृत्तियों में से चयन कर उनकी बाल सुलभ चेष्टा को रोचक कार्यशैली में मोड़कर सकारात्मकता की ओर रेखांकित कर सकते हैं।

1. **साहित्यिकः-** कविता, कहानी, भाषण, लघु कथा, एकाकी, एकाभिनय, मूकाभिनय, लघु नाटिका।
2. **सांस्कृतिकः-** गीत, समूहगीत, एकल नृत्य, युगल नृत्य, समूह नृत्य, वेशभूषा।
3. **खेलः-** लघु खेल, मानसिक/शारीरिक क्षमता पहचान।
4. **जीवनी वाचनः-** महापुरुषों की वेशभूषा पहन कर उनकी जीवनी का वाचन।
5. **वाद-विवादः-** किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में बालकों को संक्षिप्त में अपने स्वयं के विचार बोलने के लिए प्रोत्साहित करना।

वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक
राबाउमावि. बागीदौरा, जिला-बांसवाड़ा
मो: 9829781207

बाल अभिव्यक्ति

बालकों के व्यक्तित्व निर्धारण में बालसभा की भूमिका

❐ सम्पत लाल शर्मा 'सागर'

प्रायः हम यह सुनते हैं कि 'उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है' इस प्रकार के कथन प्रायः व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि बाह्य रूप से बहुत 'चुप' दब्बू सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत गहरा चिन्तक एवं सृजनात्मक होता है अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति के बाह्य स्वरूप को देखकर किसी के व्यक्तित्व का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

व्यक्तित्व के सम्बन्ध में एक और भी सामान्य लेकिन भ्रामक विचारधारा मिलती है व्यक्तित्व को चरित्र का पर्याय मान लिया जाता है जबकि चरित्र से तात्पर्य व्यक्ति की नैतिक आस्थाओं से होता है, व्यक्ति पूर्ण रूप से एक मनावैज्ञानिक संप्रत्यय है। व्यक्तित्व एवं चरित्र को एक-दूसरे का समरूप एवं पर्याय नहीं माना जा सकता।

इस प्रकार अब नवीन अवधारणा के अनुसार व्यक्तित्व को केवल बाह्य व्यवहार का द्योतक नहीं माना जा सकता, यह उपेक्षित नहीं किया जा सकता है क्योकि व्यक्तित्व निर्माण में आन्तरिक पक्ष की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है बालसभाओं के माध्यम से बालकों के व्यक्तित्व के आन्तरिक पक्ष को सबल बनाया जा सकता है बालसभाओं में अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक अपनी झिझक को दूर करने में सफल रहता है तथा उसका व्यक्तित्व निडर बनता है

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में शारीरिक आधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि बालक को यह शरीर माता-पिता के गुण सूत्रों के संयोजन से प्राप्त होता है अतः वे समस्त विशेषताएँ जो माता-पिता में होती है उसे स्वतः ही मिल जाती है किन्तु कुछ विशेषताएँ ऐसी होती है जो शिक्षा, वातावरण एवं सांस्कृतिक परिवेश से व्यक्ति में उत्पन्न होती है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। शिक्षा विद्यालय एवं इनसे सबन्धित गतिविधियाँ तथा बालसभा भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित

करती है।

विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, इसमें परिवार का वातावरण महत्त्वपूर्ण है तथा माता-पिता के सम्बन्ध सामान्य नहीं हैं तो बालक के व्यक्तित्व पर भी हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। परिवार का आकार एवं बालक की परिवार में स्थिति भी बालक के व्यक्तित्व को तय करेगी जैसे यदि परिवार छोटा है अकेली सन्तान है तो बालक का जिस प्रकार का व्यक्तित्व होगा वह बड़े आकार वाले परिवार के बालक से भिन्न होगा

विद्यालय का वातावरण भी बालक के व्यक्तित्व के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है जहाँ अनुशासित शिक्षक एवं प्रशासन है, उत्तम कोटि की पुस्तकों से सम्पन्न पुस्तकालय है, स्वध्याय प्रेमी शिक्षक हैं, सृजनशील शिक्षक हैं, साहित्य के प्रति अनुराग रखने वाले शिक्षक हैं वहाँ बालकों के व्यक्तित्व का वांछित विकास न हो, यह हो ही नहीं सकता।

वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में बालसभाओं के आयोजन करवाए जा रहे हैं जो बालको के व्यक्तित्व निर्माण में एक सकारात्मक कदम है। बाल सभाओं के माध्यम से बालकों में अभिव्यक्ति कौशल के साथ-साथ विभिन्न कला कौशलों का विकास हो रहा है साथ ही विभिन्न प्रकार की मानवीय मूल्यों से युक्त जानकारियाँ बालको को प्रदान की जा रही है। बाल सभा के माध्यम से बालको में सृजनात्मक प्रवृत्ति भी विकसित की जा सकती है बालक स्वयं छोटी-छोटी बाल कहानियाँ, कविताएँ सृजित कर बाल सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो आगे चलकर वे अच्छे साहित्यकार भी बन सकते हैं यदि शिक्षको द्वारा समुदाय के साथ मिलकर इन बाल सभाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है तो निःसंदेह बालकों में उत्तम संस्कारो का बीजारोपण किया जा सकता है उनके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सभी शिक्षकों को इन बालसभाओं में अपने मौखिक विचारों को रखते हुए बालको को भी प्रेरणादायी अभिव्यक्ति प्रदान करने हेतु प्रेरित करना चाहिए। यदि विद्यालयों में वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जिसमें बालकों की स्वरचित रचनाओं को स्थान दिया जाए तो बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष योगदान प्रदान होगा।

यदि सभी संस्थाप्रधान, शिक्षकगण सरकार की दिशा के अनुसार विद्यालयों में आयोजित होने वाली बालसभाओं को तन-मन से सफल बनाने का प्रयास करते हैं तो बालकों के प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने में सफल हो सकते हैं।

प्राध्यापक
रा.आ.उ.मा.वि. जवासिया
पो.गिलूण्ड, जिला-राजसमन्द
(राज.)-313207
मो. 8003264828

बाल शिविरा

एक लड़की

❐ सुहानी सिंह

सुहानी-सी एक लड़की
जो खोई रहती थी अपनी ही
दुनिया में,
क्या भला क्या बुरा,
मानती बस एक
छोटी-सी दुनिया में।
परियों के नए ख्वाब पिरोती
मस्त मगन रहती थी।
सोच न पाई वो इसे,
कि दुनिया कितनी मतलबी है।
इस दुनिया के लोग सभी,
न जाने कितने अजनबी हैं।
एक बार वो निकल पड़ी,
अपनी पहचान बनाने को।
पर जंजीरों ने उसे रोक दिया,
कहीं भी न जाने को।
फिर सहती रही,
इस दुनिया के जुल्मों सितम।
टूट ही रहा था, उसके
सपनों का दम।
तभी अपनी ताकत को,
उसने पहचाना था।
अब उसने अपने जीवन को
दिया नया सवेरा था।

कक्षा-4
पिता का नाम - रामबाबू सिंह
राआउमावि. चरणनदी-।। जयपुर (राज.)

मेरी माँ

❐ मनिषा छिम्पा

मेरी माँ, प्यारी माँ, अच्छी माँ,
मुझको लगती सच्ची सच्ची माँ।
माँ मुझे रोज सुबह उठाती है,
उठते ही साफ पानी से कुल्ले कराती है।
साफ पानी पीकर हम हो जाते फ्रेश,
फिर लगाने जाते हम खेतों में रेस।
रेस लगाकर आते घर पर माँ देती है दुग्ध,
पीकर के दुग्ध हम हो जाते मजबूत।
फिर माँ हमको है नहलाती,
ड्रैस पहनकर अब मैं और इठलाती।
बैग उठाकर जब मैं स्कूल जाती,
रस्ते भर में गिनती सुनाती।
स्कूल में सर-मैडम पढ़ाते,
आधी छुट्टी में हम खाना खाते।
पूरी छुट्टी में हम घर जाते,
घर जाते ही मम्मी हम पर प्यार लुटाती।
दादी हमको प्यारी-प्यारी कहानियाँ सुनाती,
पापा बैठाकर के होमवर्क करवाते।
फिर हम दादा के संग खाना खाकर,
गहरी नींद में सो जाते।।

कक्षा - 9
राउमावि. रामबाग, बीकानेर

स्कूल

❐ सुमित्रा मकवाना

सूरज जागा हुआ सवेरा
पेड़ों पर पंछी का डेरा।
मैं जब सोयी रहती हूँ
सपनों में खोयी रहती हूँ।
माँ तब मुझे जगाती है
मीठी चाय पिलाती है।
कहती है तुम उठ जाओ
नहा-धो कर स्कूल जाओ।
फिर स्कूल को जाना होता
करना कुछ ना बहाना होता।
छू कर माता-पिता के पैर
करने जाते स्कूल की सैर।
करके गुरुओं को प्रणाम
पहले लेते प्रभु का नाम।
स्कूल में खेल खिलाते गुरुजन
शिक्षा नई दिलाते गुरुजन।
पढ़ लिख कर हम बने महान
करें देश का ऊँचा नाम।

कक्षा-5
रा.उ.प्रा. विद्यालय
खारा लौहान,
नांदडा (कोलायत),
बीकानेर

बैठी बैठी

❐ प्रतिष्ठा यादव

बैठी बैठी क्या कर बैठी।
खुद से ही झगडा कर बैठी।।
अपनों से शिकवा कर बैठी।
क्या करना था, क्या कर बैठी।।
लाख छिपाया खुद को जिससे।
उसको ही अपना कर बैठी।।
ईक रहजन के जिम्मे देखो।
मैं सारा रस्ता कर बैठी।।
उसकी इज्जत के खातिर में।
खुद को ही रूसवा कर बैठी।।
रिश्तों की जद में रहना था।
किस-किस को सजदा कर बैठी।।

कक्षा-7
राजकीय उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक
विद्यालय चक रजदा प.सं. चाकसू,
जिला-जयपुर

एक-अनेक

❒ वसुंधरा

क्या है एक, क्या है अनेक।
पेड़ है एक, पत्तियाँ है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
माणक है एक, मोती है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
फल है एक, बीज है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
पायल है एक, घुंघरु है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
हाथ है एक, अंगुलियाँ है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
अध्यापक है एक, बच्चें है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
सिर है एक, बाल है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
मुँह है एक, दांत है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
कमीज (शर्ट) है एक, बटन है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
किताब है एक, पृष्ठ है अनेक।।

क्या है एक, क्या है अनेक।
तालाब है एक, मछलियाँ है अनेक।।

कक्षा - 4
रा.शि.क.प्रा.वि. सरूपेणी
मालियो का वास, बान्दरा,
ब्लॉक व जिला-बाड़मेर

अँधियारे को ललकारा

❒ नितू वर्मा

जिसने पहला दीप जलाकर।
अँधियारे को ललकारा है।।
उजियारे के उस सपूत को।
सादर नमन हमारा है।।
जिसने पहला पाँव नठाकर।
पथ का रूप सँवारा है।।
निर्जन वन के उस पथिक को।
सादर नमन हमारा है।।
जिसने पहला हाथ बढ़ाकर।
सबको दिया सहारा है।।
मँझधारों के उस माँझी को।
सादर नमन हमारा है।।
जिसने पहला शूल हटाकर।
फूलों को सत्कारा है।।
मानवता के उस माली को।
सादर नमन हमारा है।।
जिसने पहला तिलक लगाकर।
जय का मंत्र उच्चारा है।।
मातृभूमि के उस शहीद को।
सादर नमन हमारा है।।

कक्षा - 8
रा.आ.उ.मा.वि., भारणी,
श्रीमाधोपुर, सीकर (राज.)

जल संरक्षण

❒ सीमा प्रजापत

प्रस्तावना–जल पृथ्वी पर ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है। धरती पर जीवन जल की उपस्थिति की वजह से ही संभव हुआ है। स्वादहीन गंधहीन एवं रंग विहीन होते हुए भी जल इस धरती पर प्राणियों के जीवन को स्वाद रंग एवं अच्छी सुगंध से परिपूर्ण बनाता है। हमें वह हर जगह नदी, समुद्र, टंकियों, कुओं एवं तालाबों इत्यादि में मिल जाता है। लेकिन स्वच्छ पानी पीने योग्य जल की फिर कमी है। इसका अपना तो कोई स्वरूप नहीं है लेकिन हम इसे जिस बर्तन में रखते हैं यह उसका ही स्वरूप ले लेता है। वैसे तो जल धरती के तीन हिस्से में मौजूद है लेकिन फिर भी हमें जल के संरक्षण की आवश्यकता है क्योकि साफ जल की उपलब्धता का प्रतिशत बेहद कम है।

स्वच्छ जल का महत्त्व–जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है, सभी जीवित प्राणियों जैसे पशु पौधों इत्यादि को जीने एवं बढ़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है हमें खाना पकाने, स्नान करने, कपड़े धोने, पोधों में जल देने इत्यादि सभी कार्यो के लिए सुबह से रात तक जीवन के हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता होती है जैसे कि किसानों को अपनी फसल के उत्पादन के लिए, मालियों को पौधों की सिंचाई के लिए इत्यादि के लिए अतः हमें हमारी भावी पीढ़ी के कल्याण एवं जल एवं अन्य जीवन के लिए संरक्षण के लिए स्वच्छ जल का संरक्षण करना चाहिए।

निष्कर्ष–हमें अपने जीवन में जल के महत्त्व को समझते हुए जल के सदुपयोग व उचित जल प्रबन्धन के द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए।

कक्षा–6
रा.बी. मा. विद्यालय
आँधी, (जमवारामगढ़), जयपुर

बेटी

❒ अर्पिता चौधरी

सजा नहीं, सपना होती है बेटी।
गैरों के बीच एक अपना होती है बेटी।।

रंगों से सजाती है आंगन घरों के।
आंगन की अल्पना होती है बेटी।।

वेदना नहीं, वरदान होती है बेटी।
आस्था और अरमान होती है बेटी।।

वजूद उसका, कभी मिट सकता नहीं।
भार नहीं जीवन का, सार होती है बेटी।।

सुख की सुबह हो या गम शाम की।
बिना कहे हरपल साथ होती है बेटी।।

जीवन की उलझी राहों के बीच।
एक सहज संवदेना होती है बेटी।।

हक होता है किन्तु हक की बातें करती नहीं।
हकीकत और हसरतों का इन्द्रधनुष होती है बेटी।।

आंखों में रखकर पलकों से सजाती है जीवन।
सच पूछें तो कभी सीता, कभी राम होती है बेटी।।

कक्षा–11, विज्ञान वर्ग
राज.उच्च माध्यमिक, विद्यालय
नासिरदा, तह. देवली (टोंक)

समय की ताकत

❒ विक्रम भारती

समय बड़ा हूँ तेज मैं,
अद्‌भुत मेरा है खेल,
पकड़ में किसी के न आता मैं,
दौड़ा ही दौड़ा जाता मैं।।
जो कोई भी मुझे है समझता,
सदुपयोग मेरा वो करता,
बना लेता मुझे वो अपनी,
जिन्दगी का सुनहरा मौका।।
एक बार अगर मैं चला जाऊँगा,
वापस लौटकर कभी ना आऊँगा,
रोते ही तुम रह जाओगे,
हाथ कभी ना आऊँगा।।
वक्त मेरा है दूसरा नाम,
सबका मुझ पर समान अधिकार,
24 घंटे की है बात,
कर लो मेरा तुम सम्मान।।
कहता हूँ मैं, समझ लो तुम मुझे,
अभी भी हूँ मैं तुम्हारे पास,
बनके मेरे साथी तुम, बन जाओ,
अपनी जिन्दगी के स्वयं सरताज।।

कक्षा–11
विज्ञान वर्ग
रा.बा.उ.मा.वि. मिर्जेवाला, श्रीगंगानगर

स्वच्छता

❒ मोनू कंवर

गंदे रहना ठीक नहीं,
साफ रहो जी, साफ रहो।
कमरा, घर और गली-मोहल्ला,
कही न हो कचरे का हल्ला।
इनसे-उनसे सबसे कहो,
साफ रहो जी, साफ रहो।
यदि कही हो जरा गंदगी,
हाथ बढ़ा, उठाओ गंदगी।
कूड़ा कही पड़ा न हो,
साफ रहो जी साफ रहो।

पिता का नाम : श्री विक्रम सिंह
कक्षा–4
रा.आ.उ.मा.वि.
थिरपाली बड़ी (चूरू)

अबलक घोड़ा

❒ सोनू

अबलक घोड़ी लाल लगाम।
तीन लाख है इसके दाम।।

आभूषण भी कई कमाल।
छमछम नाचे सरपट चाल।।

जैसे हुआ ठंड का अंत।
आया झटपट यहाँ बंसत।।

उसके ऊपर एक सवार।
बैठे हर क्षण ऐनक धार।।

और फटाफट चढ़ा किशोर।
साथ घूमने चारों ओर।।

ऋषभ श्रवण है ज्ञानी मित्र।
यहाँ–वहाँ के लेते चित्र।।

कक्षा – 4
राआउमावि, थिरपाली बड़ी (चूरू)

नामांकन बढ़ायेंगे

❒ विक्रम

परीक्षा हुई खत्म हमारी अब छुट्टियाँ मनायेंगे।
किताब पोथी साथ में लेकर नानी के घर जायेंगे।।
दही चूरमा और रोटियाँ कूद-कूद कर खायेंगे।
नानाजी के खेत में जाकर चना-घूघरी खायेंगे।।
मिट्ठे बेरों वाली बेरड़ी के बेर झड़कायेंगे।
परीक्षा हुई खत्म हमारी अब छुट्ठियाँ मनायेंगे।।
किताब पोथी साथ में लेकर नानी के घर जायेंगे।
नामांकन में हर एक बच्चा सरकारी स्कूल से जोड़ेंगे।।
गुरुजनों के आर्शिवाद से अज्ञानता का ठीकरा फोड़ेंगे।
रैली, नुकड़-नाटक करके शिक्षा की अलख जगायेंगे।।
परीक्षा हुई खत्म हमारी अब छुट्ठियाँ मनायेंगे।

कक्षा–12
रा.उ.मा.वि. पटवा (भादरा),
हनुमानगढ़
मो. 6367295374

नैतिक शिक्षा

बालकों के चरित्र का विकास

❒ वृद्धि चन्द गोठवाल

मैंने स्वतंत्रता दिवस पर एक शिक्षक मित्र से पूछा कि क्या तुम्हारे विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण की शिक्षा पर कोई विशेष कार्यक्रम होता है? वह भैया मुस्कुरा दिया, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ ही क्षणों के पश्चात् मैंने पुनः यही प्रश्न किया तो उसने मज़ाकिया स्वभाव में कहा कि 'शिक्षक ही चरित्रवान हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।' मैंने बात को लम्बी-चौड़ी नहीं करके मनन किया कि शिक्षक मित्र की बात में कुछ सच्चाई है, जिसकी गवाही समाचार-पत्रों से होती रहती है।

दरअसल बालकों की शिक्षा में चारित्रिक विकास का अभाव महसूस होता है। शिक्षक एवं बालकों का चरित्र समाज एवं राष्ट्र के लिए अत्यंत लाभदायक है और चरित्र ज्ञान, विचारों और आदतों से बनता है। हर प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालपन से लेकर युवावस्था तक विद्यालय में ही मिलती है क्योंकि चरित्र जीवन की अमूल्य निधि है। कहा गया है-

पाहन गिरि से जो गिरे, मरे एक ही बार।
चरित्र गिरि से जो गिरे, बिगड़े जन्म हजार।।

चरित्र की सार्थकता नैतिक शिक्षा पर निर्भर है। चरित्र गुणों की खान है, यह कोई फल नहीं है जो पेड़ पर लटकता हो और तोड़ लिया जाए अथवा कोई भौतिक वस्तु नहीं जो बाजार से क्रय हो जाए। बालक असंगत और कुविचारों की तरफ आकृष्ट नहीं हो, इसके लिए विद्यालयों को महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। आज बालकों को गुणों में, योग्यता में, सामर्थ्य में और दक्षताओं में विद्यालय को मानवीय सेवा की शिक्षा पर अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिनमें अभिभावकों को अवश्य जोड़ा जाए।

वार्षिकोत्सव, वार्षिक परीक्षा पूर्व छात्रों की विदाई समारोह और महापुरुषों की जयन्ती पर अभिभावक सम्मेलन हो, ताकि परिवार के लोग भी बालकों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने की जिम्मेदारी का अहसास कर सकें। जीवन-पथ को आलोकित करने वाली पवित्रता पहले अभिभावकों के मन में चित्रित होगी तो विद्यालय को बल प्राप्त होगा। अभिभावकों को भी यह तो महसूस हो कि मनुष्य भले ही धन-दौलत और मणि-माणिक्य के खजाने का स्वामी हो और बालक चरित्रवान नहीं हो तो जीवन की सारी यश-कीर्ति बेकार हो जाती है। शिक्षक एवं अभिभावक के सम्मिलित प्रयासों से बालकों के विकास में सुदृढ़ता आती है। चरित्र की महिमा के बारे में ऐसा माना गया है कि मनुष्य का धन चला जाए तो मानों कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य नहीं रहता है तो समझा जाता है कि कुछ नुकसान हुआ है, परन्तु जिसका चरित्र ही नष्ट हो जाता है तो मानों उसके जीवन का सब कुछ चला जाता है। एक दोहा है-

धन ग्यो तो काँई हुयो, आतो-जातो रेय।
चरित आपणों श्रेष्ठ तो, सगली चीजां होय।।

विद्यालयी शिक्षा के दौरान बालकों के चारित्रिक सद्गुणों में विकास का दायित्व मुख्य है। शिक्षक को प्राण-प्रण से बालक के जीवन में नैतिक आचरण की वृद्धि करनी चाहिए। प्रसंगवश मैं अपने सेवाकाल में किया सफल प्रयोग बताता हूँ।

सन् 1986 में कक्षा छः से आठवीं कक्षा के पच्चीस बालकों का एक दल गठित किया। उन्हें चार माह अक्टूबर से लेकर जनवरी तक प्रतिदिन अन्तिम कालाँश में एक साथ बिठाकर लघु प्रेरक प्रसंग, कहानियाँ, राष्ट्रभक्ति के गीत एवं नैतिक आचरण की शिक्षा हेतु महापुरुषों की जीवनियाँ सुनाई। दूसरे दिन प्रार्थना-सभा में एक बालक को वही प्रसंग सुनाने के लिए नियुक्त किया। बालकों की रुचि से प्रवृत्ति का अच्छा प्रभाव हुआ। शिक्षक एवं अभिभावकों द्वारा प्रवृत्ति की सराहना हुई क्योंकि बालकों में अनुशासन, कर्त्तव्यनिष्ठा, सद्व्यवहार, गुरु एवं माता-पिता के प्रति अच्छा आचरण होने लगा एवं बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति करने की हिम्मत बढ़ गई।

मुझे आज भी बालकों के चारित्रिक गुणों में वृद्धि का स्मरण होता है। विद्यालय में शिक्षक रुचिपूर्वक ऐसी छोटी-छोटी प्रवृत्तियों द्वारा बालकों के चारित्रिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकता है। महापुरुषों की माला एक खेल है जिसमें एक बालक कोई भी एक महापुरुष का नाम बोलता है, दूसरा बालक पहले बालक द्वारा बताए गए महापुरुष का नाम फिर अपनी ओर से नए महापुरुष का नाम जोड़ता है। ऐसे 10 वाँ बालक पहले बालक से 9वें बालकों के नाम क्रमशः बोलता है फिर अपनी ओर से एक जोड़ता है यह क्रम अंतिम बालक के बाद पहला बालक अपने से अंतिम तक बोलकर फिर नया जोड़ता है। यही क्रम चलता रहता है। जो गलत बोलते हैं आउट होते जाते हैं। इससे महापुरुषों के नाम से स्मरण की शक्ति भी बढ़ती है।

पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ अपने अध्यापन में समय-समय पर बालकों को नैतिक शिक्षा देना शिक्षक का दायित्व भी है। लक्ष्य, प्रवृत्ति और समय का चयन करने पर शिक्षक पर प्रतिबंध नहीं है बशर्ते योजना सोद्देश्य एवं बालकों के चरित्र का विकास करने वाली हो। कहा जा सकता है एक मशीन तभी तक ठीक तरह काम करती है, जब तक उसके पुर्जों में कोई गड़बड़ी नहीं होती, परन्तु पुर्जों में थोड़ी सी गड़बड़ होते ही मशीन रूक जाती है। यही हाल बालक के जीवन का है।

बालकों के चरित्र निर्माण में कोई एक बुराई आ जाती है तो समस्त आदर्श निन्दा में बदल जाते हैं और शैक्षिक विकास में अवरोध भी आ जाता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि बालकों का चरित्र निर्माण करना भी एक तपस्यापूर्ण कर्त्तव्य है। अतः तपस्या भंग नहीं हो जाए यह सावधानी छात्र एवं शिक्षक को हर पल रखनी चाहिए। क्योंकि गलतियों एवं भूलों का प्रहार बहुत खतरनाक होता है इसीलिए चरित्र की महिमा अवर्णनीय है।

व्याख्याता (से. नि.)
ग्रा.पो. कपासन, चित्तौड़गढ़ (राज.)-312202
मो: 9414732090

तुलना ना कीजिए-खुद को आदर दीजिए

❒ रामविलास जांगिड़

एक किसान था और उसके बगीचे में एक नीम था। भरपूर छायादार। वह किसान भी उसकी छाया में आनन्द लेता था। नीम की छाल, पत्ते, टहनी, निम्बोली आदि विभिन्न दवाइयों में काम आती थी। पड़ोस में एक और बगीचा था। बगीचे में आम के पेड़ थे। रसीले आमों को देखकर किसान के मुँह में पानी आ जाया करता। वह करने लगा चिंता नीम की। कड़वी निम्बोली को कैसे बनाऊँ आम। उसने उपाय सोचा। पढ़ा लिखा था अच्छा खासा तो लिया विज्ञान का सहारा। नीम के पेड़ को देने लगा इंजेक्शन। आम बनाने के करने लगा वैज्ञानिक उपाय। कुछ दवाइयाँ मिलाने लगा नीम की जड़ में। गोली, केप्सूल, सीरप और न जाने क्या-क्या। बनाने लगा नीम को आम। नीम को आम बनाने की भरपूर कोशिश की बेचारा नीम सूख कर खाक हो गया। प्राण पखेरू उड़ गए उस नीम के। उसे किसी ने कहा कि इस बड़े जवान नीम की बजाय बच्चे नीम पर यह कोशिश करता तो जरूर रंग लाता।

उस किसान ने एक बच्चे नीम पर यह कोशिश लगा दी। छोटा सा बच्चा नीम । नन्हीं कोंपले, नन्हीं पत्तियाँ। क्या करता बेचारा। तीन घंटे में ही ढेर हो गया। भ्रूण हत्या हो गई नन्हें नीम की। आम बनाने के चक्कर में नीम की हत्या हो गई। प्यारे! अब तो हम विचारें।

क्या कोई नीम किसी प्रयास से आम बन सकता है? नीम, आम की तुलना में कितना गुण हीन है? जीवन में नीम का महत्त्व, वाकई कोई महत्त्व नहीं है? मेरे अपने मौलिक गुण कौन-कौनसे हैं? मेरे अपने गुणों की महत्ता को मैं विद्यालय में कितना सम्मान देता हूँ? मैंने बालकों के किन गुणों को बदलने की चेष्टा की है? मैं अपने मूल स्वभाव को कितना बदल पाया हूँ?

मैं अपने व्यक्तित्व की महत्ता समझ कर हर एक बालक के व्यक्तित्व की प्रशंसा करना कब शुरू करूँगा?

इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं बन सकता। राम, रहीम, कृष्ण, महावीर, गाँधी, टैगोर आदि कभी दोबारा नहीं आ सकते। हम न तो राम बनें और न ही रहीम। हम तो जैसे है वैसे हो जाएँ। नीम का भी उतना ही महत्त्व है जितना आम का। हंस का भी कौवे से ज्यादा महत्त्व नहीं है। घास के फूल का उतना ही महत्त्व है जितना कि गुलाब के फूल का महत्त्व। सबका अपना-अपना भरपूर महत्त्व है। हम जैसे हैं बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

अपने व्यक्तित्त्व को आदर दीजिए। अपने व्यक्तित्व को सम्मान दीजिए। यूं दूसरों से तुलना हरगिज न कीजिए। हर एक बच्चा महत्त्वपूर्ण है। हर एक बालक अद्‌भुत, अनोखा अद्वितीय है। आइए हम सब मिलकर शिक्षा द्वारा हर एक बालक की महानता को उद्‌घाटित कर महान राज्य और देश के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। फिर देखिए जीवन में सरगम कैसे होती है पैदा।

18, उत्तम नगर, घूघरा,
अजमेर (305023) राजस्थान
मो. 9413601939

मई-जून का महिना, परीक्षा व परिणाम

❒ बी. के. गुप्ता

इन दिनों परीक्षाएँ चल रही है विद्यार्थियों की स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालयों एवं राजनेताओं की चुनावों तथा किसानों की फसल पैदावार की परीक्षाएँ चल रही हैं। इन सभी परीक्षाओं का परिणाम माह मई-जून में आना तय है, जहाँ एक ओर परीक्षा व्यक्ति को परिश्रम व लगन से कार्य करना सिखाती है वहीं उसका परिणाम आगे की राह तथा भविष्य की योजना तय करने में मददगार साबित होता है।

परीक्षा परिणाम की सभी को उत्सुकता रहती है, किन्तु आज के समय में अभिभावक उनसे भी ज्यादा उत्सुक व चिंतित रहते हैं याद करो वो दिन जब हम कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम के लिए दिन 5-10 कि.मी. दूर जाकर अखबार में रोल नम्बर मिलने मात्र से ही कितना खुश होते थे तथा अभिभावकों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती थी।

आज हम बच्चों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि बाकि सभी परिस्थितियों को दरकिनार कर उसके परीक्षा परिणाम को ही सबसे महत्त्वपूर्ण समझने लगे हैं। परीक्षा परिणाम को इतना जटिल तथा मानसिक तनावयुक्त बना दिया है कि यदि बच्चे के 90 प्रतिशत अंक आए हो तथा उसी के किसी साथ के 92 प्रतिशत अंक आए हो तो अभिभावक अपने बच्चों को डाँटने-फटकारने लगते हैं, जिससे बच्चे की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि अपने स्वयं के दो परीक्षाओं के अंकों को मिलाकर भी 90 प्रतिशत अंक नहीं आए होंगे।

अब यह महसूस किया जाता है कि विद्यार्थी के 80 प्रतिशत से अधिक अंक आने के बावजूद भी अभिभावक संतुष्ट नहीं है और परिणाम पर बच्चों के प्रति गुस्सा दिखाते हैं। इस गुस्से को बच्चा चेहरे पर पढ़कर खुद निराश होने लगता है, जिसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं इस लेख के माध्यम से सभी अभिभावकों और शिक्षकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि परीक्षा परिणाम की किसी भी स्थिति में दूसरों से तुलना नहीं करें, यदि परीक्षा परिणाम अच्छा रहता है तो आगे बढ़ने के लिए योजना तैयार करें और यदि परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा है तो उन कारणों को खोजें कि कहाँ गलती हुई और उसमें कैसे सुधार किया जाए। भविष्य में आपकी एवं बच्चे की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बच्चे को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए। परीक्षा परिणाम के समय आशावादी दृष्टिकोण अपनाएँ, ताकि किसी भी परिस्थिति में बालक हतोत्साहित ना हो। ये आगे आने वाले दो माह भविष्य के जीवन की योजना के लिए महत्त्वपूर्ण होंगे। इस समय में बच्चों के अन्दर की प्रतिभा तथा क्रिएटिविटी की पहचान कर उन्हें विज्ञान, गणित, वाणिज्य, कृषि, कला के क्षेत्र में अनेक संस्थानों की जानकारी देवें। इसके लिए आप स्वयं या शिक्षकों से सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। यदि इस समय का योजना निर्माण में उपयोग किया जाए तो सामान्य विद्यार्थी भी प्रवेश लेकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

सहायक निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
मो: 9314628409

आदेश-परिपत्र : मई-जून, 2019

● 1. अध्यापक तृतीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा, 2006 के सम्बन्ध में। ● 2. प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर मृतक राज्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में। ● 3. विज्ञान क्लब के संचालन हेतु दिशा निर्देश। ● 4. समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु विशेष अभियान चलाए जाने बाबत्। ● 5. 29 अप्रैल, 2019 को मतदान दिवस के क्रम में राजकीय अवकाश के कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन हेतु। ● 6. वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन हेतु। ● 7. प्राथमिक कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्विति के क्रम में। ● 8. अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में। ● 9. खेलकूद शुल्क की आरक्षित एवं अनारक्षित राशि के संबंध में दिशा-निर्देश। ● 10. नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। ● 11. समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश।

1. अध्यापक तृतीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा, 2006 के सम्बन्ध में।

●राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ●क्रमांक : प.12(2) शिक्षा-1/प्रा.शि./2001 पार्ट जयपुर, दिनांक : 12 मार्च, 2019 ● निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्राशि) राजस्थान, बीकानेर। ●विषय : अध्यापक तृतीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा, 2006 के सम्बन्ध में। ● प्रसंग : आपका पत्रांक शिविरा-प्रारं/नि.प्र./नि-3/17176/ एनटीटी-2007 दिनांक 26.02.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख हैं कि एस.बी. सिविल रिट संख्या 8270/2015 भागीरथ मल यादव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षु अध्यापक पद पर नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति से पूर्व की बी.एड./बी.एस.टी.सी. उत्तीर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थी को प्रशिक्षु अध्यापक पद से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

●(पारस चन्द जैन) शासन उप सचिव

2. प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर मृतक राज्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-I/12247/मृ.रा.आ./ अनु.नियु.प्र.शा.स-III/2019/126 ● दिनांक : 02-04-2019 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा ●विषय :- प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर मृतक राज्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03-10-2017 की अनुपालना में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर मृतक राज्य आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है।

उक्त संबंध में राज्य सरकार के पत्रांकः-प.17(8) शिक्षा-2/2015 दिनांक 18.02.2019 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद हेतु कृषि संकाय से 12 वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की योग्यता/अर्हता एवं अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों की समकक्षता तथा समतुल्यता के संबंध में निदेशालय स्तर पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा लिए निर्णय का अनुमोदन किए जाने के फलस्वरूप 12वीं कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य माना है।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार लेख है कि भविष्य में आपके कार्यालय में 12वीं कृषि विज्ञान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी का प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो उसे नियुक्ति हेतु निदेशालय भिजवाने का श्रम करावें।

●संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

3. विज्ञान क्लब के संचालन हेतु दिशा निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा-स/22498/विज्ञान क्लब/2017-19/82 ● दिनांक :- 03.04.2019 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा। ● विषय :- विज्ञान क्लब के संचालन हेतु दिशा निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2011-2012 पैरा 156 के अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ विज्ञान प्रयोगशालाएँ हों व विज्ञान ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता हो, में विज्ञान क्लब की स्थापना की गई है। पात्रता पूर्ण करने वाले विद्यालयों को वर्ष 2011-2012 से विज्ञान क्लब परियोजना के अन्तर्गत सहायतार्थ अनुदान राशि 10,000/- प्रति क्लब विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा सीधे ही उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी क्रम में सत्र 2018-19 के लिए विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा संलग्न सूची के 160 विद्यालयों को उक्त अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसका आवंटन इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-4/ 25610/2018-19/20 दिनांक : 15.03.2019 से जिशिअ को ड्राफ्ट द्वारा किया गया है। विज्ञान क्लब संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं जिसकी पालना सुनिश्चित करावें :-

1. पात्रता पूर्ण करने वाले चयनित विद्यालयों को इस योजना में सदस्यता हेतु कोड आवंटित किया गया है। विज्ञान क्लब से संबंधित

सभी पत्राचार करते समय कोड का अंकन करना आवश्यक होगा।

2. विज्ञान क्लब योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालय को राशि 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) सहायतार्थ अनुदान के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

3. विज्ञान क्लब हेतु आंवटित राशि 10,000/- को दो भागों में विभक्त किया गया है।

- प्रथम भाग आवंटित राशि 5,000/- में से रुपये 1,000/- के मूल्य की विज्ञान आधारित पुस्तकें, पत्रिकाओं, समाचार पत्र क्रय की जा सकेगी तथा शेष राशि 4,000/- में विज्ञान विषयों पर आधारित सी.डी. (ऑडियो/विडियो मय इन्टर एक्टिव) कार्यशील मॉडल पोस्टर्स चार्टस विज्ञान आधारित किट्स क्रय किए जावेंगे। उपर्युक्त सामग्री क्रय करते समय विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वेब-साईट पर उल्लेखित मॉडल, पुस्तकें, सीडी, विडियो इत्यादि की दरों को ध्यान में रखा जावे।
- द्वितीय भाग में आंवटित राशि 5,000/- का व्यय सम्पूर्ण वर्ष में कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु व्यय किया जाएगा।

4. कार्यक्रम/गतिविधियों के आयोजन एवं सामग्री क्रय करते समय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, राजस्थान की पालना सुनिश्चित करें।

5. विभाग द्वारा स्वीकृति के आधार पर रु. 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित किया जावेगा। राशि प्राप्ति की सूचना जी ए 55 या विद्यालय के लेटर पेड पर संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को लौटती डाक द्वारा प्रेषित करें।

6. विज्ञान क्लब हेतु चयनित विद्यालय को विद्यालय परिसर में (2'x4') का एक बोर्ड लगाना होगा। जिस पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विज्ञान क्लब संबंधित सूचनाओं का विवरण अंकित करना होगा।

7. वर्ष पर्यन्त विभागीय निर्देशों के अनुसार विज्ञान आधारित कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम/गतिविधियों का विस्तृत विवरण विज्ञान क्लब निर्देशिका में उपलब्ध है। जिसके अनुसार आपकी संस्था को प्रत्येक माह में एक कार्यक्रम/गतिविधि तथा 2 महत्त्वपूर्ण दिवसों का अयोजन किया जाना चाहिए।

8. चयनित विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम/गतिविधि की पूर्व सूचना विभाग के संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को दी जावे ताकि विभागीय प्रतिनिधि उन कार्यक्रमों को देख कर मूल्यांकन कर सके।

9. विज्ञान क्लबों के मूल्यांकन/परिवीक्षण हेतु सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्र में भरकर संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

10. वर्षान्त में संपूर्ण कार्यक्रम एवं क्रय की गई सामग्री व्यय का ब्यौरा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र मय व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्रों में (पूर्ण रूपेण भरकर यथा स्थान संस्थाप्रधान के हस्ताक्षर मय सील के) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

11. यदि किसी स्थिति में वर्षान्त में राशि व्यय नहीं की गई हो तो अवशेष राशि विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा लौटाया जाना चाहिए तथा मुख्यालय को इसकी सूचना प्रति वर्ष 31 मार्च से पूर्व प्रेषित की जानी चाहिए।

● संलग्न :- 1. विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग का पत्र दिनांक : 25.02.2019
2. बजट आवंटन आदेश दिनांक : 15.03.2019
3. विज्ञान क्लब गठन के निर्देश।

● **नथमल डिडेल,** आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4. समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु विशेष अभियान चलाए जाने बाबत्।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा-माध्य/मा-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/04 ● दिनांक : 11.04.2019 ● 1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा। ● 2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान। 3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान। ● विषयः समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु विशेष अभियान चलाए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परीक्षा समाप्ति एवं परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों के शत-प्रतिशत नामांकन एवं ड्रॉप आउट दर को समस्त स्तरों पर न्यूनतम दर पर लाए जाने हेतु सतत् रूप से नवीन विद्यार्थी नामांकन एवं उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किए जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. **वर्तमान कक्षा की परीक्षा पूर्ण होते ही नवीन कक्षा में प्रवेश प्रारंभः-** राजकीय विद्यालयों में अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किए जाने हेतु विभागीय निर्देशों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया को अपेक्षाकृत अधिक कारगर एवं प्रभावी बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा-5, 8 तथा 10 की परीक्षाओं में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों का ठहराव उसी विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु परीक्षा समाप्ति के तत्काल उसी विद्यालय की आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश देते हुए नामांकन वृद्धि हेतु अन्य शिक्षण संस्थाओं में अध्यनरत विद्यार्थियों को भी नव प्रवेश देते हुए अग्रांकित विवरणानुसार स्थानीय परीक्षाओं के आयोजन के दौरान आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए विधिवत कक्षा संचालन सुनिश्चित किया जाना हैः-

क्र. सं.	कक्षा, जिसकी परीक्षा में विद्यार्थी प्रविष्ट हुआ है	आगामी कक्षा, जिसमें अस्थाई प्रवेश दिया जाकर संचालित की जानी है	विधिवत कक्षा संचालन प्रारम्भ करने हेतु निर्दिष्ट तिथि
1	कक्षा-5	कक्षा-6	11 अप्रैल-2019
2	कक्षा-8	कक्षा-9	29 मार्च-2019
3	कक्षा-10	कक्षा-11	28 मार्च-2019

2. **समुदाय की सहभागिताः-** उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में राजकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया माह मार्च के अन्तिम सप्ताह में प्रारम्भ हो चुकी है। उक्त प्रवेश प्रक्रिया एवं विद्यालयों में कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखते हुए स्थानीय परीक्षाओं की समाप्ति के तत्काल पश्चात् विद्यालय परिक्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में नामांकन से शेष रहे विद्यार्थियों के चिह्नीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए तथा दिनांक 30 अप्रैल/03 मई, 2019 को SDMC की साधारण सभा एवं शिक्षक-अभिभावक परिषद् की संयुक्त बैठक (PTM) आयोजित कर परिक्षेत्र के समस्त चिह्नित विद्यार्थियों का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु वृहद् स्तर पर पारस्परिक विचार-विमर्श कर ठोस कार्य योजना निर्मित की जाए। इस बैठक में समस्त आगुन्तकों को अपने विद्यालय की स्टार रैंकिंग के बारे में अवगत कराए तथा आगामी सत्र में विद्यालय की रैंकिंग में और अधिक सुधार हेतु स्टाफ के सहयोग से निर्मित की गई कार्य योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की जाए। इस हेतु समस्त अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक लब्धियों की जानकारी देने के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाने वाली शिक्षक-अभिभावक परिषद् (PTA) की बैठकों में आवश्यक रूप से भागीदारी हेतु प्रेरित करने की कार्यवाही की जावे।

3. **नवप्रवेशितों एवं प्रेरणास्पद कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मानः-** संस्थाप्रधान द्वारा ग्राम पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थानों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम तथा वास स्थान के मौजिज व्यक्तियों के साथ समन्वित प्रयास कर आदर्श नामांकन के लक्ष्य को आसानी से गुणवत्ता के साथ अर्जित किया जा सकता है। नामांकन वृद्धि हेतु जन समुदाय के समन्वय से अनुकरणीय कार्य करने वाले शिक्षकों का विद्यालय स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर भी अभियान के दौरान नव प्रवेशित छात्रों के साथ स्वागत किए जाने की कार्यवाही भी इस दिशा में अन्य शिक्षकों एवं कार्मिकों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है।

4. **जन प्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत की विद्यालय में सहभागिताः-** ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्थाई निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक प्रतिमाह दिनांकः 5 एवं 20 को नियमित रूप से आयोजित की जाती है, जिसमें सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम विकास अधिकारी आवश्यक रूप से भाग लेते हैं। उक्त बैठकों में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों द्वारा विद्यालय की स्थानीय समस्याओं एवं मुद्दों के निस्तारण तथा विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास बाबत् स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जुड़ाव तथा सहयोग प्राप्ति हेतु समय-समय पर भाग लेना अपेक्षित है। समस्त संस्थाप्रधानों एवं PEEO द्वारा उक्त विशिष्ट अवसर का लाभ शत-प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक सुअवसर के रूप में उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के PEEO तथा समस्त संस्थाप्रधानों द्वारा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु ग्राम सभा/वार्ड सभा के आयोजन के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा नामित ग्राम सभा प्रभारी, सरपंच तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों, SDMC सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों, स्थानीय भामाशाहों, स्थानीय मीडिया एवं अन्य राजकीय एजेंसियों से पूर्व विचार-विमर्श एवं समन्वय उपरान्त सम्पूर्ण परिक्षेत्र हेतु शत-प्रतिशत नामांकन एवं सुनिश्चित ठहराव की प्रभावी रूपरेखा निर्मित कर तदनुरूप ग्राम पंचायत/ कैचमेंट एरिया के समस्त विद्यार्थियों हेतु सार्थक कार्य-योजना निर्मित की जानी अपेक्षित है।

5. **शनिवारीय बाल सभा से विद्यालय के प्रति रुचि का प्रचार-प्रसारः-** विद्यालय में बालकों की सह-शैक्षिक गतिविधियों में प्राप्त कौशल को विद्यालय के बाहर गाँव की चौपाल अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करने का मंच है-शनिवारीय बाल सभा। विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम की रिपोर्ट में जहाँ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का उल्लेख होता है, वहीं शनिवारीय बाल सभा में कुशल विद्यार्थियों का प्रतिभा प्रदर्शन विद्यालय में हो रहे सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के मूल उद्देश्यों की पूर्ति के पुरजोर प्रयास को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसे में विद्यालय में अप्रवेशित बालक-बालिकाएँ तथा ऐसे बालक-बालिकाओं के अभिभावक प्रभावित होकर विद्यालय से जुड़ते हैं और अप्रवेशित के विद्यालय में प्रवेश का मार्ग सहज हो जाता है। शनिवारीय बाल सभा में इन अप्रवेशित बालकों को अपने हुनर की अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाकर विद्यालय की मुख्य धारा में जुड़ने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार उनके अभिभावकों को इस सभा में अतिथि के रूप में सम्मिलित कर सहज ही उनका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। इस सभा में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन की योजनाओं की सहज अवगति ग्रामवासियों एवं अनामांकित बालक-बालिकाओं के अभिभावकों तक पहुँचाई जा सकती है। इस प्रकार सार्वजनिक स्थल पर बाल सभा आयोजन को विद्यालय के नवीन नामांकन के लिए सशक्त सहयोग का माध्यम बनाया जा सकता है।

6. **ग्रामसभा के माध्यम से अन्य विभागों एवं ग्रामवासियों से नामांकन वृद्धि हेतु समन्वयः-** समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार में समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक तथा PEEO को पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्धारित तिथि की अवगति प्राप्त कर तदनुसार नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु स्थानीय प्रशासनिक

अधिकारियों तथा जिला/उपखण्ड/तहसील प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों/एजेंसियों से वांछित सहयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा आयोजन से पूर्व सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने बाबत समुचित निर्देश प्रदान किए जाएँगे। उक्त ग्राम सभाओं में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO आवश्यकतानुसार स्टाफ सदस्यों का सहयोग लेते हुए समस्त उपस्थित अभिभावकों/ग्रामवासियों को इस विशिष्ट अभियान के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु उनकी सहभागिता प्राप्त करेंगे। साथ ही ग्राम सभा आयोजन में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों/अभिभावकों तथा पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों/कार्मिकों को राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभाग द्वारा लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाए तथा राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों-उपागमों के परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी भी दी जाए।

7. **स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैठकों में नामांकन एक प्रमुख एजेण्डाः-** पंचायत समिति, नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम व जिला परिषद् की साधारण सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं पार्षदों से समन्वय कर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य योजना के अनुसार जिला परिषद, नगरीय निकायों व पंचायत समिति की साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परिषद की साधारण सभा में एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अनुभवी अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त पंचायत समितियों की साधारण सभा में उपस्थित रहकर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी एवं सार्थक जुड़ाव नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु प्राप्त किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

8. **नामांकन के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कार्ययोजना का निर्माणः-** विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु न केवल अप्रवेशित बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन ध्येय होना चाहिए वरन् विद्यालय में पढ़ रहे समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय में सतत ठहराव भी प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। नामांकन की सार्थकता तब ही है जब अध्ययनरत विद्यार्थी आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर ले एवं समस्त अनामांकितों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएँ। इसके लिए पूर्व से ठोस योजना बनाकर कार्य करना होगा। यह योजना दोनों ही लक्ष्यों के लिए पृथक्-पृथक् बनानी होगी। गत सत्र में आऊट ऑफ स्कूल में से शेष विद्यार्थी, जो प्रवेश से अभी भी वंचित है, ऐसे अनामांकित बालक-बालिकाएँ कैचमेन्ट एरिया के विद्यालय में प्रवेश के लिए तत्काल प्रयास प्रारंभ कर दिए जाने चाहिए और उस सामाजिक परिवेश के मौजिज व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, पूर्व विद्यार्थियों एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सहायता से उन्हें नामांकित करने हेतु गम्भीर प्रयास किए जाएँ। प्रवेश आयु वर्ग में आने वाले समस्त शिशुओं की सूची आँगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त कर उनका विधिवत् विद्यालय प्रवेश वर्तमान से ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता का सहयोग लिया जावे। कक्षाध्यापकों के साथ मिलकर अध्ययनरत विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी चिह्नित किए जावे, जिनके अध्ययन की निरंतरता में व्यवधान संभावित हो, उनके अभिभावकों के साथ सतत सम्पर्क उनके ठहराव को बनाए रखने में सहायक होगा। इसी प्रकार विभिन्न स्तर के विद्यालयों की उच्चतम कक्षा स्तर (कक्षा 5/कक्षा8/कक्षा 10) की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ सतत् सम्पर्क में रह कर उन्हें आमागी अध्ययन हेतु उच्च स्तर के विद्यालय की आगामी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रेरित करें। समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान तथा पीईईओ. परिक्षेत्र के अन्य सम्बन्धित विद्यालयों के संस्थाप्रधानों से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करें एवं उनकी सहायता से उनका आगामी अध्ययन सुनिश्चित करें।

क्षेत्राधिकार में समस्त संस्थाप्रधानों को उपर्युक्तानुसार निर्देशित कार्यवाही तथा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य योजना की ठोस एवं सार्थक क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.**, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. 29 अप्रैल, 2019 को मतदान दिवस के क्रम में राजकीय अवकाश के कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन हेतु।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा-स/22418/शिविरा पंचांग/2018-19/211 ● दिनांक : 15.4.2019 ● विषयः 29 अप्रैल, 2019 को मतदान दिवस के क्रम में राजकीय अवकाश के कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन हेतु।

शिविरा पंचांग 2018-19 में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु 30 अप्रैल, 2019 की तिथि निर्धारित की गई थी। इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.3.2019 द्वारा राज्य में प्रथम चरण में 13 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को मतदान दिवस के क्रम में राजकीय अवकाश के कारण वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया था।

सम्पूर्ण राज्य में परीक्षा परिणाम घोषणा में समरूपता के दृष्टिगत पूर्व उल्लेखित आदेश दिनांक 29.03.2019 के अधिक्रमण में कक्षा 6, 7, 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड वितरण हेतु आगामी वृहद् बाल सभा

आयोजन की दिनांक 09.05.2019 को ही परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि निर्धारित की जाती है। सार्वजनिक स्थान पर आयोजित इस वृहद् बाल सभा में वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्रगति पत्रों का वितरण अभिभावकों व ग्रामीणों के समक्ष किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त के अतिरिक्त इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा/तृतीय योगात्मक आकलन में प्रविष्ट हुए विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्ति के तत्काल उपरांत इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित निर्देश पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/मा-स/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/01 दिनांक 26.03.2019 के अनुरूप आगामी कक्षाओं में अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा। अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित/नव प्रवेशित विद्यार्थियों को उक्तानुरूप आगामी कक्षाओं में अंतिम परीक्षा परिणाम आने तक के लिए अस्थाई प्रवेश दिया जा सकेगा।

परीक्षा समाप्ति के उपरांत भी विद्यालय का संचालन समय शिविरा पंचांग में निर्धारित समयानुसार रहेगा। उक्त समयावधि में शिक्षकों का दायित्व अधिक बन जाता है, उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ अन्तःक्रिया (Interactions) से उन विद्यार्थियों की अभिरुचि (Interest), अभिवृत्ति (Aptitude) तथा क्षमता (Capacity) के अनुरूप वर्गीकरण कर आगामी शिक्षण योजना तैयार की जावें। इस प्रकार आगामी कक्षा के पाठ्यक्रम का परिचय शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के साथ किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की उन जिज्ञासाओं (Curiosities) एवं संप्रत्ययों (Concepts) का समाधान किया जावे, जिनका समाधान/अवबोध विगत कक्षा स्तर में दक्षतापूर्वक नहीं हो सका था। नवीन कक्षा के बुनियादी सम्प्रत्यय (Basic Concepts) एवं संक्रियाओं की प्रारंभिक अवगति विद्यार्थियों को प्रदान की जाए। जिससे कि नियमित अध्ययन के समय सरलता से ग्राह्य हो सके। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु एसआईक्यूई. (SIQE) की अवधारणा के अनुसार कक्षा स्तरानुरूप समूह निर्माण किए जावें तथा स्तरोन्नयन हेतु आवश्यक बुनियादी दक्षताओं की अभिवृद्धि हेतु प्रयास किया जावें।

वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा दिनांक 09.05.2019 को होने के कारण पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा का आयोजन ग्रीष्मावकाश के उपरान्त विद्यालयों के पुनः खुलने पर किया जाएगा।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्तानुरूप क्रियान्विति/पालना सुनिश्चित की जाए।

● **(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.** निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

6. वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि में संशोधन हेतु।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/22418/शिविरा पंचाग/2018-19 /214 ● दिनांक 24-04-2019

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 15.04.2019 द्वारा कक्षा 6, 7, 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड वितरण की तिथि वृहद् बाल सभा आयोजन के साथ दिनांक : 09.05.2019 निर्धारित की गई थी। सार्वजनिक स्थल पर आयोज्य बाल सभा की भव्यता बनाए रखने के लिए उक्त निर्देशों में एतद् द्वारा संशोधन किया जाता है :-

1. कक्षा-6, 7, 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड का वितरण दिनांक : 09.05.2019 के स्थान पर दिनांक : 08.05.2019 को विद्यालय परिसर में प्रार्थना सभा उपरान्त (कक्षावार परीक्षा परिणाम की घोषणा कक्षाध्यापकों द्वारा अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में) किया जाएगा। कक्षावार घोषित परीक्षा परिणाम संबंधी चर्चा दिनांक 09.05.2019 को आयोजित वृहद् बाल सभा में ग्रामवासियों के साथ करेंगे ताकि विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि एवं विद्यालय के समग्र परीक्षा परिणाम की अवगति समुदाय के साथ साझा की जा सके।
2. परीक्षा परिणाम की कक्षावार घोषणा के उपरान्त एस.डी.एम.सी. की साधारण सभा एवं अभिभावक-अध्यापक परिषद् की संयुक्त बैठक का आयोजन भी विद्यालय परिसर में आवश्यकतानुसार समय प्रबन्धन करते हुए किया जाएगा।
3. सत्र : 2018-19 में विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना बाबत् विभिन्न जिज्ञासाओं के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा-1 से 4 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना तृतीय योगात्मक आकलन से पूर्व अन्तिम शिक्षण दिवस तक की जानी है। इसी प्रकार कक्षा-6, 7, 9 एवं 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना वार्षिक परीक्षा हेतु परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व अन्तिम शिक्षण दिवस तक की जाए।

वृहद् बाल सभा का आयोजन पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार सार्वजनिक स्थल पर दिनांक : 09.05.2019 को नियत समय पर ही किया जाना सुनिश्चित करावें। परीक्षा परिणाम घोषणा दिवस को एस.डी.एम.सी. की साधारण सभा एवं अभिभावक-अध्यापक परिषद् की संयुक्त बैठक में उपस्थित होने वाले अभिभावकों की उपस्थिति बाल सभा में सुनिश्चित की जाने हेतु पुनः अनुरोध किया जावे।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्तानुरूप क्रियान्विति/पालना सुनिश्चित की जाए।

● (नथमल डिडेल) आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

7. प्राथमिक कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्विति के क्रम में।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांकः शिविरा/मा/माध्य/SIQE/60819/बैठक/2017-18/272 ● दिनांकः 01.04.2019 ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले। ● विषयः प्राथमिक कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर क्रियान्विति के क्रम में। ● प्रसंगः शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्र क्रमांक-

रामाशिप/जय/एसएजी/ 2017/9326 दिनांकः 28.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य शैक्षिक समूह की सत्र 2017-18 की द्वितीय बैठक दिनांक 26.10.2017 के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में लिए गए निर्णय के द्वारा एसआईक्यूई. संचालित राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का स्तर सुधार हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के पश्चात् अप्रैल माह से ही प्रारम्भ किया जाकर लगातार (वर्तमान सत्र के अप्रैल-मई तथा 20 दिन आगामी सत्र माह जून-जुलाई) उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाकर कार्य कराए।

●**(नथमल डिडेल) आई.ए.एस.** निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

8. अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on Computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण के संबंध में।

● कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक-उनि/सशि/मु.म.बजट घोषणा/डिजीटल लिट्रेसी/2015-16/23 ● दिनांक - 12.04.2019 ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय) राज. ● स्मरण-पत्र 1 ● विषय : अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA/RS-CIT and course on Computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पनुर्भरण के संबंध में। ● प्रसंग :- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक - 16 दिनांक 30.01.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक/अधिकारी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA (IGNU), RS-CIT (RKCL) And Course on Computer Concept (CCC) (Nielit) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुनर्भरण (वर्तमान एवं लम्बित) व प्रोत्साहन राशि के नियमानुसार का भुगतान पदस्थापन स्थल से करने के संबंध में बजट आवंटन बाबत जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। कतिपय संस्था प्रधानों द्वारा इस क्रम में बजट आवंटन बाबत् सीधे पत्र व्यवहार किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। जिले की समेकित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिले की समेकित सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30.04.2019 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाएँ। ताकि तदनुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।

क्र. सं.	कार्यालय/ विद्यालय का नाम	कार्यालय/ विद्यालय की आई.डी.	कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है						पुनर्भरण हेतु कुल राशि
			CIC	CIT	BCA	MCA	RS-CIT	CCC / NIELIT	

उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है।

● **(नथमल डिडेल)**, आई.ए.एस., निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

9. खेलकूद शुल्क की आरक्षित एवं अनारक्षित राशि के संबंध में दिशा-निर्देश।

● कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/मा./खेलकूद/35447/2019-20/83 ● दिनांक : 11/04/19 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ● विषय : खेलकूद शुल्क की आरक्षित एवं अनारक्षित राशि के संबंध में दिशा-निर्देश। ● प्रसंग : इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 20 दिनांक 23.05.18 व पत्रांक 45 दिनांक 10.8.18 पत्रांक 46 दिनांक 11.09.18 पत्रांक 70 दिनांक : 15.01.19 के क्रम में।

प्रासंगिक पत्रांकों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का कार्यालय में अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रेषित सूचनाएँ अपूर्ण तथा लेखा नियमों के अनुसार संधारित नहीं की जा रही है अतः उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के अनुक्रम में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. समान परीक्षा योजना के अंतर्गत अर्द्धवार्षिक-वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र वितरण पूर्व नियमानुसार निर्धारित खेलकूद शुल्क की राशि जिले में स्थापित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालय अथवा नोडल केन्द्रों पर छात्र/छात्रा नामांकनानुसार जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2 निर्देशित किया जाता है कि जिले से संबंधित समस्त निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत राशि पुनर्भरण, मान्यता संबंधी कार्य, परीक्षा परिणाम अनुमोदन से पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक निर्धारित कार्यालय एवं केन्द्रों पर नियमानुसार एवं छात्र/छात्रा नामांकनानुसार खेलकूद शुल्क की राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. खेलकूद शुल्क जमा राशि का शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक द्वारा कार्यालय में पदस्थापित लेखाकार/क. लेखाकार द्वारा ऑडिट करवाया जावे। जिस शाला/कार्यालय में प्रतियोगिता शुल्क जमा है उस विद्यालय/कार्यालय के सामान्य ऑडिट के समय भी खेलकूद शुल्क की ऑडिट आवश्यक रूप से करवाई जावे।
4. विद्यालयों द्वारा भेजी गई खेलकूद शुल्क छात्र-छात्रा संख्या के अनुसार कम भेजी गई हो तो अन्तर राशि वसूली हेतु संबंधित विद्यालय को आदेशित किया जावे। शुल्क जमा नहीं करवाने वाले विद्यालय के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक नियमानुसार कार्यवाही कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अविलम्ब सूचित करेंगे।
5. समस्त खेलकूद शुल्क राशि को दो भागों में (आरक्षित राशि 40 प्रतिशत व अनारक्षित राशि 60 प्रतिशत) विभाजित कर रोकड़ बही में अलग-अलग हिसाब रखा जावे।
6. आरक्षित राशि 40 प्रतिशत का व्यय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी आदेश एवं दिशा-निर्देशों अनुसार ही किया जावें साथ ही 60 प्रतिशत अनारक्षित राशि का व्यय ब्यौरा

समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे जाँच हेतु विभाग द्वारा माँग करने पर अविलम्ब प्रस्तुत किया जावे। साथ ही आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि का व्यय केवल खेलकूद मद के अंतर्गत ही किया जाना सुनिश्चित करें अन्य और किसी मद पर उक्त राशि द्वारा पुनर्भरण एवं समायोजन नहीं किया जावें।

7. इस कार्यालय में प्राप्त खेलकूद शुल्क संबंधी सूचनाओं का नियमानुसार पूर्ण अवलोकन करने पर पाया गया कि आप द्वारा प्रेषित खेलकूद प्रतियोगिता शुल्क की राशि संबंधी सूचना प्रसंगानुसार पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रफोर्मा प्रपत्र 01 व प्रपत्र 02 से भिन्न है और विद्यार्थी नामांकनानुसार सटीक नहीं है साथ ही आय अथवा व्यय का ब्यौरा भी पूर्ण नहीं है जोकि प्रथम दृष्टया लेखा अनियमितता की ओर ईशारा करते हैं। अतः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का कठोरता से पालन करते हुए समस्त लेखों का संधारण एकरूपतानुसार करें और चाही गई सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

● **(नथमल डिडेल)** आई.ए.एस., निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

10. नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश।

● कार्यालय निदेशक प्राशि. एवं पं. राज (प्राशि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/वै.शि.प्र./2019-20/ 19810/प्रवेशोत्सव/प्रथम चरण/20 ● दिनांकः 18.04.2019 ● संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.......(समस्त) ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा....(समस्त) ● जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा... (समस्त) ● विषयः नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। ● प्रसंगः आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांक-समसा/जय/वै.शि./प्रवेशोत्सव/2019-20/592 दिनांक : 16.04.2019 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जाएगा।

प्रथम चरणः 26.04.2019 से 09.05.2019 तक होगा।

द्वितीय चरणः ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

संलग्न दिशा-निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आँगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

● संलग्न : उपर्युक्तानुसार

● **निदेशक,** प्राशि. एवं पं. राज. (प्राशि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर।

● नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ● ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर ● क्रमांक : समसा/जय/वै.शि./प्रवेशोत्सव/2019-20/592 दिनांकः 16.04.2019 ● निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर। ● समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद। संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग। ● मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा एवं अति. जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले। ● विषयः नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जाएगा-

प्रथम चरणः 26.04.2019 से 09.05.2019 तक होगा।

द्वितीय चरणः ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

संलग्न दिशा-निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आँगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश सत्र 2019-20

1. प्रस्तावना :-

1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुँच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफी हद तक

प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुँच पाए हैं अथवा किन्हीं कारणों से विद्यालयों में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी, शिक्षक, कार्मिक एवं अभिभावकों द्वारा दिए गए सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 3 वर्ष से 18 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। अतः विगत सत्र अनुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु इस कार्य के लिए एक वृहद् कार्ययोजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किया जाए एवं पूर्ण नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य को अर्जित करने वाली संस्थाओं संस्थाप्रधानों, शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों को प्रोत्साहित किया जाए।

1.3 इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2019-20 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया है। शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु ''उजियारी पंचायत'' के रूप में चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा। किसी पंचायत को ''उजियारी पंचायत'' के रूप में चिह्नित करने हेतु निम्न मापदण्डों को आधार बनाया जाएगा।

1.3.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आँगनबाड़ी में नामांकित है।

1.3.2 5-6 आयु वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आँगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित/ड्रॉप आउट) का चिह्नीकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.3.3 कक्षा 5/8/10 में उत्तीर्ण अथवा इन कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रविष्ट बालक-बालिकाओं का चिह्नीकरण किया जाकर उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

1.3.4 कोई भी विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।

1.3.5 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

1.3.6 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिह्नित एवं विद्यालयों में प्रवेशित किए गए समस्त बच्चों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है।

1.3.7 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल बालक-बालिका विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित एवं अध्ययनरत है एवं बच्चों का स्तर आयु अनुरूप कक्षा अनुसार लाने के लिए विशेष शिक्षण करवाया जा रहा है।

1.3.8 ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' के चिह्निकरण एवं घोषणा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे।

1.4 वर्ष 2018-19 में निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नामांकन वृद्धि/प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश तथा हाउस होल्ड सर्वे हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें 0-18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण किया जाना था। सत्र 2019-20 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आँगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है तथा 3 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिह्नित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आँगनबाड़ियों एवं 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किए जाने आवश्यक है-

1.4.1 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।

1.4.2 चिह्नित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना एवं इनके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।

14.3 3 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को विद्यालयों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्ययोजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार चिह्नित करना एवं चिह्नित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण को पता लगाकर उसी अनुसार कार्ययोजना बनाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।

14.4 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षण एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।

1.5 उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार दो चरणों में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रथम चरण – दिनांक 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण – दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित बाल सभाओं में प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा पश्चात् ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

2. प्रवेशोत्सव के दौरान एवं 'उजियारी पंचायत' बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

2.1 विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य

2.1.1 अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं हेतु

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण हेतु विभागीय स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस कार्य के लिए पीईईओ द्वारा अपनी पंचायत के विद्यालयों से वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।

ii. वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के चिह्नित अनामांकित बालक-बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी।

iii. उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन से उपलब्ध परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक-बालिकाओं को चिह्नित एवं सूचिबद्ध किया जाएगा।

iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित 0 से 5 एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राकार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक-बालिकाओं का विवरण प्रपत्र-1 (संलग्न) के अनुसार शालादर्पण पर OoSC मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाएगा।

v. हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शालादर्पण पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से नामांकित किए गए बच्चों को शालादर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिह्नित बच्चों का विवरण OoSC मॉड्यूल में प्रपत्र-1 अनुसार प्रविष्ट करना है। विद्यालय में नामांकित होने पर इन बच्चों की आगे की प्रविष्टि इसी मॉड्यूल से की जाएगी।

vi. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिह्नित बालक-बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार Condensed Course / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाएगा।

2.1.2 **पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु**

i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यार्थियों को निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थाई तौर पर नामांकित किया जाएगा। (संलग्न)

2.1.3 **विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले अन्य कार्य**

i. ग्रीष्मावकाश से पूर्व एसएमसी./एसडीएमसी. की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाए रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किए जाने के संबंध में चर्चा की जाए।

ii. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ दिनांक 26.04.2019 को विद्यालय में समस्त अभिभावकों एवं अन्य ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाकर 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' का आयोजन किया जाए।

iii. शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में पीईईओ. आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के संबंध में अभिभावकों/ग्रामवासियों को प्रेरित करें। इन दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पंचायत के प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्बोधन एवं शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों यथा बीडीओ./डीईओ./एडीपीसी./सीडीपीओ. (आईसीडीएस.) आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

iv. शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं यथा ट्रासंपोर्ट वाऊचर, लैपटॉप योजना, गार्गी पुरस्कार इत्यादि के संबंध में जानकारी दी जावे।

v. नवीन प्रवेश हेतु पात्र बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को विद्यालय मे अध्ययनरत समस्त विद्यालयों द्वारा हस्तनिर्मित ''विद्यालय नामांकन आमंत्रण पत्र'' भिजवाए जाकर विद्यालय में नामांकन हेतु आकर्षित/प्रेरित किया जावे।

vi विद्यार्थियों की टोली बनाकर अभिभावकों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।

vii विद्यालय में प्रपत्र 1 के अनुसार विलेज एजूकेशन रजिस्टर (VER) संधारित किया जाए, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनाएँ अद्यतन रखी जाएँ।

viii. विद्यालय में अथवा निकटस्थ आंगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जावे।

ix. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को निर्देशित किया जावे कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक-बालिकाओं को आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

x. विद्यालय द्वारा अपने फीडर (कैचमेण्ट) क्षेत्र में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी, नामांकन मार्च, चौपाल, मौहल्ला बैठक आदि के

आयोजन, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से ग्राम वासियों को विद्यालय में नामांकन करवाए जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

xi. प्रथम चरण के सर्वे के अन्तिम दिन दिनांक 09-05-2019 को समस्त विद्यालयों द्वारा गांव के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बाल सभा में अभिभावकों, ग्रामवासियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा सम्मानित पदों पर कार्यरत विद्यालय के पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर उनके समक्ष वार्ड एवं ग्राम के सर्वे में चिह्नित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की सूची पढ़कर सुनाई जावे तथा इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किये गये नामांकन से शेष बच्चों के नाम पढ़कर सुनाए जाए। शेष बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किए जाने का प्रयास किया जावे। नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जावे। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा-पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टेण्ड आदि पर वार्डवार चिह्नित एवं नामांकित/अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जावे।

xii. कक्षा 6,7,9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड वितरण दिनांक 09.05.2019 को आयोजित वृहद् बाल सभा में किया जाए। इस दिन सार्वजनिक स्थान पर आयोजित वृहद् बाल सभा में वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा प्रगति पत्रों का वितरण अभिभावकों एवं ग्रामीण के समक्ष किया जाना सुनिश्चित करें।

xiii. ग्राम पंचायत की मासिक बैठक (प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख) में भी सर्वे में चिह्नित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पढ़कर सुनाई जाए।

xiv. सर्वे के दौरान चिह्नित बालक-बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संधारित करना तथा पीईईओ./सीबीईईओ. कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जाए।

xv. ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाएगा। इसमें विद्यालय द्वारा प्रथम चरण के सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर प्रथम चरण के सर्वे में शेष रहे अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को चिह्नित किया जाए।

xvi. शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में विद्यालय की प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान रुचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जाए।

xvii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से निम्न स्तर पर है, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 45 दिन तक Bridge Course / remedial Course के माध्यम से कक्षा स्तर पर लाया जाएगा एवं उक्त कार्य विद्यालयों में बीएसटीसी./बीएड. इन्टर्न द्वारा तथा बीएसटीसी./बीएड. इन्टर्न नहीं होने पर विद्यालयों में तृतीय श्रेणी लेवल-1 अध्यापकों द्वारा करवाया जाएगा।

3. सर्वेकर्त्ता शिक्षक के दायित्व

3.1 हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों संबंधी प्रपत्र 1 को भरा जावे।

3.2 प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावें एवं कोई कॉलम खाली न रहे।

3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार सर्वे से वंचित न रहे।

3.4 निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्थाप्रधान को जमा करावें।

3.5 चिह्नित बालक-बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में पीईईओ. कार्यालय को सहयोग करे।

4. पीईईओ स्तर पर किए जाने वाले कार्य

4.1 वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात् एवं ग्रीष्मावकाश से पूर्व अपने विद्यालय के अध्यापकों सेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

4.2 पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/विद्यालय के पूर्व छात्र जो सम्मानित पदों पर कार्यरत है, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।

4.3 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जावे।

4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउस होल्ड सर्वे किए जाने के आदेश प्रसारित किए जावे।

4.5 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जावे।

4.6 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड का सर्वे किया जाकर सूचियाँ तैयार की जावें। तैयार सूचियों में 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं की सूची अलग-अलग तैयार की जावे।

4.7 सर्वे में चिह्नित बालक-बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर तुरंत प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.8 पंचायत में हाउसहोल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा द्वितीय चरण में चिह्नित बालक-बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावे।

4.9 चिह्नित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावें तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जावे।

4.10 विगत सत्र/इस सत्र में नामांकित किए गए समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को आयु अनुसार कक्षा के स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाना आवश्यक है। अतः इन समस्त

विद्यार्थियों को पृथक से विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाकर इन्हें कक्षा स्तर पर लाया जावे। परिषद द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार इनके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावे।

4.11 अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत् मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

4.12 अपनी पंचायत के प्रत्येक विद्यालय में प्रपत्र 1 के आधार पर विलेज एजूकेशन रजिस्टर (VER) रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन सुनिश्चित किए जाने बाबत समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जावे एवं इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

4.13 अनामांकित/ड्रॉप आउट/नवीन प्रवेश हेतु पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली, प्रभातफेरी, चौपाल, बैनर निर्माण, मौहल्ला, चौराहा बैठकों, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन/नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जावे।

5. ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले कार्य

5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवक्षेण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जाएगा।

5.2 बैठक में बीडीओ, सीबीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग) समस्त में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे।

5.4 ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

5.5 ग्रीष्मावकाश पश्चात् आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

5.6 नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु पीईईओ द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सीबीईईओ द्वारा किए जाएँगे।

5.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली को आधार माना जाएँ।

5.8 ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ-साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं बस्ती के परिवारों पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सीबीईईओ द्वारा चिह्नित एवं सूचीबद्ध किया जावे।

5.9 हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं का वार्डवार एवं राजस्व ग्रामवार रिकॉर्ड संधारण किया जावे।

5.10 सीबीईईओ द्वारा शहरी क्षेत्र में चिह्नित बालक-बालिकाओं को वार्डवार एवं क्षेत्रवार शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5.11 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्य टीम गठित कर अपने ब्लॉक से कम से कम 10 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे एवं वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिले को प्रस्तुत की जावे।

6. जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य

6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोत्तरी अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवक्षेण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

6.2 बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि एवं माशि, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जन संपर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के संबंध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे तथा कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।

6.4 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्त्ताओं/सहायिकाओ को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.5 जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग-अलग स्थानों पर विद्यालयों में आयोजित होने वाले शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

6.6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवाई जाए।

6.7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 2 सदस्यीय टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रैण्डम वेरिफिकेशन कराया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे।

8. प्रचार-प्रसार

8.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

8.2 प्रचार-प्रसार के लिये मीडिया माध्यमों-प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे तथा यथा सम्भव प्रत्येक दिन जिले में कार्यक्रम प्रगति के संबंध में समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करावें और इसके संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला जन सपर्क अधिकारी के साथ निरन्तर संपर्क रखा जावे।

8.3 नामांकन बढ़ोतरी/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेंस कॉन्फ्रेंस की जाकर जिले के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया जावे।

8.4 अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाए जाएँ।

8.5 विद्यालय मे ंशिक्षक-अभिभावक परिषद् की बैठक की जाकर सहभागियों को नामांकन में सहयोग बाबत प्रेरित किया जावे।

8.6 मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जावे।

8.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान नामांकन कार्यक्रम' को केन्द्र में रखकर विद्यालय में बालसभा, खेलकूद प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जावे।

8.8 **दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थान पर आयोजित बाल सभा में प्रदेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान नवप्रवेशित बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया जावे।**

8.9 प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे।

8.10 क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में नामांकित एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाकर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराए जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

9. सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों/शिक्षकों/अभिभावकों को प्रोत्साहन

9.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।

9.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्थाप्रधानों/शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पाँच संस्थाप्रधानों/शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जावे।

9.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाए गए मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा और इस बाबत परिषद् द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएँगे।

9.6 प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

9.7 प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सार्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

10. शैक्षिक सत्र 2019-20 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

● **प्रदीप कुमार बोरड़, आयुक्त,** राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र-1
विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना

ग्रामीण क्षेत्र पीईईओ कार्यालय का नाम :- .... ग्राम/वार्ड का नाम :- .... सर्वे दिनांक :- ....

शहरी क्षेत्र बीईईओ कार्यालय का नाम :- ....

विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम/वार्ड का जिम्मेदारी दी गई है :- ....

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गाँव/वार्ड	हैबिटेशन/वासस्थान	नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	उम्र	लिंग	क्षेणी SC/ST/OBC/Minority	शैक्षिक स्थिति		ड्रॉप आउट कक्षा	OoSC होने के कारण			
									अनामांकित	ड्रॉपआउट		दिव्यांगता	पलायन	आर्थिक	अन्य

ए प्रपत्र PEEO/BEEO को जमा कराने की दिनांक :- ....

हस्ताक्षर

सर्वे प्रपत्र भरने वाले शिक्षक/शाला प्रधान का नाम :- ....

मोबाईल नम्बर :- ....

विद्यालय का नाम :- ....

11. समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश।

● कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ● क्रमांक : शिविरा/माध्य/माध्य-द/22492/प्रवेशोत्सव/2019-20/33 ● दिनांकः 25.04.2019 ● समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा। ● समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान। ● समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा। ● समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ● विषयः समस्त राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। ● राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांकः समसा/जय/वै.शि/प्रवेशोत्सव/2019-20/592 दिनांकः 16.4.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक-बालिकाओं को चिह्नित कर आँगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों एवं अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्न दो चरणों में संचालित किया जाएगाः-
प्रथम चरण : 26.04.2019 से 09.05.2019 तक होगा।
द्वितीय चरणः ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर उक्त चरणों में यह सुनिश्चित किया जाए कि आँगनबाड़ी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक-बालिका अनामांकित न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

●संलग्न :- यथोपरि

● **नथमल डिडेल,** आई.ए.एस. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

● **नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव अभियान के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निदेश सत्र : 2019-20**

1. प्रस्तावना :-

1.1 हमारा संविधान 14 वर्ष तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुँच तथा नामांकन के लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं पहुँच पाए हैं अथवा किन्ही कारणों से विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

1.2 गत वर्षों में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए गए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में ग्रामवासियों, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों, कार्मिकों एवं अभिभावकों द्वारा दिए गए सहयोग से विभाग ने नामांकन वृद्धि में उत्साहजनक सफलता प्राप्त की है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के समस्त बालक/बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य सम्बन्धित विभागों का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। अतः विगत सत्र अनुसार शैक्षिक सत्रः 2019-20 हेतु इस कार्य के लिए एक वृहद् कार्य योजना बनाकर प्रत्येक विभाग एवं प्रत्येक स्तर पर कार्य किए जाए एवं पूर्व में नामांकन तथा ठहराव के लक्ष्य अर्जित करने वाली संस्थाओं, संस्था प्रधानों, शिक्षकों एवं अन्य सहयोगियों को प्रोत्साहित किया जाए।

1.3 इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष : 2019-20 हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र की वार्षिक परीक्षा के समापन के साथ ही नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाए जाने का निश्चय किया गया है। शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 'उजियारी पंचायत' के रूप में चिह्नित कर सम्मानित किया जाएगा। किसी पंचायत को 'उजियारी पंचायत' के रूप में चिह्नित करने हेतु निम्न मापदण्डों को आधार बनाया जाएगा।

1.3.1 3 से 5/6 वर्ष के समस्त बालक-बालिकाएँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने निवास क्षेत्र की नजदीकी आँगनबाड़ी में नामांकित है।

1.3.2 5-6 आयु वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिका (आँगनबाड़ी में नामांकित/अनामांकित/ड्रॉप आउट) का चिह्नीकरण किया जाकर उनका नामांकन कक्षा 1 में करवा दिया गया है।

1.3.3 कक्षा 5/8/10 में उत्तीर्ण अथवा इन कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रविष्ट बालक-बालिकाओं का चिह्नीकरण पश्चात् उनका नामांकन क्रमशः कक्षा 6/9/11 में करवा दिया गया है एवं उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन अगली कक्षा में करवा दिया गया है।

1.3.4 कोई भी विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं रहा है।

1.3.5 यदि कोई विद्यार्थी 45 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए विद्यालय से अनुपस्थित रहा है तो उसे पुनः आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिलाकर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है।

1.3.6 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिह्नित एवं विद्यालयों में प्रवेशित किए गए समस्त बच्चों की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट कर दी गई है।

1.3.7 हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल बालक-बालिका विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित एवं अध्ययनरत है एवं बच्चों का स्तर आयु अनुरूप कक्षा अनुसार लाने के लिए विशेष शिक्षण करवाया जा रहा है।

1.3.8 ड्रॉप आउट फ्री 'उजियारी पंचायत' के चिह्नीकरण एवं घोषणा हेतु निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएँगे।

1.4 वर्ष 2018-19 में निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नामांकन वृद्धि अभियान/प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश तथा हाउस होल्ड सर्वे हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे, जिसमें 0-18 वर्ष आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण किया जाना था। सत्र 2019-20 में प्रवेशोत्सव अभियान अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आँगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है तथा 3 वर्ष से कम आयु के समस्त बच्चों का रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिह्नित किया जाकर 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आँगनबाड़ियों एवं 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालयों एवं विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किए जाने आवश्यक है-

1.4.1 0 से 18 वर्ष आयुवर्ग के समस्त बालक/बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना एवं विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाना।

1.4.2 चिह्नित बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करना एवं इनके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना।

1.4.3 3 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं कको विद्यालयों से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पीईईओ. स्तर पर एवं शहरी क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार चिह्नित करना एवं चिह्नित समस्त बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण पता लगाकर उसी के अनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना।

1.4.4 समस्त अभिभावकों/ग्रामवासियों/स्थानीय निवासियों को बालक-बालिकाओं हेतु शिक्षण प्रोत्साहन से सम्बन्धित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाना।

1.5 उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्षः 2019-20 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निम्नानुसार दो चरणों में आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

प्रथम चरणः दिनांकः 26.04.2019 से 09.05.2019 तक

द्वितीय चरण : दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित बाल सभाओं में प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा पश्चात् ग्रीष्मावकाश समाप्ति पर द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाएगा, जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

2. प्रवेशोत्सव के दौरान एवं 'उजियारी पंचायत' बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित कार्यों का विवरण

2.1 विद्यालय स्तर किए जाने वाले कार्य :-

2.1.1 नामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं हेतुः-

i. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण हेतु विभागीय स्तर पर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है। इस कार्य के लिए पीईईओ. द्वारा अपनी पंचायत के विद्यालयों से वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है।

ii. वार्डवार नियुक्ति अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष तक के चिह्नित नामांकित बालक-बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी।

iii. उपर्युक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैण्ड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन से उपलब्ध परिवार को भी सम्मिलित किया जाकर बालक-बालिकाओं को चिह्नित एवं सूचीबद्ध किया जाएगा।

iv. हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित 0 से 5 से अधिक 18 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं को आँगनबाड़ियों, विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु अनुरूप कक्षाओं में जोड़ा जाएगा। आँगनबाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य बालक-बालिकाओं का विवरण प्रपत्र-1 (संलग्न) के अनुसार शाला दर्पण पर OoSc मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाएगा।

v. हाउस होल्ड सर्वे में चिह्नित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से नामांकित किए गए बच्चों को शालादर्पण पोर्टल पर नवप्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुसार प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरन्त नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिह्नित बच्चों का विवरण OoSC मॉड्यूल में प्रपत्र-1 अनुसार प्रविष्ट करना है। विद्यालय में नामांकित होने पर इन बच्चों की आगे की प्रविष्टि इसी मॉड्यूल से की जाएगी।

vi. हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिह्नित बालक-बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नजदीकी (आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य) विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार Condensed Course / Bridge Course के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुसार प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाएगा।

2.1.2 पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु :-

i. विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।

ii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत कक्षा 5, 8, 10 के विद्यार्थियों को निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षाओं के तुरंत पश्चात् आगामी कक्षाओं में प्रोविजनली/अस्थाई तौर पर नामांकित किया जाएगा।

2.1.3 विद्यालय में अध्ययनरत/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले अन्य कार्य

i. ग्रीष्मावकाश से पूर्व एसएमसी./एसडीएमसी. की अन्तिम दो बैठकों में सभी सदस्यों एवं अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाए रखने एवं अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बाबत प्रेरित किए जाने के संबंध में चर्चा की जाए।

ii. प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ दिनांक 26.04.2019 को विद्यालय में समस्त अभिभावकों एवं अन्य ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाकर 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' का आयोजन किया जाए।

iii. 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में पीईईओ. आवश्यक रूप से उपस्थित रहकर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव के संबंध में अभिभावकों/ग्रामवासियों को प्रेरित करें। इस दिन कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, पंचायत के प्रबुद्ध व्यक्तियों के उद्बोधन एवं शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों यथा बीडीओ./डीईओ./एडीपीसी./सीडीपीओ. (आईसीडीएस.) आदि को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

iv. 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं यथा ट्रांसपोर्ट वाउचर, लेपटॉप योजना, गार्गी पुरस्कार इत्यादि के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए।

v. नवीन प्रवेश हेतु पात्र बालक-बालिकाओं के अभिभावकों को विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों द्वारा हस्तनिर्मित 'विद्यालय नामांकन आमंत्रण पत्र' भिजवाए जाकर विद्यालय में नामांकन हेतु आकर्षित/प्रेरित किया जाए।

vi. विद्यार्थियों की टोली बनाकर अभिभावकों को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की जानकारी उपलबध करवाई जाए।

vii. विद्यालय में प्रपत्र 1 के अनुसार विलेज एज्यूकेशन रजिस्टर (VER) संधारित किया जाए, जिसमें 0 से 18 वर्ष आयु के समस्त अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं से सम्बन्धित सूचनाएँ अद्यतन रखी जाए।

viii. विद्यालय में अथवा निकटस्थ आँगनबाड़ी में नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक-बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाने हेतु प्रेरित करें।

ix. आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को निर्देशित किया जाए कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक-बालिकाओं को आँगनबाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करवाने हेतु प्रेरित करें।

x. विद्यालय द्वारा अपने फीडर (कैचमेण्ट) क्षेत्र में जागरूकता रैली, प्रभात फेरी, नामांकन मार्च, चौपाल, मौहल्ला, बैठक आदि के आयोजन, लाउड स्पीकर एवं पेम्पलेट के माध्यम से ग्रामवासियों को विद्यालय में नामांकन करवाए जाने हेतु प्रेरित किया जाए।

xi. प्रथम चरण के सर्वे के अन्तिम दिन दिनांक 09.05.2019 को समस्त विद्यालयों द्वारा गाँव के सार्वजनिक स्थान पर बाल सभा का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बाल सभा में अभिभावकों, ग्रामवासियों, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा सम्मानित पदों पर कार्यरत विद्यालय के पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर उनके समक्ष वार्ड एवं ग्राम के सर्वे में चिह्नित अनामांकित/ड्राप आउट बच्चों की सूची पढ़कर सुनाई जाए तथा इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किए गए एवं नामांकन से शेष बच्चों के नाम पढ़कर सुनाया जाए। शेष बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किए जाने का प्रयास किया जाए। नामांकित बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जाए। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा- पंचायत भवन, अटल सेवा केन्द्र, कृषि सेवा केन्द्र, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टैण्ड आदि पर वार्डवार चिह्नित एवं नामांकित/ अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा की जाए।

xii. कक्षा 6,7,9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषणा तथा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड वितरण दिनांक 08.05.2019 को विद्यालय परिसर में ही किया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थल पर आयोजित वृहद् बाल सभा में विद्यालय के समग्र परीक्षा परिणाम तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक लब्धि के बारे में चर्चा की जावे।

xiii. ग्राम पंचायत की मासिक बैठक (प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख) में भी सर्वे में चिह्नित अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों की ग्रामवार सूची पढ़कर सुनाई जाए।

xiv. सर्वे के दौरान चिह्नित बालक-बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संधारित करें तथा पीईईओ./सीबीईईओ. कार्यालय के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कराया जाए।

xv. ग्रीष्मावकाश के उपरान्त प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाएगा। इसमें विद्यालय द्वारा प्रथम चरण के सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर प्रथम चरण के सर्वे में शेष रहे अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों को चिह्नित किया जाए।

xvi. शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान रुचिकर गतिविधियों का समावेशन किया जाए।

xvii. विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी कक्षा

स्तर से निम्न स्तर पर है, उन्हें भी शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में 45 दिन तक Bridge Course / remedial Course के माध्यम से कक्षा स्तर पर लाया जाएगा एवं उक्त कार्य विद्यालयों में बीएसटीसी./बीएड. इन्टर्न द्वारा तथा बीएसटीसी./बीएड. इन्टर्न नहीं होने पर विद्यालयों में तृतीय श्रेणी (लेवल-1) अध्यापकों द्वारा करवाया जाएगा।

3. सर्वेकर्त्ता शिक्षक के दायित्व

3.1 हाउस होल्ड सर्वे अन्तर्गत अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों संबंधी प्रपत्र 1 को भरा जावे।

3.2 प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जावें एवं कोई कॉलम खाली न रहे।

3.3 आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास (हेबीटेशन), पुरबा या अस्थाई परिवार सर्वे से वंचित न रहे।

3.4 निर्धारित अवधि में सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 0 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में सम्बन्धित संस्थाप्रधान को जमा करावें।

3.5 चिह्नित बालक-बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराने में पीईईओ. कार्यालय को सहयोग करे।

4. पीईईओ स्तर पर किए जाने वाले कार्य :-

4.1 वार्षिक परीक्षा के तुरन्त पश्चात् एवं ग्रीष्मावकाश से पूर्व अपने विद्यालय के अध्यापकों, मेन्टर टीचर एवं समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान/हैड टीचर के साथ आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी बैठक की जावे।

4.2 पंचायत के प्रबुद्ध नागरिकों/सक्रिय ग्रामीणों/विद्यालय के पूर्व छात्र, जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं, के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग प्राप्त किया जावे।

4.3 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/एएनएम/अन्य विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किया जावे एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निवार्चक नामावली प्राप्त की जावे।

4.4 पंचायत में वार्डवार अध्यापकों को नियुक्त किया जाकर हाउस होल्ड सर्वे किए जाने के आदेश प्रसारित किए जावें।

4.5 समस्त संस्था प्रधान/हैड टीचर/टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकन हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जावें।

4.6 वार्डवार नियुक्त अध्यापक द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार एवं नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर सूचियाँ तैयार की जावे। ये सूचियाँ 05 वर्ष तक के बच्चों एवं 5 वर्ष से अधिक 18 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की अलग-अलग सूची तैयार की जावे।

4.7 सर्वे में चिह्नित बालक-बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर तुरन्त प्रविष्टि/अपडेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4.8 पंचायत में हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव चरण प्रथम में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जावे तथा द्वितीय चरण में चिह्नित बालक-बालिकाओं का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जावें।

4.9 चिह्नित अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जावे तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण करवाया जाकर आयु अनुसार कक्षा का स्तर प्राप्त किया जावे।

4.10 विगत सत्र/इस सत्र में नामांकित किए गए समस्त आउट ऑफ स्कूल के बच्चों को आयु अनुसार कक्षा के स्तर पर लाने के लिए विशेष शिक्षण दिया जाना आवश्यक है, अतः इन समस्त विद्यार्थियों को पृथक से विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जाकर इन्हें कक्षा स्तर पर लाया जावे। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार इनके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जावे।

4.11 अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की एवं निकटस्थ आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक-बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इस बाबत् मेन्टर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग हेतु चर्चा करे एवं प्रगति की समीक्षा करें।

4.12 अपनी पंचायत के प्रत्येक विद्यालय में प्रपत्र 1 के आधार पर विलेज एजूकेशन रजिस्टर (VER) रजिस्टर का संधारण एवं अपडेशन सुनिश्चित किए जाने बाबत समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जावे एवं इस कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जावे।

4.13 अनामाकिंत/ड्रॉप आउट/नवीन प्रवेश हेतु पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार, रैली, प्रभातफेरी, चौपाल, बैनर निर्माण, मौहल्ला, चौराहा बैठकों, लाउड स्पीकर एवं पेम्फलेट के माध्यम से विद्यालयों में नामांकन/नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किया जावे।

5. ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले कार्य

5.1 ब्लॉक स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं पर्यवक्षेण उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति द्वारा किया जाएगा।

5.2 बैठक में बीडीओ, सीबीईईओ, ब्लॉक आरपी, सीडीपीओ (महिला एवं बाल विकास विभाग), समस्त में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

5.3 ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत की वार्ड वाइज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे।

5.4 ब्लॉक विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित शिक्षा उत्सव कार्यक्रम में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

5.5 ग्रीष्मावकाश पश्चात् आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय निष्पादक समिति की बैठकों में उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव में लक्ष्य के विरूद्ध की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

5.6 नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव हेतु पीईईओ द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सीबीईईओ द्वारा किए जाएँगे।

5.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के वार्ड की निर्वाचक नामावली को आधार माना जाएँ।

5.8 ब्लॉक स्तर पर शहरी क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली के साथ-साथ बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों/चौराहों, निर्माणाधीन भवन, बेघर/घुमन्तु/मौसमी पलायन एवं कच्ची बस्ती के परिवारों, पुल के नीचे रहने वाले परिवारों का भी सर्वे किया जाकर 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सीबीईईओ द्वारा चिह्नित एवं सूचीबद्ध किया जावे।

5.9 हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 0 से 18 वर्ष के बालक-बालिकाओं का वार्ड वार एवं राजस्व ग्रामवार संधारण किया जावें।

5.10 सीबीईईओ द्वारा शहरी क्षेत्र में चिह्नित बालक-बालिकाओं को वार्डवार एवं क्षेत्रवार शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि/अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5.11 ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा 2 सदस्यी टीम गठित कर अपने ब्लॉक के कम से कम 10 प्रतिशत विद्यार्थियों के सर्वे का रेण्डम वेरीफिकेशन करवाया जावे एवं वेरीफिकेशन रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जावे।

6. जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य :-

6.1 जिला स्तर पर नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिबाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों हेतु कार्य योजना निर्माण एवं पर्यवेक्षण मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

6.2 ऊपर वर्णित जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्राशि/माशि, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला जनसम्पर्क अधिकारी को आमंत्रित किया जाकर कार्यक्रम आयोजन के सम्बन्ध में सहयोग एवं समन्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा समस्त ब्लॉक विकास अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि समस्त पीईईओ को पंचायत वार्ड वाईज नवीनतम निर्वाचक नामावली उपलब्ध करवाई जावे तथा कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे।

6.4 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समस्त सीडीपीओ के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों/कार्यकर्त्ताओं/सहायिकाओं को कार्यक्रम में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6.5 जिला स्तरीय समिति के सदस्य एवं अन्य आमंत्रित सदस्य जिले के अलग-अलग स्थानों पर विद्यालय में आयोजित होने वाले 'शिक्षा उत्सव कार्यक्रम' में यथासम्भव शामिल होकर अभिभावकों को प्रोत्साहित करेंगे।

6.6 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें बनाकर विद्यालयों में नामांकन बढ़ोतरी, अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित गतिविधियों का सघन पर्यवेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से करवाई जावे।

6.7 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो सदस्यी टीम गठित कर अपने जिले के समस्त ब्लॉक के कम से कम 5 प्रतिशत विद्यालयों के सर्वे का रेण्डम वेरिफिकेशन करवाया जावे।

7. गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका :-

सरकारी विद्यालयों में नामांकन, ड्रॉप आउट/अनामांकित बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संस्थाओं, स्वैच्छिक संस्थाओं/समूहों का यथासम्भव सहयोग लिया जावे।

8. प्रचार-प्रसार :-

8.1 नवीन शैक्षणिक वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रत्येक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

8.2 प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया माध्यमों-प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया आदि का उपयोग किया जावे तथा यथा सम्भव प्रत्येक दिन जिले में कार्यक्रम प्रगति के संबंध में समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करावें और इसके संबंध में आवश्यक सहयोग हेतु जिला जन सपर्क अधिकारी के साथ निरन्तर संपर्क रखा जावे।

8.3 नामांकन बढ़ोतरी/अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाकर जिले के समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाया जावे।

8.4 अनामांकित/ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक व पंचायत के मुख्य स्थानों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मन्दिर सामुदायिक केन्द्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पेम्फलेट वितरण एवं बैनर्स लगाए जाएँ।

8.5 विद्यालय मे ंशिक्षक-अभिभावक परिषद् की बैठक की जाकर सहभागियों को नामांकन में सहयोग बाबत प्रेरित किया जावे।

8.6 मौहल्ला बैठकों द्वारा विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जावे।

8.7 प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान नामांकन कार्यक्रम' को केन्द्र में

रखकर विद्यालय में बालसभा, खेलकूद प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जावे।

8.8 दिनांक 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थान पर आयोजित बाल सभा में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के प्रथम चरण के दौरान नवप्रवेशित बच्चों एवं अभिभावकों का स्वागत किया जावे।

8.9 प्रवेशोत्सव के दौरान नव प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जावे।

8.10 क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में नामांकित एवं विद्यालय में प्रवेश योग्य बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क किया जाकर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराए जाने हेतु प्रेरित किया जावे।

9. सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों / शिक्षकों / अभिभावकों को प्रोत्साहन :-

9.1 प्रत्येक विद्यालय/ग्राम पंचायत पर नामांकन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जावे।

9.2 प्रत्येक पंचायत समिति में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन संस्था प्रधानों/शिक्षकों को उपखण्ड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.3 प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले पांच संस्था प्रधानों/शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जावे।

9.4 राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले से श्रेष्ठ कार्य करने वाले एक संस्था प्रधान को सम्मानित किया जावे।

9.5 श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय/संस्थाप्रधान/शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा बनाए गए मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा। इस बाबत परिषद् द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जाएँगे।

9.6 प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

9.7 प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले दो उच्च माध्यमिक विद्यालयों, एक माध्यमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा।

10. विशेष ध्यातव्य :-

शैक्षिक सत्र : 2019-20 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय की जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

● **नथमल डिडेल, आई.ए.एस.**, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र-1

विद्यालय से बाहर (OoSC) बच्चों की सूचना

ग्रामीण क्षेत्र पीईईओ कार्यालय का नाम :- .... ग्राम/वार्ड का नाम :- .... सर्वे दिनांक :- ....

शहरी क्षेत्र बीईईओ कार्यालय का नाम :- ....

विद्यालय का नाम जिसे उस ग्राम/वार्ड का जिम्मेदारी दी गई है :- ....

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	गाँव/वार्ड	हैबिटेशन/ वासस्थान	नाम बालक/ बालिका	पिता का नाम	उम्र	लिंग	क्षेणी SC/ST/ OBC/ Minority	शैक्षिक स्थिति		ड्रॉप आउट कक्षा	OoSC होने के कारण			
									अनामांकित	ड्रॉपआउट		दिव्यांगता	पलायन	आर्थिक	अन्य

ए प्रपत्र PEEC/BEEO को जमा कराने की दिनांक :- ....

हस्ताक्षर

सर्वे प्रपत्र भरने वाले शिक्षक/शाला प्रधान का नाम :- ....

मोबाईल नम्बर :- ....

विद्यालय का नाम :- ....

शिविरा पञ्चाङ्ग मई-जून, 2019

मई-2019

रवि		5	12	19	26
सोम		6	13	20	27
मंगल		7	14	21	28
बुध	1	8	15	22	29
गुरु	2	9	16	23	30
शुक्र	3	10	17	24	31
शनि	4	11	18	25	

जून-2019

रवि	30	2	9	16	23
सोम		3	10	17	24
मंगल		4	11	18	25
बुध		5	12	19	26
गुरु		6	13	20	27
शुक्र		7	14	21	28
शनि	1	8	15	22	29

मई 2019 ● कार्य दिवस–07, रविवार–04, अवकाश–20, उत्सव– 01 ● 01 मई– नवीन सत्र : 2019-20 प्रारम्भ, **07 मई–**रवीन्द्र नाथ टैगोर जयन्ती (उत्सव), परशुराम जयन्ती (अवकाश) **08 मई–** वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा परीक्षा परिणामों की प्रति सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में समीक्षा हेतु प्रेषित करना। संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर सत्र पर्यन्त हुए कार्यों की समीक्षा करना एवं नवीन सत्र की विद्यालय योजना हेतु विचार-विमर्श कर निर्णय लेना तथा योजना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना। अभिभावक-अध्यापक बैठक (PTM) एवं SDMC की साधारण सभा का संयुक्त रूप से आयोजन एवं करणीय कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करना। **09 मई–**बाल उत्सव के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर वृहद् बाल सभा का आयोजन एवं प्रवेशोत्सक कार्यक्रम के प्रथम चरण का समापन। **10 मई से 18 जून–**ग्रीष्मावकाश, **नोट :– 1.** संस्थाप्रधान ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय से बाहर हों, तो वह विद्यार्थियों को टी.सी. जारी करने हेतु मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को टी.सी. पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करावें तथा इसका अनुमोदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से कराकर संबंधित को पाबन्द करें, ताकि विद्यार्थियों को टी.सी. प्राप्त करने में कोई असुविधा न हों। **2.** 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा-द्वितीय स्तर' (कक्षा-8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु) का आयोजन। **3.** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व उन्नयन एवं कौशल शिविर का आयोजन।

जून 2019 ● कार्य दिवस–10, रविवार– 05, अवकाश–15, उत्सव–03 ● 01 से 18 जून– ग्रीष्मावकाश, **05 जून–**ईदुल फितर (अवकाश-चन्द्र दर्शनानुसार), **06 जून–** महाराणा प्रताप जयन्ती (अवकाश-उत्सव), **19 जून– 1.** ग्रीष्मावकाश उपरांत शिक्षण कार्य पुन: प्रारम्भ। **2.** SDMC. की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन एवं सत्रपर्यन्त कार्य योजना का अनुमोदन। **21 जून–**अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (उत्सव), **28 जून–**भामाशाह जयन्ती-उत्सव (राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह), **30 जून–**SDMC. की कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया जाना। **नोट :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिता का राज्य स्तर पर आयोजन।

आवश्यक सूचना

रचनाएँ आमंत्रित

'शिक्षक दिवस' के उपलक्ष्य में प्रकाशनार्थ विविध विषयों व विधाओं पर शिक्षकवृंद व सुधी पाठकों से रचनाएँ दिनांक 31 मई, 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। अतः अपने शैक्षिक चिंतन-अनुभव, कहानी, संस्मरण, एकांकी, बाल साहित्य, कविता एवं राजस्थानी साहित्य (गद्य-पद्य) आदि मौलिक रचनाएँ 'वरिष्ठ संपादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर' के नाम से प्रेषित करें। रचना के अंत में मौलिकता की घोषणा एवं हस्ताक्षर भी आवश्यक है। साथ ही बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति प्रत्येक रचनानुसार अलग-अलग संलग्न करें। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त रचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

–वरिष्ठ संपादक

● 'शिविरा' मासिक पत्रिका में रचना भेजने वाले अपनी रचना के साथ व्यक्तिगत परिचय यथा– नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, आईएफएससी. नंबर एवं बैंक डायरी के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करके भिजवाएँ। ● कुछ रचनाकार एकाधिक रचनाएँ एक साथ भेजने पर एक रचना के साथ ही उक्त सूचनाएँ संलग्न कर दायित्वपूर्ति समझ लेते हैं। अत: अपनी प्रत्येक रचना के साथ अलग से पृष्ठ लगाकर प्रपत्रानुसार अपना विवरण अवश्य भेजें। इसके अभाव में रचना के छपने एवं उसके मानदेय भुगतान में असुविधा होती है। ● कतिपय रचनाकार अपने एकाधिक बैंक खाता लिखकर भिजवा देते हैं और उक्त खाते का उपयोग समय-समय पर नहीं करने के कारण वह बंद भी हो चुका होता है। परिणामस्वरूप उक्त मानदेय खाते में जमा नहीं हो पाता। जिसकी शिकायत प्राप्त होती है। किसी रचनाकार के एकाधिक खाते हैं तो रचनाकार अपने SBI बैंक खाते को प्राथमिकता देकर अद्यतन व्यक्तिगत जानकारी उपर्युक्तानुसार प्रत्येक रचना के साथ अलग-अलग संलग्न करें।

–वरिष्ठ संपादक

शालादर्पण

विद्यालय लॉगिन पर्यवेक्षण: संस्थाप्रधान के दायित्व

❒ नीरज काण्डपाल

शालादर्पण पोर्टल राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों हेतु निर्मित द्विभाषिक एम.आई.एस. (Management Information System) पोर्टल है। शालादर्पण पोर्टल पर विगत 3-4 वर्षो से राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, कार्यरत कार्मिकों व विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को लगातार अद्यतन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, साईकिल/ लेपटॉप वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर इत्यादि का क्रियान्वयन भी शालादर्पण के माध्यम से किया जा रहा है। विभिन्न कक्षाओं के लिए स्थानीय परीक्षा परिणाम शालादर्पण पर उपलब्ध है। गत वर्ष से विद्यार्थी स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र भी शालादर्पण के माध्यम से प्रारम्भ कर दिया गया है।

इसी प्रकार विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों की समस्त सूचना शालादर्पण पर उपलब्ध है तथा कार्मिक कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा उत्तर-पुस्तिका जाँच हेतु शालादर्पण पर उपलब्ध वीक्षक डाटा का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य यथा ACP, वरिष्ठता सूची निर्माण, योग्यता अभिवृद्धि, कार्मिक स्थायीकरण, परीक्षा अनुमति, विदेश यात्रा अनुमति इत्यादि भी शालादर्पण के माध्यम से किए जाने प्रस्तावित हैं। इसी प्रकार विद्यालय संबंधी समस्त सूचना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में उपलब्ध है। चूंकि उपर्युक्त समस्त सूचनाओं की फीडिंग विद्यालय स्तर पर की जाती है, अत: यह सूचना अत्यन्त प्रमाणित होती है तथा त्रुटियों की संभावना नगण्य होती है।

आगामी वर्षो में विद्यार्थियों, कार्मिकों व विद्यालय संबंधी समस्त योजनाएँ शालादर्पण पर उपलब्ध डाटा का उपयोग कर क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित है, अत: संस्थाप्रधान के स्तर पर शालादर्पण डाटा फीडिंग का सतत् पर्यवेक्षण अत्यन्त आवश्यक है तथा विद्यालय के संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु शालादर्पण का विद्यालय प्रबंधन में उपयोग किया जाना आवश्यक है।

शालादर्पण विद्यालय लॉगिन व PEEO लॉगिन के सतत् पर्यवेक्षण व इनके विद्यालय प्रबंधन में उपयोग हेतु संस्थाप्रधानों के लिए निम्नांकित उपयोगी सुझावों का संकलन शालादर्पण पोर्टल मॉड्यूलवार किया गया है:-

1. डेशबोर्ड मॉड्यूल (DASH BOARD MODULE) :-विद्यालय डेशबोर्ड में 'School at a Glance' के अन्तर्गत विद्यालय की संक्षिप्त जानकारी की रिपोर्ट (pdf) उपलब्ध है। Dashboard के अन्तर्गत ही School Dash Board में संस्थाप्रधान हेतु पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न रिपोर्ट उपलब्ध है। 'कार्यप्रगति' रिपोर्ट की नियमित जाँच से संस्थाप्रधान द्वारा विद्यालय के तीनों महत्त्वपूर्ण घटकों यथा विद्यालय, विद्यार्थी व कार्मिक डाटा फीडिंग की अद्यतन स्थिति की मॉनिटरिंग की जा सकती है। School Dash Board के द्वारा विद्यालय, विद्यार्थी व स्टॉफ मॉडयूल में शेष रहे कार्य की रिपोर्ट उपलब्ध है। Dash Board मॉडयूल का दैनिक आधार पर नियमित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

2. विद्यालय मॉड्यूल (School Module):-प्रभावी विद्यालय प्रबंधन व पर्यवेक्षण हेतु संस्था प्रधान को विद्यालय मॉडयूल में निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है:-

- विद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर के समस्त प्रपत्रों की सम्पूर्ण व सही फीडिंग आगामी योजनाओं में विद्यालय का चयन सुनिश्चित करने हेतु अत्यन्त आवश्यक हैं। समय-समय पर परिवर्तित होने वाले आँकड़ों जैसे कक्षा कक्षों/शौचालयों की संख्या, इन्टरनेट की उपलब्धता, कम्प्यूटर तथा अन्य सामग्री की उपलब्धता इत्यादि को शाला दर्पण पर तत्काल अद्यतन करना आवश्यक है।
- विद्यालय प्रोफाईल (UPDATE SCHOOL PROFILE) में संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर व ईमेल आईडी, विद्यालय में संचालित विषय व संकाय की जानकारी को समय-समय पर आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना चाहिए।
- COMMUNITY ENGAGEMENT के अन्तर्गत SDMC/SMC खातों व अन्य आवश्यक फीडिंग यथा SDMC/SMC की ONE TIME ENTRY, QUARTERLY DATA ENTRY, INTERMEDIATE DATA ENTRY को समय-समय पर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- विद्यालय समरी सूचना की सत्यता व प्रामाणिकता की जाँच समय-समय पर की जानी चाहिए।
- SIQE मॉडयूल की फीडिंग की अद्यतन स्थिति की जाँच करें। प्राथमिक कक्षाओं के लिए SA-1, SA-2 व SA-3 पूर्ण होने के पश्चात् 7 दिवस में SIQE मॉडयूल की फीडिंग सुनिश्चित करें।

विद्यालय मॉडयूल की संस्थाप्रधान द्वारा साप्ताहिक जाँच अपेक्षित है।

3. विद्यार्थी मॉड्यूल (Student Module):-विद्यार्थी मॉडयूल के विद्यालय प्रबंधन व पर्यवेक्षण में उपयोग हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए:-

- सभी नवप्रवेशित विद्यार्थियों की शालादर्पण पर तत्काल प्रविष्टि

सुनिश्चित करें। तत्पश्चात् विद्यार्थियों का प्रपत्र-9 (STUDENT DETAIL ENTRY) पूर्ण करावें।

- नवप्रवेशित विद्यार्थियों हेतु कक्षा के अनुसार प्रपत्र-7 (FACULTY AND OPTIONAL SUBJECT ENTRY) व प्रपत्र-7A (THIRD LANGUAGE/VOCATIONAL SUBJECT ENTRY) की प्रविष्टि पूर्ण करावें।
- विद्यार्थी मॉडयूल के प्रपत्र-5 (EDIT STUDENT DETAIL) प्रपत्र-7, प्रपत्र-7A व प्रपत्र-9 (STUDENT DETAIL ENTRY) में प्रदर्शित विद्यालय के वर्तमान सत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या का प्रत्येक कक्षा के उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थियों की संख्या से प्रतिमाह मिलान करें तथा TC/NSO किए गए विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति उपर्युक्त समस्त प्रपत्रों में की जानी सुनिश्चित करें। इसके अभाव में शालादर्पण पर विद्यार्थी नामांकन सही प्राप्त नहीं होगा। आगामी समय में प्रस्तावित 'स्टाफिंग पैटर्न' में विद्यार्थी नामांकन के अनुसार ही विद्यालय में पदों का पुनर्निर्धारण होगा।
- प्रपत्र-9 में Hometown distance from school की सही फीडिंग करें। दूरी की सही व समय पर फीडिंग नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ नहीं मिलता है।
- प्रतिमाह विद्यार्थीवार मासिक उपस्थिति प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित करें।
- UPDATE STUDENT INFO में विद्यार्थी आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर, मोबाईल नम्बर इत्यादि की प्रामाणिक जानकारी की फीडिंग सुनिशिचित करें।

विद्यार्थी मॉडयूल में की गई फीडिंग की संस्थाप्रधान द्वारा प्रतिमाह गहन जाँच की जानी चाहिए।

4. स्टॉफ मॉड्यूल (Staff Module):-यह मॉडयूल विद्यालय प्रबंधन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस मॉडयूल की मॉनिटरिंग से संबंधित अग्रांकित बिन्दुओं का ध्यान रखें:-

- संस्थाप्रधान सुनिश्चित करें कि विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों की प्रविष्टि 3A/3B में आवश्यक रूप से हो।
- LOCK STAFF DETAILS में विद्यालय में स्वीकृत पद, स्वीकृत विषय, कार्मिक नाम, Employee आईडी, कार्मिक का वर्तमान पद, जन्म दिनांक तथा वर्तमान स्थिति की जानकारी होती है। 'वर्तमान स्थिति' के अन्तर्गत सभी नियमित रूप से पदस्थापित कार्मिकों के लिए permanant लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी लिखा होने पर वह पद रिक्त पद की श्रेणी में आता है तथा दोहरा पदस्थापन होने की आशंका रहती है। 'वर्तमान स्थिति' के अन्तर्गत केवल सक्षम स्तर से आदेशानुसार पद विरूद्व कार्यरत व प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए STAFF JOINING (3A) के अनुसार अन्य प्रविष्टि हो सकती है।
- संस्थाप्रधान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि विद्यालय को स्वीकृत पद व स्वीकृत विषय तथा शालादर्पण पर प्रदर्शित स्वीकृत पद व स्वीकृत विषय पूर्णतया समान हैं। किसी विसंगति की स्थिति में शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर को तत्काल सूचित करें।
- STAFF JOINING (प्रपत्र-3A) का नियमित अवलोकन करते हुए यह सुनिश्चित करें कि कोई भी कार्मिक कार्यग्रहण हेतु प्रतिक्षारत नहीं हैं।
- विद्यालय के समस्त कार्मिकों के कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि (प्रपत्र 10) का विद्यालय रिकॉर्ड से मिलान कर फीडिंग करें व कार्मिक फोटो अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- TEACHER EXAMINER DATA MAPPING की फीडिंग सुनिश्चित करें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के आवंटन हेतु यह मॉडयूल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

स्टाफ मॉड्यूल की प्रतिमाह जाँच अपेक्षित है तथा विद्यालय में किसी कार्मिक के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति के समय विशेष ध्यान देवें।

5. स्कीम मॉड्यूल (Schemes Module):-विद्यार्थियों हेतु विभिन्न योजनाओं यथा छात्रवृत्ति, साईकिल/लेपटॉप वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, पालनहार योजना इत्यादि हेतु सही पात्र विद्यार्थियों की प्रविष्टि के लिए संस्था प्रधान की सजगता अत्यन्त आवश्यक है। संस्था प्रधान को इस मॉडयूल की साप्ताहित समीक्षा करनी चाहिए।

6. रिपोर्ट मॉडयूल (Report Module):-रिपोर्ट मॉडयूल में विद्यालय प्रबंधन हेतु उपयोगी अनेक रिपोर्ट उपलब्ध हैं। इन रिपोर्ट की जाँच कर विद्यालय के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता हैं। विद्यालय प्रबंधन व मोनिटरिंग हेतु कुछ उपयोगी रिपोर्ट निम्नानुसार हैं:-

- NSO/TC जारी किए गए विद्यार्थियों की रिपोर्ट।
- विद्यालय इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट।
- स्टाफ रिपोर्ट।
- विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा लिस्ट रिपोर्ट ।
- जिला समान परीक्षा हेतु नामांकन रिपोर्ट ।

7. डाउनलोड मॉड्यूल (Download Module):-इस मॉड्यूल में अग्रांकित तीन अत्यन्त उपयोगी रिपोर्ट Excel sheet format में DOWNLOAD हेतु उपलब्ध है:-

- Staff ID data download
- Student ID Data download
- Student detailed data download

उपर्युक्त तीन रिपोर्ट में विभिन्न Excel formula का उपयोग करके विद्यालय, कार्मिक व विद्यार्थी संबंधी विभिन्न रिपोर्ट को Generate किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा-09 की OBC की समस्त छात्राओं की सूची Student detailed data download से EXCEL Filter Option का

उपयोग कर तत्काल प्राप्त की जा सकती है।

8. रिजल्ट मॉड्यूल (Result Module):-कक्षा 1 से 4, 6, 7 व 9 की स्थानीय परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम शालादर्पण से जारी होता है तथा विद्यार्थियों को अंकतालिका भी शालादर्पण से ही प्राप्त कर प्रदान की जाती है। संस्थाप्रधान द्वारा प्रथम परख से ही इस मॉड्यूल की सतत् मॉनिटरिंग अपेक्षित है तथा प्रत्येक परीक्षा समाप्ति के पश्चात् सात दिवस की समयावधि में परीक्षा परिणाम की फीडिंग पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें।

9. MISCELLANEOUS मॉड्यूल:- समय-समय पर विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किए जाने वाले मॉड्यूल यहाँ उपलब्ध होते हैं। उदाहरणार्थ गरिमा पेटिका, अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, WIPS AND BLUE-PINK TABLET INFORMATION, DEWORMING INFORMATION, GIRL HARRASMENT AND CHILD ABUSEMENT RESOLUTION COMMITTEE इत्यादि कार्य MISCELLANEOUS मॉड्यूल में उपलब्ध होते हैं।

एकीकृत शालादर्पण पोर्टल : शालादर्पण पोर्टल व शालादर्शन पोर्टल के एकीकरण के पश्चात् PEEO (पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी) लॉगिन पर विभिन्न working role के अन्तर्गत कार्य किया जाता है। PEEO लॉगिन के विभिन्न working role के तहत आने वाले प्रावि./उप्रावि. लॉगिन में क्रम संख्या 01 से 09 बिन्दुओं में वर्णित मॉडयूल कार्यरत हैं जबकि PEEO working role के द्वारा अधीनस्थ प्रावि./उप्रावि. का पर्यवेक्षण व प्रबंधन किया जाता है।

PEEO लॉगिन पर्यवेक्षण हेतु संस्था प्रधान के दायित्व :- PEEO क्षेत्र के विद्यालयों के अन्तर्गत विभिन्न प्रावि./उप्रावि. आते है जिनकी मॉनिटरिंग/पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन PEEO संस्था प्रधान के कर्त्तव्यों में शामिल है। PEEO working role पर्यवेक्षण में निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।

- कार्मिक व्यक्तिगत विवरण रिपोर्ट (प्रपत्र-10) की मासिक जाँच कर PEEO संस्थाप्रधान को अधीनस्थ प्रावि./उप्रावि. के सभी कार्मिकों की प्रविष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए।
- PEEO संस्थाप्रधान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ प्रावि./उप्रावि. को स्वीकृत पद व स्वीकृत विषय तथा शालादर्पण पर दर्शाये गये कार्मिक के वर्तमान पद व विषय पूर्णतया समान हैं। किसी विसंगति की स्थिति में शालादर्पण अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर को तत्काल सूचित करें।
- STAFF RELIEVING/ JOINING (PEEO) द्वारा अधीनस्थ विद्यालयों के कार्मिकों की कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति यथासमय सुनिश्चित करें।
- PEEO MPR की प्रविष्टि प्रतिमाह 10 तारीख तक की जानी सुनिश्चित करें।
- सभी अधीन प्रावि./उप्रावि. विद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की कार्मिक विस्तृत विवरण प्रविष्टि (प्रपत्र 10) की रिपोर्ट का अवलोकन करें व आवश्यक होने पर अनलॉक करें।
- PEEO लॉगिन के द्वारा HELP DESK की मदद से PEEO के अधीन प्रा.वि./उ.प्रा.वि. विद्यालयों का लॉगिन Password reset किया जा सकता है।

शालादर्पण: महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

(1) शालादर्पण अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
प्रभारी: श्री राजेन्द्र प्रसाद मील, सहायक निदेशक।
ई मेल: bikanersd@gmail.com
सम्पर्क: 8118852336, 0151-2201861

(2) शालादर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल जयपुर।
प्रभारी: श्री दीपक कुमार, उपनिदेशक।
ई मेल: rmsaccr@gmail.com, rajssashaladarshan@gmail.com
सम्पर्क: 8949776612, 0141-2700872

(3) शालादर्पण अनुभाग, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
प्रभारी : श्री सी. एम. भार्गव, सहायक निदेशक।
ई मेल: direleshaladarshan@gmail.com
सम्पर्क: 9461168676

व्याख्याता, शालादर्पण अनुभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर
मो. 8107847570

बाल शिविरा

मुर्गे की उलझन

❒ तनु

बंदर टीचर ने मुर्गे से,
पूछा एक सवाल,
प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं,
क्या है इसकी चाल?
पढ़ाई में था कमजोर,
उत्तर कुछ ना आया,
मुर्गा बन जाओ तुम,
टीचर ने फरमाया।
मुर्गा बोला मैं मानू,
कैसे हुकुम तुम्हारा,
मैं तो पहले ही मुर्गा हूं,
कैसे बनूं दुबारा।

राउमावि,
धतरवाला, झुन्झुनू

सूरज

❒ निशा

सूरज निकला मिटा अधेंरा।
देखों बच्चों हुआ सवेरा।।

आया मीठी हवा का फेरा।
चिडियों ने फिर छोड़ा बसेरा।।

जागो बच्चों अब मत सोओ।
इतना सुन्दर समय न खोओ।

कक्षा-4
रा.प्रा.वि. तलवाड़ा झील
पं. स. टिब्बी (हनुमानगढ़)

ई-लर्निंग

शिक्षा में गुणवत्ता

❒ वंदिता माथुर

ई लर्निंग इलेक्ट्रोनिक लर्निंग पद का संक्षिप्तीकरण है। ऐसी लर्निंग या अधिगम जिसे किसी एक से अधिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यमों अथवा संसाधनों की सहायता लेकर सम्पादित किया जाता है यह इलेक्ट्रोनिक माध्यम उपकरण जैसे माईक्रोफोन और श्रवणयंत्रों अथवा ऑडियो-वीडियो टेप्स की सहायता से सम्पादित किया जाता है। ई-लर्निंग को व्यावहारिक रूप में आधुनिक शिक्षण-अधिगम तकनीकी (जिसमें कम्प्यूटर, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का सहयोग रहता है।) ई-अधिगम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है -

1. इसमें प्रभावी अधिगम प्रक्रिया के लिए विषय-वस्तु डिजिटलाइज शैली में उचित श्रव्योपकरण के प्रयोग से प्रस्तुत की जाती है।

2. नवीनतम बहुमाध्यमीय प्रौद्योगिकी द्वारा और अन्वजलि द्वारा अधिगम के गुणवता संवर्धन के लिए यथासम्भव प्राप्त सुविधाओं का प्रयोग ही ई-लर्निंग है।

ई-लर्निंग की विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से सामान्यतः निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कारक दृष्टिगोचर होते हैं।

1. ई-लर्निंग संचार प्रौद्योगिकी का रूप है।

2. ई-लर्निंग को विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग में लिया जाता है।

3. ई-लर्निंग व्यापक दृष्टिकोण रखता है।

ई-अधिगम की शैलियाँ (Style of E-Learning)

1. **अवलम्ब अधिगम (Support Learning)** : ई-लर्निंग के इस प्रारूप का उपयोग शिक्षक एवं छात्र दोनों ही अपने शिक्षण एवं अधिगम कार्यो को बेहतर बनाने हेतु कर सकते हैं। जैसे कक्षा शिक्षण में मल्टीमीडिया, इन्टरनेट, वेब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके।

2. **मिश्रित अधिगम (Blended Learning) :** इस ई-लर्निंग प्रारूप में परम्परागत तथा सूचना सम्प्रेषण तकनीकी पर आधारित दोनों प्रकार की प्रविधियों के मिश्रित रूप का प्रयोग कर शिक्षण और अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके।

3. **पूर्णतः ई-अधिगम (Complete E- Learning) :** इस प्रकार के प्रारूप में परम्परागत कक्षा का स्थान पूर्णतः आभासीय कक्षा-कक्ष ले लेते हैं। इस प्रकार के अधिगम प्रारूप में छात्रों के समक्ष पूर्णतः संरचित एवं

निर्मित 'ई-लर्निंग' पाठ्यक्रम तथा अधिगम सामग्री होती है। जिन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी-अपनी अधिगम गति से ग्रहण करने के प्रयत्न करते हैं। यह शैलियाँ दो प्रकार की होती हैं।

a. सिंक्रोनेस सम्प्रेषण शैली (Synchronous Communication Style)

b. एसिंक्रोनेस सम्प्रेषण शैली (ASynchronous Communication Style)

ई-लर्निंग-शिक्षा में गुणवत्ता सुधारः शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।

ई-लर्निंग की उपयोगिता : ई-लर्निंग व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर अधिगमकर्त्ताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। संक्षेप में इसकी इस उपादेयता का इस प्रकार है -

1. जिन अधिगमकर्त्ताओं के पास कक्षा शिक्षण से लाभ उठाने हेतु ना तो समय होता है और ना साधन, उन्हें ई-लर्निंग के माध्यम से अपनी किसी भी प्रकार के अध्ययन सम्बन्धी रुचि या इच्छा की पूर्ति करने में सफलता मिल सकती है। इसमें ना कोई दूरी आड़े आती है और ना ही किसी प्रकार की समस्याएँ/बाधाएँ।

2. ई-लर्निंग अधिगमकर्त्ताओं को उनकी अपनी जरूरतें, मानसिक स्तर, दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप उचित शिक्षा, अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव, प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है।

3. ई-लर्निंग की एक बडी विशेषता इसके इस गुण में भी निहित रहती है कि इसके द्वारा उसी प्रकार की बेहतर अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को प्रदान की जा सकती है जैसी कि परम्परागत कक्षा शिक्षण में संलग्न विद्यार्थियों को प्राप्त होती है।

4. परम्परागत कक्षा शिक्षण की तुलना में ई-लर्निंग इस दृष्टि से भी सिद्ध होती है कि इसके माध्यम से सभी अधिगमकर्त्ताओं को समान अधिगम एवं प्रशिक्षण अवसर प्राप्त हो सकते हैं। चाहे वे किसी भी स्थान, प्रदेश, संस्कृति, प्रान्त तथा देश से अपना सम्बन्ध रखते हैं।

5. देश और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अनगिनत अभिकर्त्ताओं को ई-लर्निंग उच्च कोटि का अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता रखती है।

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि ई-लर्निंग का एक ओर मुख्य आकर्षण तथा विशेषता उसके लचीलेपन को लेकर है दूसरी ओर यह किसी भी प्रकार के माध्यम (सीडी, डीवीडी, कम्प्यूटर तथा मोबाइल फोन) पाठ्य-वस्तु तथा ग्रहण करने के तरीके के माध्यम से विद्यार्थियों को उचित रूप से उपलब्ध हो सकती है।

ई-लर्निंग का उपयोग विद्यार्थियों की रुचि और अभिप्रेरणा को उनके अधिगम में अच्छी तरह बनाए रखने में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्योंकि ई-लर्निंग उनके अधिगम अनुभव प्राप्त करने के अवसरों में पर्याप्त विभिन्नता ला सकती है तथा फलस्वरूप वे कभी मल्टीमीडिया कभी इंटरनेट का रूप ग्रहण करने में सक्षम होती है।

ई-लर्निंग अपने विविध प्रारूप प्रदान करने के विभिन्न तरीकों को लेकर अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच ऑनलाईन, आफ लाइन तथा प्रत्यक्ष अंतःक्रिया सम्पन्न करने की क्षमता रखती है और इस दृष्टि से परम्परागत कक्षा शिक्षण का उचित विकल्प प्रस्तुत करने में इसकी कोई सानी नहीं है।

विभागाध्यक्ष (पुस्तकालय विभाग)
राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान,
अजमेर (राज.)

पर्यावरण-संरक्षण

जल, थल और स्वास्थ्य के लिए घातक प्लास्टिक

❒ अंकुश्री

शायद ही कोई नदी या तालाब हो, जिसके किनारे प्लास्टिक का कचरा नहीं दिखता हो शहर से लेकर गाँव तक की छोटी-बड़ी सभी नालियों में प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ दिखता है। इसका कारण है प्लास्टिक का हमारे जीवन में रच-बस जाना, ग्रोसरी की दुकान हो या सब्जी की, दूध का पैकेट हो या दवा की बोतलें, पानी पीने का गिलास हो या चाय की प्याली, सजाने का फूलदान हो या खाने की थाली-प्लास्टिक का प्रयोग हर जगह दिखाई दे रहा है। हर प्रकार का डिब्बाकरण में प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, यह कहना ज्यादा अच्छा होगा कि प्लास्टिक हर जगह व्याप्त है, हम इसे सर्वव्यापी कह सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग-क्षेत्र की सूची बहुत लम्बी है। इसके आश्चर्यजनक ढंग से सर्वव्यापी होने का प्रमुख कारण इसकी सुलभ उपलब्धता, सुविधाजनक उपयोगिता और कम खर्चीला होना है लेकिन सारे उपयोग के बावजूद इसमें दो बहुत बड़े ऐब हैं, पहला पर्यावरण से संबंधित है, जो इसके उच्छीष्ट के विघटन के अभाव से उत्पन्न है, इसका दूसरा ऐब है इसमें पाए जाने वाला रासायनिक तत्व।

उच्छीष्ट विघटित नहीं हो पाने और रसायन से शरीर को नुकसान पहुँचाने से इतने उपयोगी प्लास्टिक से स्थिति इतनी दुखद बनी हुई है। प्लास्टिक की उपयोगिता से प्रकृति में उत्पन्न इसके नुकसान के कारण इसे बुरी नजर से देखा जाता है। इसके संसर्ग में आने पर भोजन अथवा पेय पदार्थों में रासायनिक बदलाव आ जाता है। जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है और जिसका काफी दूरगामी कुप्रभाव पड़ता है। इसके रासायनिक ऐब से बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी अवगत हैं, फिर भी वे इसका धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। जो उनकी मजबूरी नहीं, लापरवाही है।

बहूपयोगी मगर नुकसानदेह प्लास्टिक पोलीमर की खोज सन् 1835 ई. में हो गई थी किन्तु सन् 1909 ई. में बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हेनड्रिक बेकलैंड द्वारा बेकेलाइट की खोज के बाद इसकी उपयोगिता बढ़ गई और प्लास्टिक युग की शुरुआत हो गई। हल्का टिकाऊऔर इच्छित आकार में ढाले जाने के गुण के कारण प्लास्टिक का बहुआयामी उपयोग बहुत ही तेजी से बढ़ा। लकड़ी, पत्ता,

मिट्टी, कागज, कपड़ा, जूट, धातु, कांच, रूई आदि से तैयार की जाने वाली उपयोगी सामग्रियों का निर्माण प्लास्टिक से होने लगा। कागज, कपड़ा और जूट की थैलियों की जगह प्लास्टिक की थैलियों ने ले ली। कांच और मिट्टी की जगह प्लास्टिक के शीशी, बोतल, मर्तबान आदि बन गए। विभिन्न प्रकार के फर्नीचर खिड़की-दरवाजे आदि लकड़ी के बदले प्लास्टिक के बनने लगे। यहाँ तक कि कपड़ा उद्योग में रूई और रेशम की जगह प्लास्टिक जाति के नायलॉन, टेरीलीन आदि का उपयोग होने लगा। सूती कपड़ों की अपेक्षा सिंथेटिक कपड़ों का रख रखाव आसान होने से कपड़ा उद्योग में इसका धड़ल्ले से प्रयोग होने लगा। इन कपड़ों के आ जाने से सूती कपड़ों का प्रयोग कम होने लगा और कपड़ा बाजार में प्लास्टिक से बने कपड़ों का प्रचलन तेजी से बढ़ गया। अब धीरे-धीरे लोगों को यह पता चल चुका है कि प्लास्टिक के पात्रों में रखे भोज्य और पेय पदार्थ हो या सिंथेटिक कपड़े-इनका उपयोग मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, जानते हुए भी लोगों द्वारा प्लास्टिक का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा रहा है।

प्राचीन काल से भोजन परोसने के लिए पलाश, महुआ, साल, कटहल, कैला आदि की पत्तियों से बने पत्तल का उपयोग होता रहा था। प्रकृति से जुड़े इन पदार्थों का उपयोग प्लास्टिक की तरह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था। कुछ लोग आज भी पत्तल का ही उपयोग करना पसंद करते हैं। दक्षिण भारत और अन्य कई जगह आज भी केला के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। बड़े-बड़े होटलों में स्टील के प्लेट तो दिए जाते हैं। मगर भोजन परोसा जाता है केले के पत्ते पर ही। इससे भोजन की शुद्धता बनी रहती है। पत्तल पर भोजन करना सामाजिक अर्थ व्यवस्था का एक हिस्सा है। पत्तल उद्योग में लगे हजारों लोगों को इससे संबल प्राप्त होता है। ग्रामीणों को रोजगार मिल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। पत्तल-निर्माण के कार्य में ग्रामीण और आदिवासी परिवारों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाएँ और बच्चे भी लगे रहते हैं। उन्हें पत्तियाँ तोड़ कर लाने, उनसे पत्तल बनाने और बने पत्तल को बाजार में जाकर बेचने का काम मिल जाता है। झारखण्ड और छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पत्तल का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि और आदिवासी समाज की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ करने का प्रमुख साधन है। पत्तल के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ प्लास्टिक की तुलना में स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव है। अपनी सोच को थोड़ा मजबूत और संकल्पित कर लिया जाए तो प्लास्टिक के पत्तल आदि का उपयोग बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आरंभ के कुछ दिनों तक भले अटपटा लगे, लेकिन जल्द ही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पत्तों से बने पत्तलों व दौनों का उपयोग पूर्ववत लोकोपयोगी हो जाएगा।

छोटे होटलों और ढाबों की संख्या हजारों नहीं, लाखों में है, जहाँ प्लास्टिक के कप और गिलास का उपयोग बेरोक-टोक हो रहा है। कप, गिलास, थाली, थैला आदि के रूप में प्लास्टिक का नित्य जो उपयोग बढ़ रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं। शादी-प्रीतिभोज, पूजा-पाठ, जन्म-मरण जैसे आयोजनों में प्लास्टिक के कप, गिलास और थाली का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। उपयोग से पूर्व इन्हें धोया नहीं जाता। इससे इनमें सटा रसायन सीधे पेट में चला जाता है। प्लास्टिक के इन पात्रों में भोजनादि, खास कर गरम पदार्थ रख देने से उसमें

रासायनिक गंध और स्वाद का असर स्पष्ट रूप से आ जाता है। प्लास्टिक की रंगीन थैलियाँ तो स्वास्थ्य के लिए और भी अधिक खतरनाक हैं। प्लास्टिक को रंगीन बनाने के लिए घातक रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसलिए उन थैलियों में रखी खाद्य वस्तुएँ रसायनों के संसर्ग में आकर विषैली हो जाती है। इसलिए प्लास्टिक के इन पात्रों के उपयोग का स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पडता है। गिलास, कप, प्लेट आदि के रूप में प्रयोग करने के बाद इसे फेंक दिए जाते हैं। जो हवा के साथ उड़ कर चारों तरफ फैल जाता है। हल्का होने के कारण यह ऐसी जगह भी पहुँच जाता है जहाँ इसका प्रयोग नहीं किया गया हो। इसके साथ यह सबसे बड़ी विसंगति है।

पर्यावरण के लिए खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के नीतिगत निर्णय से सभी सहमत हैं। मगर व्यवहार में इसकी रोकथाम नहीं हो पाई है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता 'मैटिटाइम पॉल्यूशन ट्रीटी' के अनुसार सन् 1994 से ही समुद्रों तथा महासागरों में प्लास्टिक का कचरा फैंकने पर प्रतिबंध है। किन्तु कानून बना देने मात्र से किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। प्लास्टिक के निर्माण, इसके उपयोग और कचरा फैंकने संबंधी कानून का हश्र भी यही हो रहा है। इसके लिए हर व्यक्ति को स्वेच्छा से आगे आना होगा। लेकिन आगे लाने का कार्य पढ़े-लिखे और बुद्धिजीवियों द्वारा ही संभव है।

सार्वजनिक उपयोग की तरह प्लास्टिक के पुनःउपयोग की व्यवस्था भी एक गंभीर समस्या है। विघटन ओर पुनःउपयोग नहीं हो पाने के कारण कचरा के रूप में यह जिस तरह हमारी धरती और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वह आने वाले दिनों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। आज भी यह एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। हालांकि पुनःउपयोग इसका विकल्प नहीं है। क्योंकि जहाँ इसके पुनःउपयोग की सुविधा है। वहाँ की स्थिति और भी खराब है। इसकी रिसाइक्लिंग के दौरान जो गैसें निकलती हैं। वे स्वास्थ्य के लिए अति घातक हैं। इसलिए इसके पुनःउपयोग की बात सोचना सर्वथा अनुपयुक्त और अव्यावहारिक हैं।

अनेक गाँवों और कई शहरों में भी नदियों और तालाबों का जल पीने और स्नान के लिए प्रयुक्त होता है। नदी और तालाब हमारी अर्थ व्यवस्था और दैनिक जीवन के प्रमुख पहलू हैं। पटना, कोलकाता, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ , इलाहाबाद जैसे अनेक बड़े-बड़े शहर नदी के किनारे बसे हुए हैं इन शहरों की आबादी अधिक होने से नदी में प्रदूषण भी अधिक होता है और प्लास्टिक के कचरे से नदी-नाले भरे होते हैं। प्लास्टिक के कचरे के कारण नदियों और तालाबों का जल अशुद्ध हो गया है। प्लास्टिक स्वयं तो गल नहीं पाता। अपने आसपास यह दूसरे कचरों को भी जमा कर लेता है। इससे प्लास्टिक बहुल क्षेत्र में प्रदूषण की विकरालता सहज अनुमान्य है। नदियों की सतह पर तैरते प्लास्टिक तक ही खतरा नहीं है। मुख्य खतरा तो प्लास्टिक का पानी में भीग कर जल-स्रोतों की तलहटी में जाकर बैठ जाना है। नदियों या तालाबों की सतह अथवा तलहटी में प्लास्टिक के कचरा के साथ-साथ दूसरे विजातीय पदार्थ भी जमा हो होते हैं और इस कारण वहाँ बजबजाती हुई गंदगी का साम्राज्य हो जाता है। नालियों में गिरे-पड़े प्लास्टिक के कारण फैली गंदगी को देखकर हम नदियों और तालाबों की तलहटी में प्लास्टिक के कारण फैली गंदगी का सहज ही अनुमान लगा सकते हैं।

धरती पर प्रति वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है। अकेले चीन में160 लाख टन से अधिक प्लास्टिक कचरा निकला है। भारत में इसकी मात्रा 45 लाख टन प्रतिवर्ष है। प्लास्टिक को पूर्ण रूप से विघटित होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैव विघटनीय नहीं होने के कारण प्लास्टिक के कचरा का हर तरफ अंबार लगता जा रहा है। जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है और साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक होते जा रहा है। प्लास्टिक का कचरा नदियों और तालाबों में जमा हो जाने के कारण मछलियों और अन्य जलीय जीवों का जीवन प्रभावित हो गया है। यही स्थिति समुद्र के किनारे और अंदर रहने वाले जलीय जीवों की भी है। जल में तैरते प्लास्टिक को जलीय जीव निगल जाते हैं। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे जीव को खाने वाले मनुष्य का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मछलियाँ और जलीय जीव ही नहीं, गायें और बकरियाँ भी प्लास्टिक की थैलियाँ बड़े चाव से खाने लगी हैं। प्लास्टिक की ये थैलियाँ ऐसे मवेशियों के पेट मे जमा हो जाती हैं और पाचनतंत्रीय रसायनों का इस पर प्रभाव शुरू होता है। जिससे जानवरों में कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। ऐसे बीमार जानवरों के दूध या मांस का प्रयोग करने वालों पर भी इसका सीधा नुकसानदायक प्रभाव पडता है।

पानी या मिट्टी में वर्षों तक रहने के बावजूद गल नहीं पाने के कारण खेतों में प्लास्टिक का कचरा बढ़ गया है। इससे खेत की उर्वरता प्रभावित हो ही रही है। चारों तरफ इसका कचरा भी बढ़ता जा रहा है। इस कारण चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य-सा हो गया है। जो पर्यावरण के लिए अति घातक और स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है।

प्लास्टिक के खतरों से अवगत होने के बावजूद कुछ लोग इसके पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोगों द्वारा कहा जाता है कि प्लास्टिक के उपयोग से वृक्षों की कटाई कम होती है। जो पर्यावरण के लिए हितकर है। लेकिन ऐसी बातें क्षणिक आवेशित हैं। दूरगामी प्रभावों के बारे में सोचने वाले प्लास्टिक के पक्ष में अपनी राय नहीं दे सकते। पेड़ लगाकर उसकी कटाई से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सकता है। मगर प्लास्टिक के उपयोग से उत्पन्न समस्या का समाधान बिल्कुल कठिन है। प्लास्टिक के बहु-उपयोग का दुष्परिणाम ही है कि धरती बंजर बनती जा रही है और नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। नदियों और नालों में जल प्रवाह बाधित हो गया। इससे वहाँ गन्दगी बढ़ती जा रही है और उस गंदगी का रूप भी विकराल होता जा रहा है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सिलसिला यदि इस तरह जारी रहा तो बंजर धरती का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और जल-निकासी भी एक वृहत् समस्या का रूप ले लेगी। तब क्या वन ? बिना वृक्ष या वन के प्लास्टिक से भरी इस धरती पर रहने वालों के स्वास्थ्य की स्थिति की परिकल्पना सहज ही की जा सकती है।

संकल्प हमें लेना होगा,
प्लास्टिक को दूर भगाने का।
तभी होगा सही सपना पूरा,
पर्यावरण को बचाने का।

8, प्रेस कॉलोनी, सिदरौल,
नामकुम, रांची (झारखण्ड)-834 010
मो. 8809972549

चिड़िया, कलियाँ और लड़कियाँ

कवयित्री : डॉ. कृष्णा आचार्य; **प्रकाशन**: कलासन प्रकाशन, बीकानेर; **संस्करण**: 2018; **पृष्ठ** : 80; **मूल्य**: ₹ 150

वक्त की ठण्डी रेत पर (काव्य संग्रह), काळजो कसमसावे (राजस्थानी काव्य संग्रह), काव्य सुगंधा (संपादन), साहित्य समज्या (निबंध) जैसी पुस्तकों की सौगात देने वाली डॉ. कृष्णा आचार्य का नवप्रकाशित काव्य संग्रह है-'चिड़िया, कलियाँ और लड़कियाँ'। देशप्रेम, समाज, नाते-रिश्ते, अध्यात्म जैसे कई विषयों पर लिखी गई इस संग्रह की कविताएँ कवयित्री के संवेदनशील मन का स्पर्श पाकर उसके सृजन की उत्तरोत्तर वृद्धि के निखार को दर्शाती है। इन कविताओं में एक सीधापन है और व्यर्थ के शब्दों के आडम्बर से बचा गया है, नतीजन कविताएँ अपने उचित कलेवर में जीवंत रूप से प्रभावी हो उठी हैं। बहुत मुश्किल होता है कि हम किसी गंभीर विषय को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ छूएं तथा उसे उतनी ही संवेदनशीलता के साथ शब्दों में ढाल कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें और पाठक भी सिर्फ उन्हें पढ़े ही नहीं बल्कि अपने जीवन के किसी घटनाक्रम की झलक भी उसमें पा जाए। यह चमत्कार ही डॉ.कृष्णा आचार्य के इस ताजातरीन काव्य संग्रह में बकमाल नज़र आता है।

गौर करें, 'भाषा-व्यवहार में ज़रा था सख़्त/मगर कोमल पंख सजाता रहा' (बाबूजी, पृ.-31), 'इंजेक्शन वाली नींद में भी बड़बड़ाती भाई के लिए' (ममता की मूरत, पृ.-29), 'सब छिन जाए/ मुझे पहचान देने वाली/ माँ न खो जाए' (मेरी पहचान, पृ.-25) सरीखी कविताओं में आज पल-पल विखण्डित हो रहे परिवार से नाते-रिश्तों से जुड़े रहने की पुरजोर वकालत की गई है। कविताओं में प्रयुक्त सार्थक व सरल-सहज शब्दों के जरिए उन धूमिल होते रिश्तों की पवित्रता को उजागर किया गया है। यह प्रभाव इसलिए ही उपस्थित है कि डॉ. कृष्णा पारिवारिक मूल्यों को बेहद दिल से तरजीह देती है तथा सिर्फ पारिवारिक मूल्यों के विघटन का शोक ही नहीं मनाती, अपितु एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी कविताओं के माध्यम से उनके महत्त्व को बेहद सूक्ष्मता से समझा जाती है। 'चीख रहा क्यों आज हिमालय/ रो रहा गंगा का पानी/रो रही माँ भारती' (हिमालय, पृ.-54), 'भ्रष्टाचार की छाप लगाकर/छीन लिया सुख गद्दारों ने' (भारत माता, पृ.-46), 'राष्ट्र-प्रेम के दीप जब जलते हैं/ कण-कण में तप्त तरंग फौलाद बन उठते हैं' (प्रताप-धरा, पृ.-37), 'सियाचिन के वीरों को भेजो ये पैगाम/संग है तेरे पूरा हिन्दुस्तान' (वीरों को भेजो ये पैग़ाम, पृ.-35), जैसी कविताओं में कवयित्री के ओजस्विता से परिपूर्ण शब्दों से उसका देशप्रेम फूट-फूट कर उभरता है। जहाँ एक ओर देश की गिरती दशा पर अपार दुख व्यक्त है तो वहीं दूसरी तरफ़ वीरों का मनोबल बढ़ाने हेतु सशक्त आह्वान किया गया है। देश के ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से भी आज की युवापीढ़ी को उनके पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की गई है।

इसके अलावा कवयित्री नारी सशक्तीकरण के पक्ष में लिखती है-'जगत जननी नाम है, पहचान धरा और आकाश/ छाती से दूध पिलाती फिर भी, सहती दुख-संत्रास'/इतिहास गवाह है मानव फिर भी, करता है मनमानी' (नारीशक्ति, पृ.42)। यह कटु सत्य है कि आज़ादी के कई दशकों बाद भी नारी स्वतंत्र हो कर भी कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। आज भी समाज व परिवार में पुरुषों का ही बोलबाला है। ऐसे में कवयित्री द्वारा सकारात्मक रूप से उम्मीद जगाना, स्त्रियों को अपने हक के प्रति आवाज़ बुलंद करने को प्रोत्साहित करता है। लेकिन कवयित्री स्त्रियों को मात्र स्त्रीवादी दृष्टिकोण से ही नहीं देखती, बल्कि वह एक नैतिकता से युक्त समाजवादी या समतावादी दृष्टिकोण भी रखती है और इसका पुख़्ता उदाहरण है इस संग्रह की एक और सशक्त कविता-'मेरा भी हिस्सा है इसमें, पृ.-52। इस कविता में बहन अपने भाई के लिए अपनी पैतृक संपत्ति का हिस्सा इसलिए तज देती है ताकि भाई कभी उसको गैर होने का अहसास न कराए। इस कविता को पढ़ने के बाद आप इसे बार-बार पढ़कर रिश्तों की पवित्रता का अहसास जरूर करना चाहेंगे।

संग्रह की अन्य कविताएँ भी बेहद प्रेरणादायी व अपने सरल शब्दों की लक्षणा-शक्ति से प्रभावित करने वाली है। 'बेटी, पृ.-45' में बेटी के होने से घर में जो खुशी का माहौल बनता है, उसका काव्यमय शब्दों में वर्णन देखते ही बनता है। 'आचार्य श्री तुलसी, पृ.-41', 'ज्ञानपुंज अवतार, पृ.-34', 'मीरा-प्रेम दीवानी, पृ.-67' आदि कविताएँ डॉ.कृष्णा के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करती है। 'चिड़िया उड़ती है/फुदकती है डाल-डाल पर/पर क्या उसका उड़ना/सह पाएँगें चील, गिद्ध और काग' (चिड़िया, कलियाँ और लड़कियाँ, पृ.-60) लिखते हुए डॉ. कृष्णा समाज, परिवार और राष्ट्र पर फैल रहे गहन अंधकार में उजाले की उम्मीद का चहचहाना भी सुन सकती है। क्या यह काव्य के प्रयोजन की सफलता नहीं है?

समीक्षक : **शैलेंद्र सरस्वती**
उस्तो की बारी के बाहर, रमण भवन के पीछे,
बीकानेर (राज.) **मो. 8766150148**

गुलमोहर

कवयित्री : शशि ओझा; **प्रकाशक** : कलासन प्रकाशन, बीकानेर; **संस्करण**: 2018; **पृष्ठ** : 136; **मूल्य** : ₹ 200

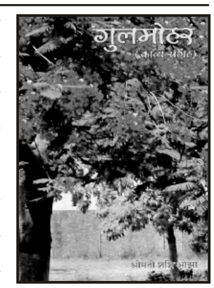

इस काव्य संग्रह की रचयिता श्रीमती शशि ओझा का जन्म 15 अगस्त, 1965 में भीलवाड़ा में हुआ। बी.ए., बी.एड. एवं एम.एड. तक शिक्षा प्राप्त शशि ओझा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। यह पुस्तक अपने पिता स्व. श्री गिरीशदत्त उपाध्याय एवं माता स्व. श्रीमती सुलोचना उपाध्याय को समर्पित की है। आपने अनेक कविता संग्रह, कहानियाँ, लघुकथाएँ, आलेख तथा बाल साहित्य लिखा है। साहित्य मण्डल नाथद्वारा, राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन जबलपुर, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दीघाटी से आप सम्मानित हो चुकी है।

इस काव्य संग्रह 'गुलमोहर' में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है। इन कविताओं से आने वाली पीढ़ी संस्कार, ग्रहण करती है। भारत माँ, महात्मा गाँधी, माँ की यादें,

वतन, वीर सपूतों, वंदिनी माँ, अब्दुल कलाम, होली-दीपावली, राजस्थान की विरासत, महाराणा प्रताप से, बालकों के जीवन में आगे बढ़ने का हौसला पैदा होता है। देशभक्ति की भावना हिलोरें लेने लगती है। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। आज ऐसे देशभक्त नागरिकों की सख्त जरूरत है। ऐसी पुस्तक उनके लिए प्रेरणादायी रसधारा है। 'भारत की शान' कविता में पूरी कविता देशभक्ति से ओतप्रोत है। प्रताप सिंह बारहठ शाहपुरा में योद्धा हुए, दिल्ली में हॉर्डिंग पर बम फेंका। अंग्रेज सैनिक डरकर भाग गए, चेतावनी रा चूंगट्या (तेहर) प्रेरणा दे गए। 'गुलमोहर' में वृक्ष, उसके फूल पत्ते और उसका संपूर्ण स्वरूप देखने में सुन्दर और मनभावन लगता है। सुन्दर शब्द 'पुष्प' हमको आकर्षित करता है।

फूल खिले हैं, डाली-डाली,
खुशियाँ बाँटे आली-आली,
गुलमोहर की शान निराली,
हरी-हरी घास कालीन सी सजीली,
चित्रलेखी सी टहनियाँ है हठीली,
सिन्दूरी फूल है उसके मन भाते,
ठहर-ठहर पथिक बतियाते।।

'वर्षा' होते ही किसान हल लेकर खेत जोतता है। आशा की किरणों में जीवन जीतता है। बीज बोते ही सपने लेने लग जाता है। किसान की अभिलाषा यूं झलकती है।

चातक सा प्यासा किसान, चाहत लिए,
बोकर बीज खेत में सपने लिए।
कब उगेगा पौधा अभिलाषा लिए,
बाँधे मनसूबे कर्ज चुकाने के लिए।

प्रस्तुत कविता संग्रह भावों से भरा गुच्छा है कहीं अनुभव की भाँति है तो कहीं आज की विषमताओं का अंकन। इन कविताओं में नदी के शालिग्रामों जैसी सुदृश्यता भले ही दृषित न हो किंतु स्वाभाविक एवं प्राकृतिक पात्रता अवश्य रखती है। इस पुस्तक में सर्जना का आवेश रचनाकार की अपनी मौज है। उस मौज में वह जो लिख दे, वह उसको प्रिय होता है। क्योंकि उसकी अपनी मौलिकता है, जो संजोए रहती है। लेखिका राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी सम्मान देती है।

नौजवानों हिन्दी को पहचानो,
ग्राम शहर गली गली में अपनाओ।
गंगा की पावन धारा में गीत प्रेम से गाओ,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक संदेश फैलाओ।
मेरे देश की भाषा हिन्दी है,
हम सब की भाषा हिन्दी है।

श्रीमती शशि ओझा पेशे से शिक्षिका रही है। जीवन भर बालकों एवं समाज को ज्ञान देने का उपक्रम करती है। यह न कोई पेशेवर कवयित्री है न ही इन कविताओं के माध्यम से किसी विशेष पाने की चाह उनके मन में रही है। देशप्रेम, इतिहास एवं सामाजिकता के प्रति जागरूकता, आदर्शों के प्रति सजगता, पर्यावरण, पारिवारिक मूल्य, हमारी विरासत और मनुष्यता आदि कई विषयों पर अनुभव के मोती बिखेरे हैं।

उन निर्माताओं को याद करें
जिन्होंने संविधान बना लागू किया।
हमें व्यवस्था सुविधा-सूरत दिया।
जीवन में शान्ति-सुख दिया।
आओ गणतंत्र दिवस मनाएँ।
वसन्ती धरा का आनंद लें।।

हमारे इतिहास पुरुषों पर कलम चलाकर कवयित्री ने उन महापुरुषों को शब्दांजलि दी है तो युवाओं के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भक्त शिरोमणि मीरा, दयानन्द सरस्वती, महाराणा प्रताप, महात्मा गाँधी पर कविताओं में जहाँ देश प्रेम का शंखनाद है तो भारतीय सांस्कृतिक वैभवता का भी पाठ है। इन रचनाओं में संस्कार, सेवा, उदारता, सामंजस्य, प्रसन्नता, प्रेम, ममता आदि भाव समाहित हैं। गुलमोहर, गुलाब, तिनका, वृक्षों की छांव, नभ बरसो, वसन्त, सुगन्ध, वर्षा, कौवे की काँव-काँव, चाँदी से बादल, हरी घास पर, कल्प वृक्ष और सावन में प्राकृतिक छटा का मनोरम वर्णन है। प्रकृति के माध्यम से मानवता और सहिष्णुता का सन्देश है। इन कविताओं में मानव मन की कोमलता झलकती है। कुल मिलाकर 'गुलमोहर' कविता संग्रह कवयित्री की कोमल भावनाओं को प्रकट करती है। पुस्तक जीवन को प्रसन्नता के साथ जीने की कला सिखाती है। इस पुस्तक से सारे देश में जागरूकता आए, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त सारा देश हो, ऐसी जनकल्याणकारी संरचना बाबत कवयित्री श्रीमती शशि ओझा बधाई की पात्र है।

समीक्षकः **पृथ्वी राज रतनू**
एफ.सी.आइ. गोदाम रोड,
इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर (राज.)
मोः 9414969200

आंख्या मांय सुपनो

लेखक : मधु आचार्य 'आशावादी'; **प्रकाशकः** ऋचा (इण्डिया) पब्लिशर्स, बीकानेर; **संस्करणः** 2015; **पृष्ठ संख्याः** 88; **मूल्यः** ₹ 125

इस संग्रह की दो कहानियाँ 'हेत री सूळ' और ''गोमती री गंगा' पाठक को सोच का नया आयाम देती है। नेट-चैट से पनपते प्यार बनाम टाइमपास पर लिखी कहानी 'हेत री सूळ' समकालीन संदर्भों की उम्दा कहानी है, जिसमें यह बताया गया है कि दोष आविष्कारों या सुविधाओं का नहीं है, उन्हें बरतने में की जाने वाली बेवकूफियों का है। इसी तरह 'गोमती री गंगा' एक पागल किरदार की सहनशक्ति खत्म होने की कहानी है, पूरी कहानी में यह अपनी उपस्थिति सिर्फ जिक्र भर से दर्ज करवाता है और अंत में भी एक जिक्र होता है और यह समझा जाता है कि हम जिन्हें पागल समझते हैं, उनकी संवेदनाओं का स्तर किसी समझदार से कम नहीं होता बल्कि जब उनके जच जाती है तो फिर कोई आगा-पीछा भी नहीं सोचते। यथार्थ के धरातल पर रची कहानी 'हेत री सूळ' और संवेदनाओं का अन्वेषण करती कहानी 'गंगा री गोमती' कहानी 'आंख्या मांय सुपनो' संग्रह की ऐसी ही खास कहानी है। वरिष्ठ रंगकर्मी, पत्रकार, साहित्यकार मधु आचार्य'आशावादी' के इस संग्रह की विशेषता पाठकों के साथ धीरे-धीरे एकाकार होते हुए उन्हें बहुत ही सहजता के साथ एक विषय तक ले जाना है। वे पाठक को इतनी आत्मीयता के साथ अपने कथ्य से जोड़ते हैं कि कुछ ही देर में पाठक भी अपने आप को एक किरदार की तरह महसूस करने लगता है और जब तक कहानी उत्कर्ष निकलता है तो एक सीख उसके जेहन में होती है।

यहाँ मैं कह सकता हूँ कि भले ही मधु आचार्य 'आशावादी' की कहानी आधुनिक है लेकिन उन्होंने कहानी-कला के परंपरागत मूल्यों को नहीं छोड़ा है, जहाँ यह जरूरी होता है कि कहानी खत्म हो तो पाठक को कुछ बरामद हो। वे अपने पाठक को कहानी के अंत में किसी अंधेरी हवेली में हाथ छुड़ाकर भागने जैसा व्यवहार करते दिखाई नहीं देते। यह उनकी सबसे

बड़ी विशेषता है और यही वजह है कि पाठक का उनकी रचनाओं से तादात्म्य बना हुआ रहता है। दूसरी उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, वह है संवाद शैली। यहाँ उनका रंगकर्मी होना काम आता है। बहुत ही सरल-सुबोध और आम प्रचलन की भाषा में वे बात करते हैं, बात को घुमा-फिराकर या प्रतीकों में उलझाकर कहना उनकी फितरत में शामिल नहीं है और यही वजह है कि उनकी बातें दार्शनिक होते हुए भी अरुचिकर नहीं लगती। इस संग्रह की नौ कहानियों में से टाइटल-कहानी 'आंख्या मांय सुपनो' एक युवक के फौजी बनने की कहानी है और उसकी माँ के इंतजार का आख्यान। यह संयोग ही है कि जिस वक्त यह कहानी पढ़ी जा रही है, ठीक उसी वक्त आतंकवादियों से भारतीय सेना के जवान लड़ रहे हैं, एक जवान रमेश की शहादत भी सात आतंकवादियों को मारने के बाद होती है।

देश में दंगों की चपेट में आने वाले मासूमों की संवेदनाओं को उकेरती कहानी 'लाल-गोटी' है तो दूसरी ओर साम्प्रदायिकता की समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़ी कहानी 'धरम री धजा' कौमी-एकता की एक अनूठी मिसाल खड़ी करती है। 'घर री भींत' कहानी अपनी सारी जिंदगी सभी को जोड़कर रखने और बच्चों को बेहतरीन परवरिश देने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की है, जिसे अंतत: बंटवारे की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। संग्रह की पहली कहानी 'सीर री जूण' भी एक ऐसी ही कहानी है, जिसका किरदार मन के दुख-दर्दों पर मस्ती का मुखौटा लगाए फिरता है और ऐसी स्थितियाँ आ जाती है कि लोग मुखौटे को ही सच समझने लगते हैं। इस संग्रह की कहानी 'सेवा अर मेवा' और 'सरपंची रो साच' भी नए संदर्भों से जुड़ी कहानी है। मधु आचार्य 'आशावादी' की यही विशेषता है कि वे अपनी बात को कहने के लिए नए विषयों का चयन करते हैं और बहुत सारे विषय तो ऐसे होते हैं, जिन पर साहित्यकार-समाज का अभी तक ध्यान ही नहीं गया है। यह दौर जहाँ शिल्प पर काम किया जा रहा है, मधु आचार्य 'आशावादी' नए विषयों को सामने रख रहे हैं जो कि ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। शिल्प से साहित्यकार का वजूद बनता है और नए विषयों के आने से साहित्य का समाज से सरोकार स्थापित होता है। इस दृष्टि से मुझे ये कहानियाँ दो कदम आगे की कहानियाँ लगती है।

समीक्षक : **हरीश बी. शर्मा**
बेणीसर बारी के बाहर, सूर्य कॉलोनी, बीकानेर-4
मो:9672912603

चेतु की चेतना

लेखक: डॉ प्रमोद कुमार चमोली; **प्रकाशक:** सुभद्रा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स; **संस्करण:** 2018; **पृष्ठ:** 32; **मूल्य :** ₹ 60

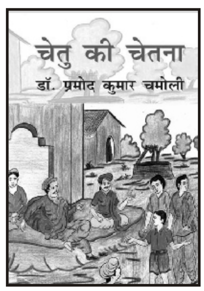

बच्चों के लिए लिखना जितना आसान समझा जाता है असल में है उतना ही मुश्किल। बाल साहित्य के लिए सबसे पहली शर्त है बाल मनोविज्ञान की समुचित जानकारी। जब तक हम बच्चों के मन को नहीं समझ पाते हैं तब तक बच्चों के लिए लिखना सार्थक नहीं। असल में बाल साहित्य के नाम पर बोझिल ज्ञान व उपदेशों को इस तरह परोसा जाता है कि बच्चे साहित्य में रुचि लेने की बजाय उससे दूर भागने लगते हैं। वस्तुतः बाल साहित्य को इतना रोचक और सरस होना चाहिए कि उससे बच्चों का मनोरंजन तो हो ही, वे भावी जीवन के लिए भी तैयार हो सकें। वैसे तो 'कहानी' साहित्य की सभी विधाओं में प्रमुख है, मगर बाल साहित्य में कहानियाँ बच्चों को सबसे ज्यादा लुभाती हैं। पुराने समय में तो दादी-नानी से कहानी सुनना बच्चों का प्रिय शगल रहा है, आज के तकनीकी युग में भी कहानियाँ बच्चों को अपनी तरफ खींचती है, बशर्ते वे बालमन के अनुरूप हो। आज का बच्चा परियों, राक्षसों व राजा-रानियों की कपोल कल्पनाओं से भरी कहानियों को पसंद नहीं करता। वह हर चीज को तर्क की कसौटी पर कस कर देखता है। इस लिहाज से शिक्षाविद-साहित्यकार डॉ. प्रमोद कुमार चमोली की नवीनतम बाल कथा पुस्तक 'चेतु की चेतना' बाल पाठकों के लिए एक अनमोल उपहार है। संग्रह में शामिल पांचों बाल कहानियों में मुख्य पात्र के रूप में चेतु नाम का एक बच्चा है। वह अत्यंत जिज्ञासु है। वह हर नई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता बल्कि उसकी तह तक जाकर गहराई से छानबीन करता है। चेतु की यही चेतना उसे तार्किक नजरिए से परिपूर्ण बनाती है। अपनी सहज जिज्ञासा के बल पर वह थोथे आदर्शों और अंधविश्वासों की पोल खोलकर रख देता है और अपने आसपास के लोगों के मन-मस्तिष्क में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करता है। संग्रह की पहली कहानी 'ऐसे खुली पोल' में एक ढोंगी बाबा के पाखंडों को उजागर किया गया है। ऐसे ढोंगी आम लोगों को अचंभित करने वाले करतब दिखाकर उनका भरोसा हासिल कर लेते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के नाम पर ठगी करने लगते हैं। दूसरी कहानी 'बेईमानी को पकड़ा' में चेतु अपने पापा के साथ बाजार सब्जी लाने जाता है और वहाँ सब्जी वाले के सामान तौलने के कांटे में जान बूझकर की गई खामी को पकड़ लेता है। 'लौटा, चेतु का चुलबुलापन' किताब की तीसरी कहानी है जिसमें भूत प्रेत के लौकिक अंधविश्वास का खुलासा किया गया है। चेतु के साथ पढ़ने वाले मंगल को मलेरिया बुखार हो जाता है मगर उसके माँ बाप उसे दवाखाने ले जाने के बजाय टोने-टोटके से इलाज करवाने का प्रयास करते हैं। चेतु के अध्यापक, साथी व अपनी समझदारी से मंगल को चिकित्सकीय मदद दिलाकर स्वस्थ बना देते हैं। 'पानी की समस्या' संग्रह की चौथी कहानी है जिसमें चेतु बच्चा होते हुए भी बड़े लोगों को पानी की बचत का संदेश देता दिखाई देता है। 'शैतानी बन गई सीख' संग्रह की आखिरी कहानी है जिसमें ऊर्जा के रूपान्तरण के वैज्ञानिक सम्प्रत्यय को सहज रूप में स्पष्ट किया गया है। विषयवस्तु से मेल खाते चित्र किताब की पठनीयता को बढ़ाते हैं। कहना न होगा कि यह बाल कथा संग्रह पाठकों का मनोरंजन तो करता ही है, उनको विज्ञान के सिद्धांतों से भी परिचित करवाता है। 'चेतु की चेतना' जैसी किताबें पाठ्यक्रम की पूरक हैं। सही रूप में देखा जाए तो विवेक का विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी यदि अंधविश्वासों में उलझा रहेगा तो इससे हमारी शैक्षिक व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाता है। विद्यालय एवं घर पर ऐसी पुस्तकों की उपलब्धता शिक्षक का काम आसान कर देती है। निश्चय ही, सुंदर आवरण से सुसज्जित यह संग्रह बाल पाठकों के मन को भाएगा। ऐसी पुस्तकों को बाल पाठकों तक पहुँचाना समाज के प्रबुद्ध वर्ग की महती जिम्मेवारी है।

समीक्षक: **डॉ मदन गोपाल लढ़ा**
प्रधानाचार्य
144, लढ़ा निवास, महाजन, बीकानेर-334604
मो: 9982502969

शाला प्रांगण से

अपने शाला परिसर में आयोजित समस्त प्रकार की बालोपयोगी एवं शैक्षिक गतिविधियों को पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है अतः आयोजित कार्यक्रमों का प्रतिवेदन बनाकर **shalaprangan.shivira@gmail.com** पर भिजवाकर सहयोग करें।

-व. संपादक

राष्ट्रीय स्तर की प्रधानमंत्री शिल्ड प्रतियोगिता के पहले विजेता बने स्काउटर टांक

भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रधानमंत्री शिल्ड प्रतियोगिता में सत्र 2009-2010 में स्काउटर व शारीरिक शिक्षक श्री राकेश टांक ने राजकीय माध्यमिक विद्यालय (राजस्थान) में कार्यरत रहते हुए 32 स्काउट्स के साथ उक्त प्रतियोगिता में वर्ष पर्यंत कार्य किया था। उक्त प्रतियोगिता का परिणाम

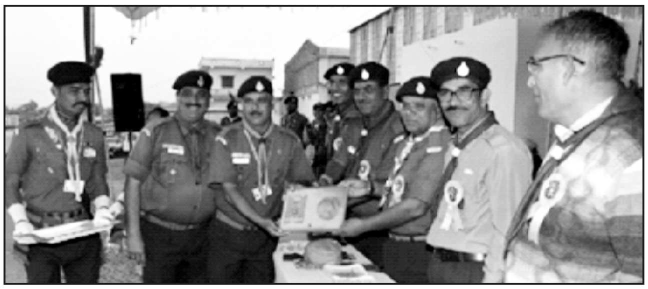

राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा जनवरी 2012 में घोषित किया जिसमें श्री राकेश टांक का विद्यालय विजेता रहा। मण्डल मुख्यालय उदयपुर को उक्त प्रतियोगिता की प्रधानमंत्री शिल्ड, प्रमाण पत्र व बेज सत्र 2018-2019 में प्राप्त हुए। इस पुरस्कार को चतुर्थ जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रतियोगिता रैली शिविर मेला मैदान आमेट में राज्य संगठन आयुक्त श्रीमान गोपाराम माली, सहायक राज्य संगठन आयुक्त श्रीमान महेंद्र सिंह भाटी, सीओ स्काउट बाँसवाड़ा श्रीमान दीपेश शर्मा, सीओ स्काउट राजसमंद श्रीमान सुरेन्द्र कुमार पांडे ने स्काउटर व शारीरिक शिक्षक राकेश टांक जो वर्तमान में कुंचोली, स्थानीय संघ कुंभलगढ़, जिला राजसमंद में कार्यरत हैं उन्हें पुरस्कार वितरण समारोह में ससम्मान प्रदान की। श्री टांक को प्रधानमंत्री शिल्ड, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र, 32 स्काउट्स के नेशनल कमिश्नर के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण-पत्र व प्रधानमंत्री शिल्ड के बेज इस अवसर पर सम्मानपूर्वक प्रदान किया। अभी वर्तमान में श्री टांक कुचोली, कुंभलगढ़ में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। पहली बार राजसमंद जिले को इस प्रकार की शिल्ड प्राप्त कराने का गौरव श्री राकेश टांक को मिला।

दांदू (चूरू) के विद्यालय में बलिदान दिवस मनाया

राजकीय माध्यमिक विद्यालय दांदू (चूरू) में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। बाल सभा का आयोजन छात्रा निकिता बरबड की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर श्री प्रधानाध्यापक मोहन लाल शर्मा ने भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के जीवन परिचय व शहीदों के बलिदान व साहस व त्याग के गुणों से अवगत कराया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्वश्री राजेश कुमार, राकेश, रणजीत सिंह मीना, रामचंद्र ढाका, सुल्तान सिंह आदि उपस्थित थे।

न्यूजीलैंड से मिला भारत को बाल साहित्य का उपहार

पालरा (रायपुर, भीलवाड़ा) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालरा, रायपुर भीलवाड़ा के बच्चों के लिए न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध शिक्षण

संस्थान, सेंट केंटीजर्न ग्रूप ऑफ एजुकेशन की ओर से लगभग पैंसठ हजार रुपये का बाल साहित्य और टीचिंग लर्निंग मटैरियल उपहार स्वरूप भिजवाया गया। सेंट केंटीजर्न स्कूल की शिक्षक क्रिस्टीन होपकिन्स ने ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी कि वहाँ के बच्चे 'फंड रेजिंग डे' तहत कुछ धनराशि सहयोगी रूप से एकत्र कर मित्र देशों के स्कूली बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा से जुड़ी बाल साहित्यिक पुस्तकें उपहार स्वरुप भिजवाते हैं। इस बार गिट फोर इंडिया की मुहिम के तहत, पालरा के वरिष्ठ अध्यापक श्री दयाराम खाती के माध्यम से क्रिस्टीन होपकिंस ने यह उपहार राउमावि. पालरा के विद्यार्थियों को भेंट किया। इस अवसर पर बाल साहित्यकार एवं हिन्दी साहित्य के प्राध्यापक डा. सत्यनारायण सत्य, सर्वश्री यतीन्द्र सिंह, प्रेमलता माली, घनश्याम चौधरी, राजकुमार महरिया, रामावतार मेहर, मंजूबाला डाकोत, दिनेश सेन, मुकेश कुमार बलाई, खेमराज कुमावत, रीना शर्मा, प्रेम स्वर्णकार सहित विद्यार्थीगण उपस्थित थे। विद्यार्थी ऐसा अनूठा उपहार प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे एवं उनकी आँखों में जिज्ञासा झलक रही थी। उल्लेखनीय है कि इस उपहार को प्राप्त करने में ओकलैंड (न्यूजीलेंड) के सेंट कैंटीजर्न स्कूल के स्टाफ को लगभग दस हजार छह सौ रुपये का एयर पार्सल शुल्क व्यय भी वहन करना पड़ा था। शिक्षा विभाग के लिए खुशी और गर्व का विषय है कि राउमावि. पालरा, भीलवाड़ा राजस्थान (भारत) के बालक न्यूजीलैंड के सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान की शिक्षण सामग्री का 'संस्कृति विनिमय योजना' के माध्यम से विदेशी शिक्षण सामग्री (बाल साहित्य) का अध्ययन कर रहे हैं। संस्थाप्रधान ने न्यूजीलैंड की उपहार प्रदाता संस्था का आभार व्यक्त किया।

विशेष शिक्षिका, स्नेहलता शर्मा आईडियल वुमैनिया नेशनल अवार्ड 2019 से सम्मानित

राजकीय प्राथमिक विघालय, बाजीतपुरा, नदबई, भरतपुर की विशेष शिक्षिका, स्नेहलता शर्मा विशेष शिक्षा एवं सामाजिक सेवा के उत्कृष्ट कार्यो हेतु 30 मार्च को राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में नृत्यांशी कला सोसायटी, जयपुर द्वारा आईडियल वुमैनिया नेशनल अवार्ड-2019

से सम्मानित किया गया हैं। राजस्थान दिवस पर राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के सभागार, में आयोजित भव्य समारोह में देश भर से चयनित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु आईडियल वुमैनिया नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्नेहलता शर्मा को अब तक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं सामाजिक सेवा कार्यों हेतु 01 अन्तर्राष्ट्रीय, 5 राष्ट्रीय, 02 राजकीय राज्य स्तरीय एवं 09 राज्य स्तरीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है।

शिवनगर व भुट्टो के कुआं पंचायत की स्कूलों की एसएमसी. सदस्यों का हुआ प्रक्षिक्षण

बीकानेर। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खाजूवाला के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवनगर के अन्तर्गत आने वाली पंचायत भुट्टो का कुआं व शिवनगर में सरकारी स्कूलों की एसएमसी. सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ इस कार्यक्रम के सहप्रभारी श्री मोहरसिंह सलावद ने बताया कि प्रथम दिन 29 मार्च 19 को भुट्टो के कुआं व दूसरे दिन 30 मार्च 19 को शिवनगर पंचायत में स्थित सरकारी स्कूलों की एसएमसी. के अध्यक्ष व सदस्यों को प्रक्षिक्षण दिया गया। प्रथम दिन दक्ष प्रशिक्षक

श्री सुशील कुमार ने उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए एसएमसी. एवं एसडीएमसी. के कार्यो के बारे में व नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया साथ ही जनसहयोग से कैसे विद्यालयों को आदर्श विद्यालय कैसे बनाएँ के बारे में बताया। दूसरे दिन दक्ष प्रशिक्षक श्री रामावतार पिलानिया ने एसएमसी. व एसडीएमसी. के कर्त्तव्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम प्रभारी श्री गोवर्धन लाल गोदारा ने सभी सदस्यों को स्वच्छता तथा एमडीएम. के बारे में जानकारी दी साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। सहप्रभारी श्री मोहरसिंह सलावद ने अपने विद्यालयों में आने वाले सत्र में नामांकन बढ़ाने के साथ ही बच्चों के ठहराव और ज्यादा उपस्थिति रखने एवं कहा कि अपनी स्कूल का कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए और आप सभी ग्रामीणों से संपर्क कर बताएँ की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है और बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम भी उत्कृष्ट रहता है इसलिए अपने बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में करवाएँ। श्री सलावद ने विभाग से प्राप्त अनुदान से विद्यालय की सुविधाओं का विस्तार कैसे किया जाए की जानकारी दी। इस अवसर पर छह बीडी एसएमसी अध्यक्ष श्री भूपत सिंह, सचिव श्री जवाहर सिंह एक डीजेएम एसएमसी अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार, सचिव श्रीराम, राईको की ढाणी एसएमसी. अध्यक्ष श्री भवर सिंह, सचिव श्री विजयपाल सिंह, सीएम एसएमसी. अध्यक्ष श्री अनोपदास स्वामी, सचिव श्री भूपेंद्रसिंह, दो सीएम एसएमसी. अध्यक्ष श्री बनवारी राम, सचिव श्री अनोप सिंह, शिवनगर एसएमसी. श्री चंदन सिंह, आशापुरा एसएमसी. अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह, सचिव श्री तनेसिंह, दो बीएम एसएमसी. अध्यक्ष श्री खेतसिंह, सचिव श्री तनेराज सिंह, रावत आबादी एसएमसी. अध्यक्ष श्री कमलसिंह, सचिव श्री कुलदीप, पाँच बीएम. एसएमसी. सचिव श्री सुभाष गिरी, चार बीएम एसएमसी. अध्यक्ष श्री धीरदान, सचिव श्री जाकिर अली, शिवनगर एसडीएमसी. सदस्य सर्व श्री मोहरसिंह मीणा, शंकरसिंह, हडूवंत सिंह, रण छोड़ सिंह सोढा, देवीसिंह, गोपाल सिंह, अलसी सिंह, सरदार सिंह, रूपसिंह, सुमित गोदारा, रामनिवास, रामचन्द्र दान, सहित एसएमसी. एसडीएमसी. के सदस्य मौजूद रहे। अंत में कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सुभाष चन्द्र न्योल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार जताया। बीएलओ. श्री सुजान सिंह राठौड़ ने सभी से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की।

भामाशाहों ने झालरापाटन के विद्यालय में बढ़चढ़ कर सहयोग दिया

रा.आ. उ.मा. वि. झालरापाटन में पूर्व छात्रों द्वारा 2018-19 में दिए गए सहयोग के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती प्रभा ने प्रदान किए गए सहयोग के बारे बताते हुए कहा कि श्री मुकेश मेहता, श्री मनोज खंडेलवाल, श्री सुधीर खंडेलवाल, श्री पंकज एवं श्री अनिल जैन द्वारा कोटा स्टोन लागत 30,000/- रुपये हॉल एवं बरामदे में कोटा स्टोन लगवाने हेतु सीमेंट एवं रेती श्री विजय मेहता, श्री पवन शर्मा द्वारा लागत

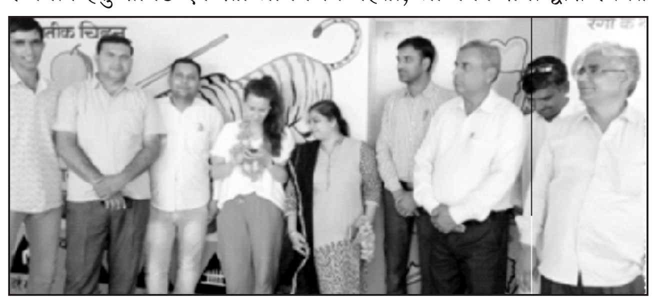

25,000/- रुपये। पीने के पानी की टंकी के लिए टाइल्स श्री पंकज चोरड़या द्वारा लागत 5000 रुपये। श्री अनूप शौरी एवं श्री अरुण शौरी द्वारा छात्रों के पीने के लिए ठंडे पानी हेतु वाटर कूलर। श्री भानु खत्री द्वारा 10 पंखे एवं श्री राजेन्द्र शास्त्री द्वारा 2 पंखे । श्री नरेन्द्र शेखावत द्वारा स्टाफ टॉयलेट निर्माण में सहयोग 30,000 रु.। नगरपालिका झालरापाटन द्वारा 10लाख तक का विद्यालय प्रांगण में इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य एवं छात्र छात्रा टॉयलेट्स का निर्माण करवाया। संस्थाप्रधान ने सभी भामाशाहों को सहयोग के लिए आभार जताते हुए सम्मानित किया ।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

समाचार पत्रों में कतिपय रोचक समाचार/दृष्टांत समय-समय पर छपते रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमें विस्मय तो होता ही है, साथ ही हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है। ऐसे समाचार/दृष्टांत चतुर्दिक स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित किये जाते हैं। आप भी ऐसे समाचारों का पुनर्लेखन कर संदर्भ एवं पेपर कटिंग के साथ शिविरा में प्रकाशन हेतु हमें भिजवा सकते हैं।

-वरिष्ठ सम्पादक

चतुर्दिक समाचार

क्षुद्रग्रह की दिशा को मोड़ेगा नासा

नई दिल्ली। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और निजी कंपनी स्पेस एक्स मिलकर पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले क्षुद्रग्रह की दिशा को मोड़ने का काम करेंगे। इस कार्य के लिए नासा ने स्पेस एक्स को क्षुद्रग्रह में रॉकेट से क्रैश कर उसकी दिशा बदलने की जिम्मेदारी सौंपी है। डबल एस्टेरोइड रेडिरेक्शन टेस्ट (डार्ट) नामक इस मिशन के जरिए नासा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि पृथ्वी की ओर बढ़ने वाले किसी क्षुद्रग्रह को मोड़ने की उसकी कितनी क्षमता है। यह अभ्यास परीक्षण में स्पेस एक्स कंपनी एक फ्रिज के आकार के स्पेसक्राफ्ट को तेज गति से क्षुद्रग्रह की और लांच करेगी। (हिटी) साभार : हिन्दुस्तान 19.4.19 से

एक खुराक से ही नशे की लत छुड़ाएगी नई दवा

वाशिंगटन एजेंसी। युवा वर्ग में बढ़ती नशे की लत को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया एंटीडोट बनाया है। इस एंटीडोट का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ही नशे के ओवरडोज से छुटकारा पाया जा सकेगा। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार सिंथेटिक मादक पदार्थो के ओवरडोज से होने वाली मौतों में बढ़ोतरी हो रही है। फेंटानिल नामक ड्रग का असर काफी समय तक रहता है और इसका थोड़ा-सा भी सेवन करने से ओवरडोज हो सकता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाने वाला एंटीडोट जैसे नैलाजोन का प्रभाव शरीर पर ज्यादा देर तक नहीं रहता और इसका इंजेक्शन बार-बार देना नहीं पड़ता है। साभार : हिन्दुस्तान 2.4.19 से

ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने वाले बच्चे असभ्य

घंटों स्मार्ट फोन या कोई भी स्क्रीन देखने वाले छोटे बच्चे बड़े होकर असभ्य हो जाते हैं। एक शोध में यह दावा किया गया है कि जो छोटे बच्चे ज्यादा देर तक स्क्रीन की तरफ देखते हैं वो पांच साल की उम्र में असभ्य हो जाते हैं। शोध के अनुसार जो छोटे बच्चे दो घंटे से ज्यादा समय स्मार्ट फोन या टेबलेट की स्क्रीन पर बिताते हैं उनमें अटेंशन डेफिसिट हैपेरेक्टिविटी डिसआर्डर (एडीएचए) होने का खतरा 7 गुना तक बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार बच्चे जितना समय स्क्रीन देखने में बिताते हैं स्वास्थ्यप्रद गतिविधियों के लिए उनके पास उतना ही कम समय बचता है। उनका कहना है कि प्री स्कूल के बच्चों को आधा घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखने नहीं देना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के वैज्ञानिकों ने 2400 परिवारों पर अध्ययन किया और पाया कि ज्याद देर तक स्क्रीन से चिपके रहने वाले बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्याएँ देखी गई। पांच साल की उम्र में बच्चे स्क्रीन ज्यादा दखने के कारण बड़ों की बातों पर ध्यान नहीं देते।

अब इंसानी दिमाग से जोड़ा जाएगा इंटरनेट

भविष्य में इंसानी दिमाग दुनियाभर की जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के बारे में सोचते ही सब कुछ जान जाएगा। एक नए शोध में यह दावा किया गया है कि आने वाले कुछ दशकों में इंसान का दिमाग सीधा इंटरनेट से जुड़ जाएगा। इंसान के सिर्फ सोचने भर से ही हर जानकारी और हर तरह की कंप्यूटिंग उन्हें तुरंत पता चल जाएगी।

नई तकनीक का होगा इस्तेमाल : वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कुछ दशकों बाद एक ऐसी तकनीक आ जाएगी जिसकी मदद से इंसानों का दिमाग सीधा इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। प्रमुख शोधकर्ता रोबर्ट फ्रेटिस जूनियर ने कहा, इंसान के दिमाग और इंटरनेट को जोड़ने के लिए न्यूरल नैनोरोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंसानी शरीर में प्रत्यारोपित किए जाएंगे और स्यिल टाइम में नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह उपकरण शरीर की तंत्रिकाओं को पार कर, रक्त और दिमाग की बाधा को पार कर अपने आप को दिमाग की कोशिकाओं के अंदर स्थापित कर सकते हैं। यह वायरलेस उपकरण रियल टाइम में जानकारी या डाटा के एक क्लाउड आधारित सुपर कंप्यूटर और दिमाग के बीच आदान प्रदान करने में सक्षम करता है।

दिमाग में डाउनलोड होगी जानकारी : यूसी बर्कले और यूएस के इंस्टिट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के शोधकर्ताओं के अनुसार इस नई तकनीक से मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सीन के जैसे ही दिमाग में जानकारी डाउनलोड की जा सकेगी। इस तकनीक से दिमाग को क्लाउड पर उपलब्ध सारी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे दिमाग के सीखने की क्षमता और बुद्धिमता बढ़ेगी। इस तकनीक से एक ग्लोबल सुपर ब्रेन बना सकते हैं जो व्यक्तिगत दिमागों के नेटवर्क और एआई से जुड़कर संयुक्त विचार को बढ़ावा दे सकते हैं।

ह्यूमन ब्रेन नेट सिस्टम का परीक्षण : वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन ब्रेन नेट सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। इसके जरिए क्लाउड और इंसानी दिमाग के बीच डाटा एक्सचेंज किया जा रहा है। यू सी बर्कले के डॉक्टर नुनो मार्टिन्स ने कहा कि न्यूरल नैनो रोबोटिक्स के विकास से ऐसा सुपर ब्रेन बनाया जा सकता है जो रियल टाइम में कई इंसानी दिमागों और मशीनों के सोचने को क्षमता को उपयोग कर सकता है। साभार : हिन्दुस्तान 24.4.19 से

रूस ने सबसे ताकतवर पनडुब्बी बनाई

रूस ने दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी अपने नौसेना के बेड़े में शमिल कर ली है यह पनडुब्बी इतनी ताकतवर है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को या एक पूरे शहर को एक ही वार में तबाह कर सकती है। इसका सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उद्घाटन किया और नौसेना को समर्पित किया।

क्या है खासियत : यह पनडुब्बी 604 फीट लंबी है और इसका नाम बेलगोरोड रखा गया है। इसमें 6 परमाणु हथियारों से लैस टॉरपीडो लगाए गए हैं, जो एक बार में 2 मेटाटान विस्फोटक ले जाने में समर्थ हैं। दो मेटाटन 2 मिलियन पाउडर विस्फोटक के बराबर है। इसकी शक्ति हिरोशिमा में फटे बम से 130 गुना ज्याद है।

विशेषज्ञों को डर : विशेषज्ञों को आशंका है कि इसमें लगे 79 फीट लंबे टॉरपीडो पोसेडोन या कैनयोन अगर समुद्र के अंदर फटेंगे तो रेडियोएक्टिव सुनामी आ सकती है। इससे तटीय शहरों में तबाही हो सकती है और समुद्र में 300 फीट तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं।

मारक है इसकी गति : इस पनडुब्बी के आगे सबसे बड़े और नए वॉरशिप ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर एचएमएस क्लीन एलिजाबेथ और एचएमएस प्रिंस वेल्स की भी कोई औकान नहीं रहेगी। बेलगोरोड पनडुब्बी के परमाणु टॉरपीडो की गाति 80 मील प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है।

अंडरवाटर यान लगे : सोमवार को सेवेरोदविंस्क से बेलगोरोड ने जलावतरण किया। इस पनडुब्बी में 8 मानव रहित अंडरवाटर यान लगाए गए हैं जो गहराई में जाकर काम कर सकते हैं। इसे समुद्र के तल की मैपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों को डर है कि इसे दूसरों को समुद्री शक्ति को कम करने और समुद्र की गहराई में लगे इंटरनेट केबल को बर्बाद करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इस पनडुब्बी में 25 लोगों की टीम रिसर्च, सुरक्षा और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए काम करेगी। ये पनडुब्बी युद्ध के दौरान सभी प्रकार के वॉरशिप को ध्वस्त करने में समर्थ है और अब तक इसका कोई भी तोड़ उपलब्ध नहीं है। साभार : हिन्दुस्तान 24.4.19 से

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

जयपुर

रा.आ.उ.मा.वि., खेड़ारानीवास को कक्षा-12 के विद्यार्थियों ने आशीर्वाद (विदाई) समारोह में विद्यालय को स्मृति चिन्ह स्वरूप एक लेक्चर स्टैण्ड भेंट जिसका मूल्य 3,500 रुपये और आहूजा कम्पनी का वायरलैस माईक सैट भेंट जिसका मूल्य 3,005 रुपये, डॉ. भगवान सहाय मीना (वरिष्ठ अध्यापक) से ओरियन्ट कम्पनी के 03 पंखे (छत) विद्यालय को प्राप्त जिसकी लागत मूल्य 4,500 रुपये और विद्यालय प्रांगण में 1,500 रुपये की मिट्टी डलवाई।

जालोर

रा.आ.उ.मा.वि., बिठूड़ा (आहोर) में श्री भंवरलाल/ईदाजी घाँची द्वारा चार लाख रुपये की लागत से एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया। श्री रमेश कुमार/गोमाजी घाँची द्वारा चार लाख रुपये की लागत से एक कक्षा-कक्ष का निर्माण, श्री मूलगिरी/रतनगिरी द्वारा चार लाख रुपये की लागत से एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाया गया। श्री महेन्द्र सिंह/भीखसिंह से एक माईक सैट मय स्पीकर प्राप्त हुआ जिसकी लागत 24,000 रुपये। **रा.आ.उ.मा.वि., पंसेरी (जसवन्तपुरा)** को श्री पाँचाराम पुत्र श्री पदमाजी चौधरी द्वारा विद्यालय व्यवस्था को सुचारु व सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु 23 CCTV. IP कैमरें, LED TV. व इन्वर्टर विद्यालय को प्रदान किए गए जिसकी लागत 2.51 लाख रुपये ।

नागौर

रा.उ.मा.वि., राजोद (डेगाना) में श्री देवाराम राड़ पुत्र श्री सुरजाराम राड़ द्वारा दस लाख रुपये की लागत से विद्यालय में दो कमरे व विद्यालय के मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया।

बून्दी

रा.उ.मा.वि., कैथूदा (पं.स. तालेड़ा) को 15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री जन सहभागिता कोष में तीस हजार रुपये प्राप्त हुए, विद्यालय के स्टॉफ एवं ग्रामवासियों के सहयोग से इस प्राप्त राशि से विद्यालय भवनों की पुताई (रंग-रोगन) तथा फर्नीचर क्रय हेतु खर्च किया जाएगा, इस अनुदान राशि में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भागीरथ बसवाल से 2,000 रुपये, श्री गायत्री प्रसाद गोठानिया व.अ. से 2,000 रुपये, श्रीमती राधारानी (अ.) से 8,000 रुपये (ऑफिस टेबिल हेतु), श्री राजकुमार जैन (अ.) से 1,000 रुपये, श्रीमती प्रतिभा शर्मा (व.अ.) से 1,100 रुपये, श्रीमती अनिता शर्मा (व.अ.) से 1,000 रुपये, श्रीमती निर्मला नामा (अ.) से 1,000 रुपये, श्रीमती अन्जना शर्मा (अ.) से 1,000 रुपये, श्री चैनसिंह चुंडावत (शा.शि.) से 1,100 रुपये, पं.स. सदस्य सालगराम मालव से 1,000 रुपये, शिव टिंबर से 1,000 रुपये, श्री छोटूलाल दाधीच से 1,000 रुपये, श्री गिरिराज मालव से 1,000 रुपये आदि द्वारा सहयोग।

भामाशाहों के अवदान का वर्णन प्रतिमाह इस कॉलम में कर पाठकों तक पहुँचाने का विनम्र प्रयास किया जाता है। आइये, आप भी इसमें सहभागी बनें। -व. संपादक

हमारे भामाशाह

रा.उ.मा.वि. इन्द्रगढ़ को श्रीमती गुलशन शर्मा (व्याख्याता हिन्दी) ने अपनी सेवानिवृत्ति पर एक वाटर कूलर विद्यालय को भेंट किया जिसकी लागत 16,500 रुपये।

सीकर

रा.आ.उ.मा.वि., डूँगा की नांगल, पं.स. पाटन तह.-नीमकाथाना में जनसहयोग से दो लाख रुपये तथा स्थानीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा पचास हजार रुपये का सहयोग से एक कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया गया। स्थानीय विद्यालय के शिक्षकों से एक लाख पिचहत्तर हजार रुपये एवं PEEO. परिक्षेत्र के शिक्षकों से पिचहत्तर हजार रुपयों द्वारा एक कक्षा-कक्ष का निर्माण करवाय गया। श्री फूलचन्द खटाणा (भू.पूर्व जिला पार्षद) द्वारा दो लाख रुपये की लागत से प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया। जन सहयोग से चालीस हजार रुपये एवं स्थानीय विद्यालय को अस्सी हजार अर्थात एक लाख बीस हजार रुपये से 80 सैट टेबिल-स्टूल लोहे की भेंट, श्री छीतरमल गुर्जर (से.नि. प्राध्यापक) से एक वाटर कूलर प्राप्त जिसकी लागत मूल्य 30,000 रुपये, श्री मनोज कुमार कसाना (ग्राम विकास अधिकारी) से एक माइक सैट प्राप्त जिसकी लागत पच्चीस हजार रुपये, श्री जगदीश प्रसाद (से.नि.स.प्र.अधिकारी) द्वारा 60 स्वेटर बच्चों को भेंट जिसकी लागत दस हजार रुपये, श्री गोपाल चन्द्र शर्मा (प्रधानाचार्य) से 13 शॉल प्राप्त जिसकी लागत मूल्य 5,000 रुपये, श्री सरजीत लुनिवाल (से.नि.अ.) से एक आलमारी प्राप्त जिसकी लागत मूल्य 5,000 रुपये, श्री इन्द्राज सिंह से.नि. प्रबन्धक से 10 पंखे प्राप्त जिसकी लागत मूल्य 15,000 रुपये, श्री केदारमल से एक इलैक्ट्रिक तराजू प्राप्त जिसकी लागत 3,500 रुपये।

भीलवाड़ा

रा.उ.मा.वि. भींटा तह. रायपुर, में सर्वश्री इन्द्रमल, मांगीलाल ओस्तवाल द्वारा विद्यालय में गणित शिक्षण व्यवस्थार्थ हेतु 45,000 रुपये व 10 पंखे दिए, श्री घेवर चन्द ओस्तवाल ने विद्यालय को खेल सामग्री हेतु 15,000 रुपये दिए, श्री सम्पत लाल कोठारी ने विद्यालय को खेल सामग्री हेतु 15,000 रुपये दिए, श्री भैरुलाल कोठारी ने विद्यालय को इको साऊण्ड मशीन हेतु 21,000 रुपये भेंट, श्रीमती तारा देवी बुनकर (प्रधानाचार्य) ने बच्चों को प्रोत्साहन हेतु 6,500 रुपये दिए, श्री राजवीर काजला ने 6,500 रुपये, श्रीमती राजेश्वरी वर्मा ने 5,000 रुपये, श्री राजेश कुमार जाखड़ (व.अ.) ने 1,100 रुपये, श्री किशन लाल रोलन (व.अ.) ने 1,100 रुपये 10th व 12th बोर्ड के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए गए।

अलवर

रा.उ.मा.वि., पुर, कोटकासिम को भामाशाहों द्वारा विद्यालय को 32,000 रुपये की लागत से डबल बैटरी इन्वर्टर, प्रधानाचार्य कक्ष हेतु तीन सोफासैट जिसकी लागत 22,500 रुपये, छात्र-छात्राओं हेतु भामाशाहों से स्वेटर प्राप्त जिसकी लागत 14,500 रुपये।

अजमेर

रा.बा.उ.मा.वि., भिनाय में श्रीमती उषा जोशी (से.नि. व्याख्याता हिन्दी) द्वारा शाला प्रांगण में माँ सरस्वती के भव्य मंदिर के निर्माण करवाया गया जिसकी लागत 1,25,000 रुपये, साथ ही एक वाटर कूलर भी विद्यालय को सप्रेम भेंट जिसकी लागत 30,000 रुपये।

संकलन : **प्रकाशन सहायक**

शिविरा पत्रिका (मासिक) : मई-जून, 2019 / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित तथा हरिहर प्रिण्टर्स, जे-97, अशोक चौक, आदर्श नगर, जयपुर-302 004 फोन : 0141-2600850 से मुद्रित। वरिष्ठ सम्पादकः अनिल कुमार अग्रवाल, प्रकाशन हेतु सामग्री चयन के लिए उत्तरदायी।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आडसर (लूनकरणसर) बीकानेर में इंडिया प्लान इंटरनेशनल के सहयोग से हैंडी फिल्म के प्रदर्शन पश्चात स्विस दूतावास से पधारी अतिथि जैनी व प्रधानाचार्य श्री रामजी लाल घोड़ेला , शिक्षकवृन्द एवं ग्रामीण जन ।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटडा (जवाजा) द्वारा पक्षियों हेतु शाला व गाँव के पेड़ों पर परिंडे लगाते हुए विद्यार्थी एवं शिक्षक ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय सांवलोदा लाडखानी प्रधानाध्यापक फूलसिंह भास्कर व शारीरिक शिक्षक भंवरसिंह के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा बेजुबान पंछियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई ।

रा. उ. मा. वि. पालरा, रायपुर भीलवाड़ा के बच्चों के लिये न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान, सेंट केंटीजर्न ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा लगभग 65,000 रुपये का बालसाहित्य और टीचिंग लर्निंग मेटेरियल उपहार स्वरूप दिया गया ।

राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, धूमनकलां, सवाईमाधोपुर में आयोजित निबन्ध लेखन प्रतियोगिता एवं मतदान जाग्रति अभियान के अन्तर्गत नारा लेखन के साथ प्रदर्शन करते हुए विद्यार्थी ।

डाक पंजीयन संख्या : जयपुर सिटी/417/2017-19

शिविरा पत्रिका (मासिक) ● मई-जून, 2019
प्रकाशन तिथि : 2 मई, 2019 पृष्ठ 52 ● प्रेषण : माह की 5-6 तारीख

समाचार पत्र पंजीयन संख्या 10350/66

हमारी बालसभा

सृजन एवं अभिव्यक्ति

पत्रिका अवितरित होने की स्थिति में इस पते पर भेजें : वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर-334011